शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 16

छत्तीसगढ़ शासन

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

धांगड़ जनजाति
का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर (छ.ग.)

धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 16

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन	:	शम्मी आबिदी IAS संचालक
मार्गदर्शन	:	श्रीमती उषा लकड़ा उपसंचालक
अध्ययन एवं प्रतिवेदन	:	विजय सिंह कंवर (उपसंचालक) रूपेश्वर सिंह (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृ.क्र.
अध्याय–1	पृष्ठभूमि	01–06
अध्याय–2	भौतिक संस्कृति	07–22
अध्याय–3	आर्थिक जीवन	23–41
अध्याय–4	सामाजिक संरचना	42–56
अध्याय–5	शैक्षणिक स्थिति	57–58
अध्याय–6	जीवन–संस्कार	59–71
अध्याय–7	जाति पंचायत संगठन	75–76
अध्याय–8	धार्मिक जीवन	77–82
अध्याय–9	लोक परम्परायें	83–85
अध्याय–10	परिवर्तन एवं समस्याएँ	86–88

अध्याय - 1 पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

भारत की कुल जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों, तराईयों, एवं तटीय क्षेत्रों में निवासरत है। दुर्गम वन्य क्षेत्रों में निवासरत होने के कारण इन्हें आदिवासी, वनवासी, गिरीजन, आदिमजाति, वन्य जाति या जनजाति आदि नामों से जाने जाते हैं। यह समुदाय हजारों वर्षों से सुन्दर वन अंचलों में प्रकृति की उदारता पर निर्भर जीवन व्यतीत करते आ रहे है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है। इतिहासकार इन्हें भारत के प्राचीनतम निवासी मानते है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इन जनजातियों की कुल जनसख्या 104281034 है। जो देश की कुल जनसख्या का 08.61 प्रतिशत है। और देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 15 प्रतिशत भूभाग पर निवास करते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के तह्त देश में कुल 532 आदिवासी समूहों को चिन्हित कर अनुसूचित जनजाति का नाम देकर सूचीबद्ध किया गया। और इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति एवं संरक्षण हेतु अनेक विकास योजनाएं संचालित किये गये। किन्तु आज पर्यन्त तक जनजातियों के कमजोर तबके को संवैधानिक आरक्षण का अपेक्षित लाभ प्राप्त नही हो सका है। इनके विकास तथा इनके संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये हैं।

इनके पिछड़े होने में भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का भी विशेष योगदान रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदाय निवास करती है। जिनमें कुछ समानताओं के बावजूद अपनी अलग–अलग सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है।

आदिवासी समाज आज भी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन कर रहे है। वे सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते है। और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृति में ऐतिहासिक जिज्ञासा के अभाव के कारण कुछ पीढ़ियों का ही यथार्थ इतिहास किंवदतियॉ और पौराणिक कथाओं के रूप में मिलता है। सीमित परिधि एवं लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृति में स्थिरता पायी जाती है। किसी एक काल में होने वाले आदिवासी सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते है।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई (31.76 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जनजातियों का हैं, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजातीय बाहुल राज्य है।

विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने समय के बदलते तस्वीर के साथ विभिन्न जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया है। जिसमें आदिवासी समुदाय की बोली/भाषा, रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, मान्यताएं, लोकगीत, नृत्य–संगीत तथा परिवार एवं विवाह के प्रतिमान आदि में समय के साथ होने वाले परिवर्तन प्रमुख है। आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर के आदेश क्रमांक टी.आर.आई/अनु./कार्य.विभा./196/2020/707 रायपुर दिनांक 7.10.2020 के माध्यम से ''**धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन**'' करने का आदेश प्राप्त हुआ है। जिसके परिपालन में धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

1.2 अध्ययन का महत्व

वर्तमान में हमारा देश विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है। लेकिन जनजातीय जनसंख्या का विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाना, उनका पूर्ण सहभागिता का अदा न कर पाना एक सामाजिक चिंतन का विषय है। अशिक्षा, संचार साधनों का अभाव, दूरस्थ निवास स्थान एवं जागरूकता का अभाव आदि ऐसे कारण है, जो देश की जनजातीय उन्नति के मार्ग में सहभागी बनने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। अतः इन समूहों का गहन अध्ययन हमारी आवश्यकता एवं कर्तव्य भी है।

सैद्धांतिक तौर पर प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता ज्ञान के विकास एवं बोध के विस्तार में निहित है। अध्ययन में धांगड़ जनजाति की सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से संबंधित नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी। जिससे उनकी समस्याओं के संबंध में अनेक संभावित समाधान प्राप्त हो सकता है। यह अध्ययन का व्यवहारिक पक्ष है। उनमें होने वाले परिवर्तन एवं विकास में आने वाली बाधाओं में सुधारात्मक उपाय सुझाना अध्ययन का उद्देश्य है, जिससे जनजातीय समाज की विशिश्ट सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार यह अध्ययन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से एक महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय अध्ययन है।

1.3 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. धांगड़ जनजाति की समस्याएं एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

1.4 अध्ययन पद्धति

प्रत्येक अध्ययन कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य करना होता है। परिवर्तन प्रकृति की शाश्वत नियम होने के कारण मानव जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन एवं वास्तविक निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन ''धांगड़ जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन'' विषय पर आधारित है। अतः अध्ययन का स्वरूप ''वर्णनात्मक'' है।

1.4.1 निवासरत क्षेत्र

धांगड़ लोगों के अनुसार उनकी जाति मूलतः उरांव जनजाति है। जो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा व जशपुर आदि जिलों में निवासरत है। धांगड़ समुदाय के अनुसार उरांव जनजाति की जनगणना में धागंड़ समुदाय के लोगों की जनसंख्या शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 748789 है, जिसमें 373065 (49.82 प्रतिशत) पुरूष एवं 375724

(50.18 प्रतिशत) महिला जनसंख्या है, जो कि राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या 7822902 का लगभग 9.57 प्रतिशत है। इस जनजाति की साक्षरता दर 59.30 प्रतिशत है जिसमें 65.69 प्रतिशत पुरूष साक्षरता एवं 52.96 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

1.4.2 उत्तरदाताओं का चयन

अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में धांगड़ जनजाति की जनसंख्या के वितरण अनुसार बिलासपुर संभाग में निवासरत धांगड़ जाति बाहुल 03 जिलों के 05 विकासखण्ड के अन्तर्गत 15 ग्रामों में निवासरत 123 परिवारों का अध्ययन में शामिल किया गया है। जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शित किया गया है :–

तालिका क्रमांक - 01 उत्तरदाताओं का वितरण

क्रं.	जिला	विकासखंड	सर्वेक्षित ग्राम	परिवार संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	कोरबा	1. पाली	1. सिल्ली	12	09.76
			2. पोलमी	10	08.13
			3. पचपेड़ी	10	08.13
		2. कोरबा	4. कुदरी	6	04.88
			5. नटकीखार	6	04.88
			6. पंडरीपानी	4	03.25
			7. तिलकेजा	8	06.50
2	जांजगीर–चांपा	3. सक्ती	8. नंदेली	8	06.50
			9. बारद्वार बस्ती	11	08.94
			10. रजगा	8	06.50
3	रायगढ़	4. खरसिया	11. सरवानी	10	08.13
			12. कर्रानारा	9	07.32
			13. बोत्लदा	8	06.50
		5. रायगढ़	14. धनागर	10	08.13
			15. बरमुड़ा	3	02.44
योग		5	15	123	100.00

ग्रामों का चुनाव सविचार निदर्शन विधि (उद्देश्य मूलक प्रविधि) द्वारा किया गया है। इन ग्रामों में निवासरत लगभग 90 प्रतिशत धांगड़ परिवारों को उत्तरदाता के रूप में चिन्हांकित कर तथ्यों का संकलन किया गया है।

धांगड़ जनजाति के कुल सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 45.53 प्रतिशत कोरबा जिले में किया गया, तत्पश्चात 32.52 प्रतिशत रायगढ़ जिले में एवं 21.95 प्रतिशत जांजगीर–चांपा जिले में निवासरत धांगड़ परिवारों का अध्ययन किया गया।

1.5 अध्ययन प्रविधि

अध्ययन हेतु कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, बिलासपुर एवं मुंगेली जिलों के धांगड़ निवासरत वाले ग्रामों में जाकर क्षेत्र अध्ययन विधि से सम्पन्न किया गया। सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करने हेतु 'अनुसूची विधि' का उपयोग करते हुए बिलासपुर संभाग के बाहुल्य 03 जिलों के 05 विकासखण्ड़ के अन्तर्गत 15 ग्रामों में निवासरत 123 धांगड़ परिवारों का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के रूप में प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

1.6 धांगड़ : उत्पत्ति एवं परिचय

धांगड़ जनजाति की उत्पत्ति छोटानागपुर के पठार, रोहतासगढ़ जिले को माना जाता है। धांगड़ जाति के लोग हजारों वर्षों से यहां शासन करते आ रहे थे। एक समय रोहतासगढ़ में बाहरी आक्रमणकारीयों ने आक्रमण कर दिया, भीषण युद्ध के दौरान धांगड लोगो की हार हुई और ये लोग पूरे भारत में बिखर गए, जो बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ओड़िसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ कुछ लोग नेपाल और बंग्लादेश में जाकर बस गये। छत्तीसगढ़ राज्य में धांगड़ जाति के लोग जशपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरबा, बिलासपुर एवं महासमुंद में आकर बस गयें।

धांगड़ जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। अतः इनकी उत्पत्ति भी द्रविड़ों से मानी जाती है। धांगड़ जनजाति उत्पत्ति के संबंध में बुजुर्गो के अनुसार उनकी जनजाति मूलतः उरॉव है। इनके अनुसार पूर्व पीढ़ी से धांगड़ जाति के कुछ लोग जो गड्ढ़ा खोदकर, खेतिहर मजदूर, मिट्टी खोद कर जीवकोपार्जन करते थे या कृशक के खेतों में पड़ा धान का बलियां एकत्र करने का कार्य करते थे उन्हें धांगड़/धांगर कहा जाता था।

1.6.1 धांगड़ जनजाति जन्म कथा

धांगड़ जनजाति के अनुसार इनकी उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। किवदंतियों के अनुसार धांगड़ जनजाति उत्पत्ति की एक कथा प्रचलित है जब सम्पूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी जब जल का स्तर कम होने लगा तब पृथ्वी में जीवन की संभावना बनी तो छोटानागपुर के पठार स्थित सिर–सिता नाला के केकड़ा बिल (ककड़ो लाता) में एक स्त्री व पुरूष मूर्छित अवस्था में थे, जब स्वयं धर्मेश (धर्मी बेला) उनके पास आकर उनके उपर पानी के छीटें मारकर उन्हें होश में लाए और कहा, कि जाओ आज से तुम दोनो पति पत्नि हुए। अब तुम अपने वंश में बढ़ोत्तरी कर नया दुनिया बनाओ, इस तरह से उन्ही के वंशज उरांव, धांगड़, धांगर जाति के हुए।

डाल्टन ने कुँडुख शब्द को 'कोकण' से अपभ्रंसित माना है इनकी सूचना के अनुसार इस जनजाति का मूल निवास स्थान कोकंण था। प्रो. ब्रज बिहारी प्रसाद ने अपने कुँडुख कोष में कुँडुख को सीधे–सीधे उरावँ कर दिया है इस प्रकार कुँडुख शब्द का संबंध 'करखराजा' 'जन' और 'कृषाण' (कुड़ँखर) से तीन अर्थों में जोड़ा जा सकता है साधारणतः अविवाहित उरॉव ही चाकर या धांगर के रूप में काम करते हैं और अविवाहित

उराँव को उरॉव भाषा में 'जोंख' और हिन्दी में 'धांगर' कहते हैं। डाल्टन भी मानते हैं, कि छोटा नागपुर के उरॉव देश के कई भागों में धांगर कहे जाते हैं और कुँडुख भाषा को 'धांगरी' भी कहते हैं हिन्दी भाषा में 'धांगर' शब्द का प्रयोग प्रायः आदिमजातियों के संदर्भ में किये जाने लगा। उराँव तथा अन्य जनजातियां कठोर परिश्रमी होते हैं अपनी श्रम क्षमता के कारण बाहरी लोगों ने इन्हें 'धांगर' नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया।

1.7 जनसंख्या

(अ) कुल जनसंख्या

सर्वेक्षित 123 परिवारों में धांगड़ जनजाति की जनसंख्या निम्नानुसार तालिका में दर्शित है :—

तालिका क्रमांक - 02 कुल संख्या

क्र.	विवरण	कुल संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	294	52.97
2	महिला	261	47.03
	कुल जनसंख्या	555	100.00
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123			

सर्वेक्षित 123 परिवारों में धांगड़ जनजाति की जनसंख्या 555 पायी गई, जिसमें पुरूष जनसंख्या 294 (52.97 प्रतिशत) व महिला जनसंख्या 261 (47.03 प्रतिशत) पायी गई।

(ब) उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण

सर्वेक्षित धांगड समुदाय की कुल जनसंख्या का उम्र—लिंग अनुसार वर्गीकरण निम्नांकित है :—

तालिका क्रमांक - 03 उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वितरण

क्र.	उम्र समूह (वर्षों में)	व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0—5	15	05.10	17	06.51	32	05.77
2.	6—14	43	14.63	36	13.79	79	14.23
3.	15—21	59	20.07	45	17.24	104	18.74
4.	22—35	70	23.81	67	25.67	137	24.68
5.	36—50	69	23.47	58	22.22	127	22.88
6.	51—60	13	04.42	21	08.05	34	06.13
7.	60 से अधिक	25	08.50	17	06.51	42	07.57
	योग	294	100.00	261	100.00	555	100.00

सर्वेक्षित तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित धांगड़ जनजाति परिवारों में सर्वाधिक 24.68 प्रतिशत व्यक्ति 22–35 वर्ष उम्र समूह के है, तत्पश्चात 22.88 प्रतिशत व्यक्ति 36–50 वर्ष उम्र समूह के, 18.74 प्रतिशत व्यक्ति 15–21 व 6–14 वर्ष उम्र समूह के 14.23 प्रतिशत व्यक्ति पाये गये। 05.77 प्रतिशत 0–5 वर्ष उम्र समूह व 07.57 प्रतिशत व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक की उम्र–समूह के और 06.13 प्रतिशत व्यक्ति 51–60 वर्ष समूह के पाये गये।

6–14, 15–21, 22–35, 36–50 व 60 से अधिक वर्ष के उम्र समूहों में महिलाओं की जनसंख्या की तुलना में पुरूषों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देती है। केवल 0–5 व 51–60 उम्र समूहों में पुरूषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई देती है।

(स) लिंगानुपात

सर्वेक्षित धांगड परिवारों में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर 887.75 महिलाएँ हैं।

❑❑❑❑

अध्याय - 2 भौतिक संस्कृति

मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है, जो अपने बुद्धि और श्रम कौशल का उपयोग कर चारो ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों का निरन्तर सुधार और उन्नत करता रहा है। इस प्रकार जीवन पद्धति, रहन–सहन, रीति–रिवाज, आचार–विचार, नवीन अनुसंधान एवं आविष्कार आदि जो हमें पशुओं से उच्च स्थान प्रदान करता है, और हमें सभ्य बनाता है। सभ्यता संस्कृति का ही अंग है। मनुष्य अपने चारों ओर उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से अपने जीवन को सरल बनाने के लिए वस्तुओं का आविष्कार एवं विकास करता है।

धांगड़ जनजाति अधिकांश वनों, पहाड़ों की तलहटी एवं मैदानी पठार में निवास करते है। वे अपने लिए प्राकृतिक संसाधनों से सहज एवं सरल भौतिक वस्तुओं का निर्माण स्वयं करते है जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक संस्कृति में पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

धांगड़ जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है :–

2.1 ग्राम की बसाहट

धांगड़ जनजातियों का ग्राम अलग से न होकर अन्य जातियों/अनु.जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों से साथ निवास करते है। कुछ गांवों में धांगड़ जाति के लोगो का पारा–टोला होता है। ग्राम की बसाहट लगभग सभी ग्रामों में समान है। ग्राम में लगभग 20–25 घर एक साथ कतार में होते है। घरों के बीच रास्ता होता है जिसकी चौड़ाई लगभग 15–20 फुट होती है। ग्राम लम्बवत, आयताकार और गोलाकार रूप में बसा होता है। कतार नुमा घरो के बीचों बीच सड़क होती है। अर्थात सड़क के दोनो तरफ इनके घर बने होते है। ग्रामों की संरचना में प्रायः एकरूपता पायी जाती है। जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है। मार्ग के

धांगड़ ग्राम पहुंच मार्ग

दोनों ओर मकान बसे होते हैं। मुख्य रास्ता से छोटी–छोटी पगडंडी अन्य पारे टोले हेतु निकली होती है। धांगड़ निवासरत ग्रामों में आम, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, नीबू, इमली, कटहल, अमरूद एवं महुआ आदि वृक्ष बहुतायता में पाये जाते हैं। ग्राम के मध्य में बड़ा चबूतरा (चौरा) बना होता है जहां चबूतरा नहीं होता वहां खुला मैदान जहां छायादार स्थान होता है जहां ग्राम की बैठक, लोक सांस्कृतिक नृत्य गीत, खेल–कुद, नाटक आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। ग्राम के खाली स्थान पर पशुओं को चराने हेतु 'चरागन' (चारागाह) पाया जाता है। प्रायः ग्राम के बाहर तालाब भी देखा गया जहां लोग स्नान करते है एवं मवेशियों (पशुओं) को पानी पिलाते है। ग्रामों के मुख्य भाग में स्कूल, पंचायत भवन आदि होते है। वर्तमान में पारे/टोले, स्कूल/हाट बाजार के समीप शासकीय हैण्डपंप स्थापित किया गया है।

ग्राम सीमा में बसाहटो के पीछे सामुदायिक निस्तारी हेतु एक दो तालाब पाये जाते हैं। ग्राम सीमा के अंदर 'देवालय' होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता स्थापित किये जाते हैं। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। वहां मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। पारा या टोला से लगे हुए अथवा दूर वनों से लगे छोटे–छोटे जोत की कृशि भूमि पर खेती की जाती है।

2.2 आवास निर्माण

धांगड़ समुदाय में आवास निर्माण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :–

(अ) भूमि चयन

धांगड़ जनजाति के लोग घर का निर्माण स्वयं करते है। ऐसा कोई निश्चित दिन या समय नहीं होता बल्कि किसी भी दिन ये लोग अपने घर के निर्माण की शुरूआत करते है। कुछ ही लोग विशेष दिन या तिथि का विशेष ध्यान रखते है। आवास का निर्माण जातीय धार्मिक सदस्य द्वारा बताये स्थान पर किया जाता हैं।

मकान बनाने के पूर्व धार्मिक सदस्य द्वारा नारियल, सिंदूर, गुड़ तथा धुप आदि का प्रयोग मंत्रोचार के साथ भूमि पूजन करता है तथा चयनित स्थान पर परिवार के सदस्य संख्या, पालतु पशुओं की उपलब्धता एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर आवास में कमरों के निर्माण की रूपरेखा तैयार करते हैं।

(ब) आवास निर्माण

आवास निर्माण के लिए सर्वप्रथम भूमि पर रस्सी एवं फावड़े द्वारा भूमि चिन्हित कर ली जाती है, तत्पश्चात् चिन्हित लाईन में 2 से 2) फीट की गहरी नींव खोदते हैं। नींव को पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह भरा जाता है, नींव पक्की होने पर दीवाल बनाने हेतु मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। आवास निर्माण हेतु मटासी अथवा लाल मिट्टी का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, जिसे पानी में भिंगोकर पैरा के पुवाल के साथ चिकना होने तक पैरों से कुचला जाता है।

इस मिट्टी को सीधे नींव के आकार में भरा जाता है। दीवाल निर्माण प्रातःकाल से किया जाता है तथा 1–2 फीट की ऊँचाई तक प्रतिदिन दीवाल पर मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि दिनभर की धूप से दीवाल पर्याप्त सूखती रहे। लगभग 3–4 फीट ऊँचाई तक दीवाल निर्माण हो जाने पर छोटी खिड़की या रोशनी हेतु झरोखा बनाया जाता है। लगभग 6–7 फीट दीवाल की निर्धारित ऊँचाई पूर्ण होने पर गोल लकड़ी की ''म्यार'' रख दी जाती है। पुनः दीवाल की ऊँचाई लगभग 2 फीट बढ़ायी जाती है। ''म्यार'' के बीचों–बीच लकड़ी की बल्ली लगायी जाती है, जिसके ऊपर मोखेन बनाया जाता है जो घर की छत का निर्माण करता है। मोखेन के चारों ओर दीवाल पर लकड़ी की ''कांड'' चढ़ायी जाती है, जिसके ऊपर बांस की चट्टियां बिछा दी जाती है, जिस पर पैरा की बनी 'खदर' (घास–फूस) अथवा देशी खपरैल से ''छा'' दिया जाता है।

घर के सामने आंगन में पशुओं की उपलब्धतानुसार एक तरफ पशु (गाय, बैल, भैस) को रखने का स्थान ''गोयसाली'' मुर्गा–मुर्गी रखने के लिए ''कुलसी'' तथा बकरी–बकरा रखने के लिए ''कुम्बा'' बनाया जाता है। अधिकांश घरों में बाड़ी पायी जाती है, जिसमें मौसमी साग–भाजी आदि लगायी जाती है।

आवास निर्माण हेतु मिट्टी बनाने का कार्य महिलाएँ एवं दीवाल में मिट्टी चढ़ाने, म्यार रखने एवं छत बनाने का कार्य पुरूशों द्वारा किया जाता है आवास हेतु दरवाजे एवं खिड़कियों स्थानीय बढ़ई द्वारा निर्माण करायी जाती है। सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में आवास की स्थिति निम्नानुसार पाया गया :–

तालिका क्रमांक - 04 आवास की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	89	72.36
2	पक्का	16	13.01
3	अर्धपक्का	18	14.63
योग		123	100.00

धांगड़ समुदाय द्वारा स्व:निर्मित आवास

तालिका अनुसार 72.36 प्रतिशत मकान कच्चे है। अर्धपक्के मकानों की तुलना में पक्के मकानों की संख्या कम है। जहां पक्के मकानों की प्रतिशत 13.01 प्रतिशत है। अर्द्धपक्के मकानों का प्रतिशत मात्र 14.63 है धांगड़ समुदाय में सर्वाधिक पक्के आवास शासकीय योजना इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से निर्माण हुए है।

2.3 आवास विभाजन

धांगड़ जनजाति में आवास आवश्यकता के अनुसार 2–3 कमरों का होता है, जिसमें सबसे अंदर (भीतरी भाग) को ''कुरिया'' कहते हैं। ''कुरिया'' से लगा हुआ बरामबद या दालान होता है, जिसे ''परछी'' कहा जाता है। परछी के एक कोने में रसोई घर पाया जाता है, जिसे ''रंधनी कुरिया'' कहते हैं।

गाय, बैल एवं अन्य पशुओं को रखने हेतु आंगन में एक ओर ''गोयसाली'' बनाया जाता है और दूसरी ओर धान कुटाई हेतु ''ढेकी सार'' पायी जाती है। इसी के एक कोने में पशुओं के ''चारा'' रखने हेतु स्थान होता है।

2.4 घर की सजावट एवं आवास व्यवस्था

धांगड़ समुदाय की आवास के आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु चिकनी मिट्टी या गोबर में पैरा

को जलाकर प्राप्त काली राख मिलाकर पहले दीवालों में मोटी छबाई की जाती है। तत्पश्चात् ''छुही'' (सफेद मिट्टी) से दीवारों की पुताई की जाती है। पुताई करते समय हाथों से एक विशिश्ट प्रकार की लहरदार प्रतिकृति सुन्दरता की दृश्टि से बनायी जाती है। फर्श की लिपाई प्रारंभ में चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी से की जाती है। बाद में सामान्यतः गोबर के घोल से लिपाई की जाती है।

नवनिर्मित घर की दिवालों या अनाज कोटी पर यह आकृति बनाई जाती है।

घर की सजावट के लिए दीवार में विभिन्न आकृति का चित्रण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हिरण, शिकार करता हुआ शिकारी आदि अनेक प्रकार के चित्रकारी किया जाता है। टूटे हुए कांच की चूड़ी से फर्श पर विभिन्न प्रकार के सुंदर आकृति बनाई जाती है।

घरों की दिवालों पर बनाई गई आकृतियां

आवास के भीतरी कक्ष में दो कमरो के बीच में एक ओर अनाज रखने हेतु ''**कुट्ठी**'' एवं चावल रखने की जगह ''**धुंदकी**'' का स्थान निश्चित होता है। यह पुराने मिट्टी के बर्तन को मिट्टी की लिपाई कर बनाया जाता है। बरामदे में अतिथियों के बैठने, ठहरने व सोने की व्यवस्था की जाती है। वहीं ''रंधनी कुरिया'' में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है। रंधनी कुरिया के एक कोने पर दो मुंहा चुल्हा लगा होता है, जबकि दूसरे कोने में पानी रखने की हंडिया एवं अन्य बर्तन रखे जाते है। घर के भीतरी कक्ष में संबंधित गोत्र के सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं। उस कक्ष में अन्य समाजों के सदस्य एवं घर की व्याहता पुत्री को भी विवाह पश्चात् ''पर गोत्री'' हो जाने के कारण प्रवेश वर्जित होता है।

2.5 घर की स्वच्छता एवं सफाई

धांगड़ समुदाय में घर की स्वच्छता एवं सफाई का दायित्व महिलाओं का होता है। महिलायें प्रातः उठकर रसोई घर साफ कर घर के अन्य कक्षों एवं आंगन में झाड़ू लगाती है। तत्पश्चात् गोबर से घर एवं

आंगन की लिपाई कर पशुओं के कोठे की साफ–सफाई करती है। गोबर से ''छेना' (कंडा) थापती हैं, शेष कचड़े को बाड़े में स्थित ''गोबर गढ्ढा'' पर फेंकती है।

इस समुदाय की महिलाओं नवा खाई (तुसगो), कार्तिक–पूर्णिमा (सोरहाई), होली (फग्गू) जैसे विशिष्ट त्यौहारों तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह जैसे विशेष संस्कारों में दीवाल आदि की पोताई (छुही एवं गोबर पानी से) की जाती है।

पठेरा (चिमनी, टार्च आदि रखेन के लिए)

2.6 व्यैक्तिक स्वच्छता

इस समुदाय में दांतों की सफाई दातुन से की जाती है। वर्तमान में टूथपेस्ट का प्रचलन देखा जा सकता है। आधुनिकता के प्रभाव के कारण युवा वर्ग ब्रश एवं टूथपेस्ट आदि का उपयोग करने लगे है। कई लोग गुडाखु का भी उपयोग करते है।

पुरूष सदस्य सुबह उठकर नदी, नाले अथवा तालाब आदि में दातून करते है। वहीं घरेलू महिलायें कामकाज निपटाकर नहाने के समय दातून करती है।

धांगड़ महिलायें सुबह घर के कामकाज, झाडू, लिपाई, कोठा (गोयसाली) आदि की सफाई पश्चात् स्नान करने जाती है। शरीर पर नहाते समय साबुन का उपयोग किया जाता है। बाल धोने हेतु चिकनी मिट्‌टी का उपयोग करती है। नहाने हेतु नदी, नाला, कुंआ, तालाब या शासकीय हैंडपंप का उपयोग किया जाता है।

पुरूष सदस्य अपने दैनिक कार्य से लौटते समय या वन विचरण से वापस लौटते समय ही नदी, तालाब आदि से नहाते हुए घर वापस आते हैं। बच्चे शीतकाल एवं वर्षाकाल को छोड़कर प्रतिदिन नहाते हैं। छोटे बच्चों को प्रायः घर पर ही बाड़ी आदि में स्नान करा दिया जाता है।

स्नान पश्चात् सिर व शरीर पर डोरी का तेल अथवा नारियल आदि का तेल उपयोग किया जाता है। महिलाओं में सौन्दर्य प्रसाधन जैसे–बिन्दी, पाउडर, क्रीम आदि का उपयोग करते देखा जा सकता है।

2.7 वस्त्र विन्यास

इस समुदाय में उम्र लिंग अनुसार वस्त्र विन्यास निम्नलिखित पाये गये :–

(अ) पुरूषों के वस्त्र

इस समुदाय में नवजात शिशु को छठी के पूर्व तक नये गमछे, लुंगी या अन्य कपड़ों में लपेटकर रखा जाता है। छठी के बाद ही बाजार से प्राप्त ''झबला'' आदि कपड़े पहनाये जाते है। स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को हाफ पैंट व कमीज पहनाया जाता है।

वयस्क पुरूष लुंगी या घुटने तक धोती पहनते हैं। ऊपरी भाग पर बनियान या कमीज पहनते हैं। आधुनिक परिवेश में अब कुछ व्यक्ति फुल पैंट व कमीज पहने देखे जा सकते हैं।

वृद्ध व्यक्ति सामान्यतः घुटने तक लंगोटी अथवा लुंगी पहनते हैं। ऊपरी भाग प्रायः खुला रहता है। सिर पर गमछा की पगड़ी बांधे रहते हैं। अतिथि अथवा अन्य कार्य हेतु गांव से बाहर जाने पर घुटने के नीचे तक की धोती एवं कमीज पहनते हैं तथा कंधे पर गमछा रखते हैं।

(ब) स्त्रियों के वस्त्र

इस समुदाय में छोटी लड़कियों को फ्राक या स्कर्ट कमीज पहनायी जाती है। स्कूल उम्र की लड़कियां प्रायः स्कर्ट एवं ब्लाऊज का उपयोग करती है। वहीं अन्य किशोरी महिलायें घुटने से थोड़ी नीचे तक की ''लुगड़ी'' अथवा सलवार कमीज पहनती है। महिलायें घुटने के नीचे तक रंग–बिरंगी साड़ी व ब्लाऊज पहनती हैं। वृद्ध महिलायें घुटने तक की ''लुगड़ा'' पहनती हैं। कुछ वृद्ध महिलायें ब्लाऊज पहनती नहीं पायी गयी। शरीर के ऊपरी भाग को लुगड़ी की पल्लू से ढ़का जाता है।

पति की मृत्यु पश्चात् विधवा महिलायें दशकर्म (दशगात्र) तक सामाजिक संस्कारों के तहत् सफेद साड़ी पहनती हैं। इसके बाद वह किसी भी रंग की साड़ी इच्छानुसार पहन सकती हैं।

इनमें परिवार के प्रत्येक सदस्यों के पास लगभग 2–3 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। महिलायें प्रायः नहाते समय साबुन या कास्टिक सोडा से कपड़े धोती हैं।

इस समुदाय में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विशेष त्यौहारों एवं विवाह आदि विशेष अवसरों पर नये वस्त्र खरीदे जाते हैं। धांगड़ जाति में वस्त्र निम्न सारणी में दर्शाये गये है :–

धांगड़ समुदाय के वस्त्र विन्यास

क्र.	नाम	उपयोग (पहनने)	उपयोगकर्ता
1	फ्राक	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़कियां
2	शर्ट	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़के व नवयुवक
3	चड्डी	शरीर के नीचे भाग पर	छोटे लड़के लड़कियां नवयुवक–युवतियां व पुरूष
4	हॉप पेंट	शरीर के नीचे भाग पर	छोटे लड़के नवयुवक
5	बनयान	शरीर के ऊपरी भाग में	छोटे लड़के नवयुवक
6	फुलपेंट	शरीर के नीचे भाग में	नवयुवक
7	अंगिया	शरीर के ऊपरी भाग में	लड़कियां व स्त्रियां
8	ब्लाऊज	शरीर के ऊपरी भाग में	स्त्रियां
9	लुगड़ा	शरीर में लपेटकर पहनने	स्त्रियां
10	साड़ी	शरीर में लपेटकर पहनने	नवयुवतियां
11	स्कर्ट	शरीर के नीचे भाग में	स्कूली छात्राएं
12	धोती	शरीर के नीचे कमर से घुटने तक	पुरूष
13	कुर्ता	शरीर के ऊपरी भाग में	पुरूष
14	शलवार	शरीर के नीचे भाग में एड़ी तक	युवतियां
15	कुर्ती	शरीर के ऊपरी भाग में	युवतियां
16	दुपट्टा	शरीर में लपेटकर	युवतियां
17	लुंगी	शरीर के नीचे भाग	नवयुवक / पुरूष
18	लंहगा	शरीर के नीचे भाग	स्त्रियां
19	गमछा	हाथ–मुंह पोछने	नवयुवक / पुरूष / वधु
20	टावेल	हाथ–मुंह पोछने एवं नहाने	लड़के / पुरूष

(स) ओढ़ने बिछाने के कपड़े

इस समुदाय में ओढ़ने–बिछाने हेतु पुरानी कटी–फटी साड़ियाँ लुगाड़ा, लंगोटी, लुंगी, आदि की सिलाई कर ''गोदरी'' बनायी जाती है। प्रति परिवार 3–4 ''गोदरी'' पायी जाती है। कभी–कभी खजूर वे छिन्द पत्तों से बनाई गई चटाई का उपयोग बिछाने के लिए किया जाता है। ओढ़ने हेतु स्थानीय गड़रिया द्वारा निर्मित अथवा बाजार से क्रय किया गया रूएं का कंबल प्रयोग किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य 200–400 रू. तक होता है। गोदरी का उपयोग भी ओढ़ने हेतु किया जाता है। आधुनिक परिवेश में ओढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर चादर भी खरीदने लगे हैं।

2.8 साज श्रृंगार एवं आभूषण

इस समुदाय की पुरूष–स्त्रियां व बच्चे नहाने के पश्चात अपने शरीर में तेल लगाते है जिसे बाजार से खरीदा जाता है पूर्व में स्त्रियां व बच्चे आंखों में काजल लगाते थे परन्तु वर्तमान में यह बहुत कम ही उपयोग करते है। वर्तमान में सुहागिन स्त्रियॉं मांग में सिंदूर लगाती है। माथे पर बाजार से खरीदी हुई बिंदी (टिकली) लड़कियां व विवाहित स्त्रियां लगाती है। सुहागिन स्त्रियां कांच की रंगीन चुडियां दोनो कलाईयों में पहनती है। लड़कियां, प्लास्टिक की चुडिया या कंगन पहनती है। तीज त्यौहार के अवसरों पर या मंदिर जाते समय स्त्रियां अपने पैरों में आलता (माहुर) लगाती हैं।

धांगड़ समुदाय में लड़कियों के कान व नाक बचपन में छेद लिये जाते है। कान–नांक पूर्व में घर के किसी सदस्य द्वारा ही छेद लिया जाता था परन्तु वर्तमान में सुनार लोग बाजार में या गांव में आकर बाली या मशीन के द्वारा नाक–कान छेदते है। कुछ पुरूषों को कान में बाली पहनते भी देखा गया है।

धांगड समुदाय की स्त्रियां गहने पहनने के शौकिन होती है। सोने, चांदी, गिलट, पीतल कांच, प्लास्टिक व रेशम के आभूषण आदि पहनते है जो अंगो के अनुसार नीचे सारणी में दर्शाये जा रहे है :–

धांगड महिलाओं के साज-श्रृंगार की वस्तुएँ

क्र.	आभूषण	उपयोग	धातु	बजार-मूल्य (रू. में)
1.	कलदार	गले में	गिलट	300–50
2.	सुता	गले में	गिलट	200–400
3.	ठार, करछी	कान में	गिलट / चांदी	1500–2000
4.	बहुटा, नागमोरी	बाजू में	गिलट / चांदी	150–2000
5.	ककनी, हरईया	कलाई में	गिलट / चांदी	300–1500
6.	मुंद्री	हाथ की उंगली में	गिलट / चांदी	20–100
7.	करधन	कमर में	गिलट / चांदी	300–2500
8.	चुड़ा	पैर में	गिलट / चांदी	150–1200
9.	चुटका	पैर की उंगली में	गिलट / चांदी	20–150
10.	बिन्दी (चिकली)	माथे में	रबर	5–10

उपरोक्त आभूषण साप्ताहिक हाट–बाजार अथवा स्थानीय फेरीवाले से खरीदे जाते है। विधवा महिलायें हाथों में कनकी (चांदी / एल्युमिनियम / गिलट की बनी) पहनती हैं। अविवाहित बालिकाएँ श्रृंगार की दृष्टि से गले में चैन, कान में ठार या कराठी एवं पैरों में पायल आदि पहनती हैं।

श्रृंगार की दृष्टि से पुरूष वर्ग भी गले में माला, गुरूमाला, कान में बारी, कलाई में चूड़ा एवं हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहने देखे जा सकते हैं, जिसे स्थानीय बाजार या मेले में लगी दुकानों से खरीदते हैं।

गोदना/गोदा

धांगड़ समुदाय में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। धांगड जनजाति की महिलाओं में शरीर पर गोदना गुदवाने की प्रथा बहुत अधिक है। मान्यता है कि गोदना स्त्रियों का गहना होता है। मृत्यु पश्चात शरीर के सभी आभूषण निकाल दिये जाते है किन्तु ''गोदना'' शरीर के साथ जाता है। इसे अलग नही किया जाता। इन महिलाओं के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर में गुदना होता है वह मरने के बाद एक बार अपने परिवार से मिलने अवश्य आता है। गोदना गोदने का कार्य गांव में या बाजार में गोदना गोदने वाली जाति की स्त्रियां करती है। गोदना गुदाने में दर्द होता है किन्तु स्थाई आभूषण का शौक इन्हे दर्द सहन करने हेतु प्रेरित करता है।

धांगड़ जनजाति में गोदना

इस समुदाय में गोदना प्रायः 12–15 वर्ष की आयु तक गुदवा लिया जाता था विवाह पश्चात् गोदना निषेध होता हैं। इनमें गोदना निम्न प्रकार का होता है, जैसे – हाथों की भुजाओं में ''बिच्छु'', हाथों पर ''डोरा'', घुटने के ऊपर जांघ पर ''पीपरपान'', उल्टी हथेली में बिल्ली या खरगोश के तलवे की प्रतिकृति, पिंडली के चारों ओर विभिन्न आकृतियां तथा पैर के पंजे के ऊपर बिन्दी, बिच्छु, नाग आदि आकृतियों की गोदना गुदवाती है।

पूर्व में गोदना गुदवाने हेतु 5–7 रू. या चावल दिया जाता था लेकिन वर्तमान में गोदना गुदवाने के लिए 50–100 रू. दिया जाता है। स्थानीय देवारिनों (देवार जाति की स्त्रियां) द्वारा साप्ताहिक बाजार या मेले आदि में गोदने का कार्य किया जाता हैं।

2.9 घरेलू उपकरण

धांगड़ परिवार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न आवश्यक उपकरणों/वस्तुओं का संग्रह करता है जिनका उपभोग दैनिक क्रियाकलापों को सम्पादित करने में आवश्यक होता है। धांगड़ समुदाय निम्नानुसार घरेलु उपकरण पाये जाते है :–

क्र.	उपकरण का नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माण	उपयोग
1.	हाड़ी	20–50	मिट्टी	कुम्हार	भात बनाने
2.	कड़ाही	100–200	एल्यूमिनियम	बाजार	साग (सब्जी) बनाने
3.	तवा	75–150	लोहा	बाजार	रोटी बनाने
4.	डोकसी	20–30	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) चलाने
5.	डेचकी	100–150	एल्यूमिनियम	बाजार	पानी लाने, भात बनाने
6.	करछुल	20–30	एल्यू./लोहर	बाजार	साग सब्जी निकालने
7.	चाटू	–	लकड़ी	स्वनिर्मित	साग सब्जी निकालने
8.	डूवा	25–50	लोहा	बाजार	दाल निकालने
9.	कन्नौजी	20–40	मिट्टी	कुम्हार	पानी देने
10.	लोटा	150–200	कांसा	बाजार	पानी पीने/देने
11.	गिलास	40–100	कांसा/स्टील	बाजार	पानी पीने
12.	थाली	100–400	स्टील/कांसा	बाजार	खाना खाने
13.	माली/कटोरी	10–30	स्टील/कांसा	बाजार	सब्जी रखने
14.	हडुला	400–1000	पीतल	बाजार	पानी रखने, भरने
15.	बाल्टी	150–300	एल्यूमिनियम	बाजार	पानी भरने
16.	टोकिया/झऊहा	–	बांस	स्वनिर्मित	सब्जी रखने
17.	सुपा	–	बांस	स्वनिर्मित	अनाज आदि साफ करने
18.	ढेकी	–	लोहा/लकड़ी	स्वनिर्मित	धान कुटने हेतु
19.	सिलबट्टा	50–100	पत्थर	स्व./बाजार	चटनी/मसाला पीसने
20.	जाता	50–75	पत्थर	स्व./बाजार	चावल/दाल आदि पीसने
21.	पढेरा	–	लकड़ी	स्वनिर्मित	तेल, मसाला रखने
22.	चटई	100–150	खजूर, छिंदपत्ता	बाजार	सोने, बैठने हेतु
23.	पीढ़ा	–	लकड़ी	स्वनिर्मित	बैठने, भात पसाने आदि
24.	बहरी	–	बिरनी घास	स्वनिर्मित	झाड़ने
25.	तिजा	–	पैरा (धान) रस्सी	स्वनिर्मित	धान रखने
26.	चुल्हा	–	मिट्टी	स्वनिर्मित	भोजन पकाने, आग जलाने
27.	सरकी	–	गोंदला घास	स्वनिर्मित	बैठने, बिछाने हेतु

सील बट्टा (मसाला आदि पिसने के लिए)

खाना बनाने का चूल्हा

घरेलु उपकरण

2.10 कृषि उपकरण

धांगड़ समुदाय के सदस्य परम्परागत पद्धति से कृषि करते है, जिसके लिए उन्हें कुछ पारंपरिक कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह समुदाय आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होने के कारण सीमित व पारम्परिक उपकरणों के माध्यम से ही कृषि कार्य करती हैं। कृषि उपयोग किये जाने वाले प्रमुख कृषि उपकरण निम्नानुसार हैं :–

धांगड़ समुदाय के कृषि उपकरण

क्र.	कृषि उपकरण	उपयोग	निर्मित वस्तु	निर्माण	बाजार मूल्य (रू. में)
1.	नागर (हल)	भूमि जुताई हेतु	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	300–400
2.	जुड़ा	बैल जोतने हेतु	लकड़ी	स्वनिर्मित	100–150
3.	कोपर	मिट्टी समतल करने में	लकड़ी	स्वनिर्मित	200–400
4.	रापा (फावड़ा)	मिट्टी खोदने, समतल	लोहा/लकड़ी	बाजार	100–150
5.	गैती	भूमि खोदने	लोहा/लकड़ी	बाजार	150–300
6.	कुदाल	भूमि खोदने	लोहा/लकड़ी	बाजार	50–100
7.	साबल	भूमि खोदने	लोहा	बाजार	100–400
8.	हसिया	फसल काटने	लोहा	बाजार	50–150
9.	दवरी	मिंजाई हेतु बैल बांधने	रस्सी	स्वनिर्मित	–
10.	सूपा	अनाज साफ करने हेतु	बांस	बाजार से	40–50
11.	गाड़ी	फसल लाने हेतु	लकड़ी	बढ़ई	4000–5000

कृषि उपकरण

2.11 शिकार एवं मत्स्य आखेट उपकरण

शिकार पर प्रतिबंध के कारण इस समुदाय द्वारा वर्तमान में शिकार (खेदा) नहीं किया जाता है। फसलों की रक्षा करने व मनोरंजन के उद्देश्य से पक्षियों का शिकार किया जाता हैं। यह समुदाय नदी, नालों, तालाबों एवं वर्षाकाल में खेतों आदि में मत्स्य आखेट करता है। शिकार एवं मत्स्य आखेट हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है :–

क्र.	शिकार उपकरण	उपयोग	निर्माण
1.	धनुष, बाण	पक्षी, जानवर, मछली मारने	लकड़ी, लोहा
2.	टंगिया	काटने	लकड़ी, लोहा
3.	चोप गवा	पक्षी फसाने	बांस, गोंद
4.	गुलेल	फल गिराने, चिड़िया मारने	रबर, लकड़ी
5.	जाल	मछली फसाने	तांत (रस्सी)
6.	चोरिया	मछली फसाने	बांस
7.	गरी	मछली फसाने	बांस
8.	झोलनी जाल	मछली फसाने	तात (जाल)
9.	पेलनी	मछली फसाने	बांस+तांत

2.12 संगीत के उपकरण

धांगड़ समुदाय में गीत एवं संगीत का विशेष महत्व हैं। समय–समय पर त्यौहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह संस्कार आदि अवसरों पर परम्परागत रूप से लोक गीतों को वाद्ययंत्रों की मदद से गाया जाता है। वाद्ययंत्रों में मांदर का उपयोग प्रमुखता से किया जाता था। उक्त वाद्य यंत्र प्रत्येक परिवार में नहीं होता है बल्कि किसी–किसी परिवार व सामाजिक तौर पर रखा जाता है।

2.13 आग प्रज्ज्वलन के उपकरण

धांगड़ समुदाय में आग जलाने हेतु पारम्परिक रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्रथम विधि में लकड़ी के चौड़ें व समतल टूकड़ों के बीच में लगभग एक इंच गहरा गोल छेद कर उसमें सूखी घास डालते हैं तथा एक फीट लम्बी लकड़ी को दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हैं और तेजी से घुमाते हैं, जिससे नीचे छेद में घर्षण के कारण आग उत्पन्न हो जाती है।

दूसरी विधि में बांस के दो सूखे टूकड़े लेकर आग उत्पन्न की जाती है। बांस की एक टूकड़े को जमीन पर रखा जाता है और दूसरे टूकड़े को उसके ऊपर ''कमचील'' के गोलाई का खांच बनाकर लकड़ी को तेज चलाया जाता है, जिसके घर्षण से सुखी लकड़ी होने के कारण आग उत्पन्न हो जाती है, जिसे पैरा अथवा जंगली घास–फुंस के माध्यम से फुंक कर तैयार कर लिया जाता है।

धांगड़ समुदाय घर में प्रकाश हेतु चिमनी में मिट्टी तेल डालकर एवं डोरी तेल का उपयोग दीया जलाकर करते हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचने हेतु साल या अन्य लकड़ी का ''अंगेठा'' तापने के लिए बरामदे में जलाया जाता है, जिसकी आग से भी रोशनी होती है।

2.14 परिवहन के साधन

धांगड़ समुदाय वर्तमान समय में प्रमुख सड़कों से दूर वनांचल में निवासरत है। कुछ धांगड़ समुदाय निवासित ग्राम कच्ची सड़कों से लगे पाये गये। अतः उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएँ की पूर्ति हेतु हाट–बाजार आदि जाना होता हैं। अधिकांश परिवार बाजार पैदल जाते हैं। वर्तमान में सायकल आदि का उपयोग भी किया जाने लगा है।

चिकित्सा हेतु शहर जाने, आधिक दूरी की यात्रा करने आदि के लिए उपलब्धता के अनुसार बस, ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

2.15 भोजन

धांगड़ समुदाय के भोजन में चावल, दाल तथा मौसमी सब्जियां मुख्य हैं। चावल का ''भात'' तथा चावल आटा की रोटियां (चीला), बासी आदि भी खाया जाता है। बच्चे दो या अधिक बार भोजन करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी नियमित रूप से नहीं बनायी जाती हैं। इन परिवारों में सब्जियों को रसदार बनाकर या टमाटर, मिर्च, नमक आदि की चटनी के साथ भोजन किया जाता है।

(अ) दैनिक भोजन

सामान्यतः दिन में दो बार भोजन किया जाता है। बीच में भूख लगने पर पेज, मुर्रा, रोटी आदि भी खाते हैं। कई बार सब्जी व दाल के अभाव में टमाटर, मिर्च की चटनी के साथ भी खाते हैं। मौसमी सब्जियों में बाड़ी, जंगल आदि से प्राप्त की गई साग भाजी का उपयोग किया जाता हैं, साग भाजी, टमाटर, करील, पुटु आदि को सुखाकर भी अन्य दिनों के लिए रखा जाता है।

(ब) मांसाहार

इस समुदाय में मांसाहार नियमित नहीं किया जाता हैं। प्रायः अतिथि आगमन, त्यौहारों, विशेष अवसरों, साप्ताहिक हाट–बाजार के दिन ही इसका सेवन किया जाता है।

(स) मद्यपान/तम्बाकू

इस समुदाय में मद्यपान सामान्यतः सभी द्वारा किया जाता हैं। स्वयं का बनाया हुआ ''शराब'' का सेवन महिला–पुरूष व कभी–कभी बच्चे भी करते हैं। इनमें पुरूष वृद्धजन तम्बाकू को तेन्दूपत्ता में लपेटकर बीड़ी के रूप में सेवन करते हैं। गुड़ाखू का प्रचलन विशेषकर महिलाओं में अधिक करते पाया गया। किशोर व युवा वर्ग तम्बाकूयुक्त गुटखा का सेवन करता है।

(द) कोसना (झरा)

धांगड़ समुदाय के लोग चावल से बना ''झरा'' बनाते है जिसमें विशेष प्रकार के जड़ी बूटी को चावल/कोदो में मिला कर छोटे–छोटे गोले बनाया जाता है जिसे बिच्ची कहते है, जिसे अरवा चावल के साथ मिलाकर बनाया जाता है जिसमें तीन से चार दिन लगता है। जिसे त्यौहारों/कार्यक्रमों में परोसा जाता है।

धांगड़ समुदाय में शराब बनाने का प्रचलन कम है, इस समुदाय में मादय पेय पदार्थ में कोसना शामिल है इसके साथ ही महुआ की बहुलता के कारण महुआ दारू भी इनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। धांगड़ समुदाय प्रत्येक पूजा, पूर्वजों की पूजा, पर्व में ईष्ट देव की पूजा, करमदेव की पूजा, जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार य अन्य आयोजन हो सभी में कोसना पानी को पवित्र मानकार सर्वप्रथम ईष्ट देव या धर्मेश को चढ़ाया जाता है। कोसना के बिना धांगड़ समारोह या पूजा अपूर्ण मानी जाती है।

कोसना (झरा)

(इ) दूध/मिठाईयाँ

इस समुदाय द्वारा दूध का सेवन घर में उपलब्धतानुसार चाय आदि बनाने में किया जाता हैं। दूध अधिक मात्रा में उपलब्ध होने पर विक्रय कर दिया जाता है। इस जाति में मिठाई बहुत ही कम मात्रा में उपयोग की जाती है। मिठाई त्यौहारों, हाट बाजार के दिन अथवा विशेष अवसरों पर ही क्रय की जाती है।

(फ) भोजन बनाने की प्रविधि

चावल

मिट्टी की बनी चुल्हे में हांडी पर आवश्यकतानुसार पानी को डालकर उबलने दिया जाता है, जिसे ''अंधना आना'' कहा जाता है। इसके पश्चात् चावल धोकर उबलते हुए पानी में डाल देते हैं फिर ढक्कन से ढक दिया जाता है। पकने की स्थिति में चम्मच से बीच–बीच में निकालकर हार्थों से दबाकर देखा जाता है। चावल पकने के पश्चात् पसाया जाता हैं। पानी निकल जाने पर पके हुए भोजन को ''भात'' कहा जाता है।

सब्जी

कड़ाही में आवश्यतानुसार तेल डालकर कटी हुई सब्जी या भाजी को डालकर भून लिया जाता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला आदि डाला जाता है तथा उसे पकने दिया जाता है।

मांसाहार (शिकार)

कड़ाही में तेल डालकर मुर्गे/मछली आदि को इच्छानुसार टूकड़े में करके हल्की आंच में भूना जाता है। इसके बाद लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी नमक आदि का मसाला बनाकर उसमें डाला जाता है। पकने के बाद सेवन किया जाता है। उसी प्रकार सामूहिक भोज आदि के समय बकरा को मारकर आग में भूनकर साफ–सफाई कर इच्छा अनुरूप काटा जाता है, कटे हुए मांस को पहले भुनकर मसाले आदि में पकाया जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 3 आर्थिक जीवन

धांगड़ जनजाति की अर्थ व्यवस्था सीमित एवं सरल है, जो मुख्य रूप से कृषि एवं कृषि मजदूरी पर आधारित होता है। ये वर्तमान में भी प्राकृतिक आय के स्त्रोतो पर निर्भर है। इनका आर्थिक जीवन ऋतुओं से संबंधित क्रियाकलापों पर आधारित होता है। कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, आखेट, पशुपालन और जंगलों से लकड़ी एकत्र करना इनके अर्थव्यवस्था के साधन है। इनका कार्य वर्ष पर्यन्त तक चलता है, और जितना आर्थिक लाभ होता है, उससे ही अपना गुजर–बसर करते है।

धांगड़ समुदाय के सदस्य वनोपज संकलन, कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपालन, मछली मारना आदि कार्यो से जीविका चलाते हैं। इस समुदाय में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को ही सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वार्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है।

3.1 सम्पत्ति

धांगड़ जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :–

i) व्यक्तिगत सम्पत्ति

ii) परिवारिक सम्पत्ति

iii) सामूहिक सम्पत्ति

iv) व्यक्तिगत सम्पत्ति

समाज में परिवार के सदस्य द्वारा स्वयं की मेहनत से अर्जित अथवा क्रय की गयी अथवा प्राप्त वस्तुयें व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती है। इसमें वाद्य यंत्र, शिकार के उपकरण, सायकल, घड़ी आदि आते हैं।

ii) पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त सम्पत्ति अथवा पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति आदि पारिवारिक सम्पत्ति के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत, जमीन, मकान, पशु, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

iii) सामूहिक सम्पत्ति

इस समुदाय में नदी–नाला, तालाब, चारागाह, वन–पहाड़, ग्राम आदि को सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है, जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है।

3.2 सम्पत्ति हस्तांतरण

धांगड़ समुदाय में पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण सत्ता या सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता हैं। पिता द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है। सम्पत्ति वितरण में धांगड़ जनजाति में बड़े पुत्र को अन्य छोटे पुत्रों की तुलना में कुछ ज्यादा सम्पत्ति (जमीन) हस्तांतरित की जाती है, जिसे ''जेठोसी'' कहा जाता है। धांगड़ समाज में यह

मान्यता है कि बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश, शिक्षा, विवाह आदि में पिता का सहयोग करता है। सम्पत्ति वितरण की इस प्रक्रिया में छोटे भाईयों को भी आपत्ति नहीं होती एवं सामाजिक नियम मानते हुए पालन भी करते हैं। पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का अधिकार प्रायः नहीं पाया जाता।

विशेष परिस्थिति में यदि पिता की कोई पुत्र संतान न हो और केवल पुत्री संतान हो, तो पिता कोशिश करता है कि पुत्री के विवाह पश्चात् दामाद (पुत्री का पति) उसी के घर पर रहे अर्थात् वह 'घरजिया' विवाह को प्राथमिकता देता है तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण अपनी पुत्री एवं दामाद को करता है। ''घरजिया'' विवाह में दामाद द्वारा ''वधू मूल्य (सुकपैसा)'' चुकाना नहीं पड़ता है। यदि किसी दम्पत्ति की कोई भी संतान न हो तो वह अपने भाई के पुत्र अथवा बहन के पुत्र (भांजा) लेता है और सम्पत्ति का हस्तांतरण करता है।

3.3 प्राथमिक एवं गौण व्यवसाय

धांगड़ समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी आदि पर आधारित होती है। आय की मुख्य निर्भरता के आधार पर प्राथमिक व द्वितीयक व्यवसाय के रूप में विभाजित किया जा सकता है। धांगड़ जाति के सर्वेक्षित परिवारों में प्राथमिक व्यवसाय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 05 प्राथमिक व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	परिवार संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	37	30.08
2	वनोपज	09	07.32
3	मजदूरी	61	49.59
4	नौकरी	11	08.94
5	अन्य	05	04.07
योग		**123**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धांगड़ जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 49.59 प्रतिशत परिवार मजदूरी, कृषि मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये, 30.08 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते हैं। वनोपज संग्रहण को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 07.32 प्रतिशत परिवार करते पाये गये। नौकरी (शासकीय एवं गैर–शासकीय) को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 08.94 प्रतिशत परिवार के मुखिया करते पाये गये, जबकि 04.07 प्रतिशत परिवार अन्य कार्यो जैसे–राजमिस्त्री, ईट भट्टी में कार्य आदि को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

गौण व्यवसाय

धांगड़ जनजाति में प्राथमिक व्यवसाय से वर्ष भर परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नही होने के कारण आय के अन्य स्त्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे अन्य गौण व्यवसाय में संलग्न रहकर आय अर्जित की जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में पाये जाने वाले गौण व्यवसाय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 06 गौण व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	परिवार संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	23	18.70
2	वनोपज	43	34.96
3	मजदूरी	48	39.02
4	नौकरी	–	–
5	अन्य	09	07.32
योग		**123**	**100.00**

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 39.02 प्रतिशत परिवार मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। जबकि 34.96 प्रतिशत परिवार वनोपज संकलन को, 18.70 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य को एवं 7.32 प्रतिशत परिवार अन्य कार्य को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

वनोपज संग्रह

स्व:निर्मित खप्पर

3.4 आर्थिक संरचना

धांगड़ समुदाय की आर्थिक संरचना मानव एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है अर्थात् अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है। यह समुदाय समयानुसार व भूमि उपलब्धतानुसार कृषि कार्य भी करता है। साथ ही वनोपज संकलन, मजदूरी, शिकार–मत्स्य आखेट, कृषि मजदूरी आदि कार्य कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(अ) कृषि

(1) **भूमि धारिता** :- सर्वेक्षित परिवार में भूमि धारिता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 07 भूमिधारिता

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिधारक	93	75.61
2	भूमिहीन	30	24.39
योग		123	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में 75.61 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि उपलब्ध है। 24.39 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये।

(2) कृषि भूमि वितरण

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में कृषि भूमि का वितरण असमान पाया गया। किसी परिवार के पास वर्ष भर के अनाज उत्पादन हेतु कृषि भूमि उपलब्धता नहीं है तो दूसरी ओर किसी परिवार के पास पर्याप्त कृषि भूमि होते हुए भी अनेक कारणों की वजह से आवश्यकता पूर्ति लायक उत्पादन भी नहीं ले पाता हैं। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि के वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 08 कृषि भूमि का वितरण

क्र.	भूमि (एकड़ में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिहीन	30	24.39
2	0.01 – 1 एकड़	29	23.58
3	1.01 – 2 एकड़	36	29.27
4	2.01 – 3 एकड़	19	15.45
5	3.01 – 4 एकड़	08	06.50
6	4.01 – 5 एकड़	–	–
7	5.01 से अधिक	1	00.81
योग		123	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में 24.39 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। सर्वाधिक 29.27 प्रतिशत परिवारों के पास 1.01–2 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है। 23.58 प्रतिशत परिवारों के पास 0.01–1 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। 15.45 प्रतिशत परिवारों के पास 2.01–3 एकड़ व 06.50 प्रतिशत परिवारों के पास 3.01–4 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। 00.81 प्रतिशत परिवारों के पास ही 5 व 5.01 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि पायी गई। सर्वेक्षित भूमिधारक धांगड़ परिवारों के पास कुल 183.95 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। जो औसतन प्रति परिवार 1.98 एकड़ है। अधिकांश भूमि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप एक ही फसल लेते हैं।

(3) मुख्य फसल

धांगड़ समुदाय की संपूर्ण कृषि विधि पारम्परिक है। यह समुदाय पारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से कृषि कार्य करता है। कृषि भूमि में समुदाय के बहुत ही कम लोग आधुनिक खाद जैसे–फॉस्फेट, यूरिया व कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, भूमि की उर्वरता का कम होना, पारम्परिक विधि से पैदावार करना आदि माना जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि ऊपज में संलग्नता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 09 कृषि उपज में सलग्नता

क्र.	कृषि उपज (फसल)	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धान	91	73.98
2	कोदो–कुटकी	39	31.71
3	ज्वार–बाजरा	10	08.13
4	गेहू	34	27.64
5	दलहन (अरहर, उडद, तिवड़ा)	30	24.39
6	तिलहन (सरसो तिल)	21	17.07
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123			

(i) धान

धांगड़ समाज की मुख्य फसल धान है। धान की फसल हेतु बीज प्रायः जून–जुलाई में लगाया जाता है। धान की फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। मानसूनी वर्षा होने पर खेतों को ''नागर'' (हल) द्वारा जोता जाता है, जिस परिवार में बैल नहीं होता है, वे निकट संबंधियों के हल बैल की सेवा लेते हैं। इनके खेत छोटे–छोटे ''डोली'' में विखण्डित होते हैं। दो बार जुताई कर गोबर की खाद छिड़कर धान बोया जाता है।

धान की बुआई धान की फसल हेतु कृषि भूमि को तैयार कर निम्नांकित विधियों के धान बोया जाता है :–

(1) बतराहा

इस विधि मे प्रथम वर्षा के पश्चात् जुताई कर धान को छिड़क देते हैं। तत्पश्चात् 'कोपर' (समतल करने का पाटा) से खेत को समतल कर देते हैं, जिससे एक जगह पर पानी का जमाव न हो सके।

(2) लहियारा

इस विधि में वर्षा के पानी से खेतों की जुताई कर मिट्टी को लसलसा (कीचड़) बनाकर तैयार कर लिया जाता है, बोने वाले बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखने के पश्चात् खेतों में बुआई कर दी जाती है। जिससे धान का अंकुरण शीघ्र होकर जड़ पकड़ लेता है। इसके 8–10 दिनों बाद खेतों में पानी भर दिया जाता है।

(3) रोपा

रोपा विधि में किसी एक स्थान को तैयार कर धान की ''थरहा'' (नर्सरी) लगायी जाती है। 20–30 दिनों पश्चात् धान के पौधे रोपाई हेतु तैयार हो जाते है, जिसे जुताई कर तैयार किये हुए खेत पर रोपाई कर दी जाती है। धान के पौधे के जड़ पकड़ने एवं सीधे होने के बाद खेत में पानी भर दिया जाता है।

(4) बियासी

धान बोने के प्रथम दो विधियों में धान बोनी के 30–40 दिन बाद ''बियासी'' किया जाता है, जिसमें बोये गये धान के पौधों वाले खेतों पर हल चलाया जाता है जिससे मिट्टी पोला (ढीली) हो जाये और जड़ का फैलाव गहराई तक मजबूती से पकड़ सके। बियासी के बाद खेत के समतलीकरण हेतु कोपर चला दिया जाता है।

(5) निंदाई

बियासी के 15–20 दिनों पश्चात् धान के पौधों के बीच उगे हुए अन्य घास खरपतवार की निंदाई की जाती है, जिससे धान के पौधे पूर्ण विकसित हो सके। घुटने की ऊँचाई तक खेतों में पानी भर दिया जाता है। कार्तिक माह (अक्टूबर–नवम्बर) तक फसल पक कर तैयार हो जाती है।

(6) कटाई

फसल पक जाने पर ''धरती माता'' की नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि के पूजा कर कटाई प्रारंभ की जाती है। इस कार्य में सगे संबंधी परस्पर एक–दूसरे का सहयोग करते है।

(7) मिंजाई एवं भंडारण

कटी फसल को एक जगह सुरक्षित रखा जाता है, जिसे खलिहान ''कुट्ठी'' कहते हैं। कुट्ठी में ''दवरी'' विधि द्वारा फसल की मिंजाई की जाती है। ''दवरी'' विधि में 4–5 बैलों को 'दवरी' में बांधकर फसल पर चलाया जाता है। मिंजाई पूर्ण होने पर धान का भण्डारण ''कुट्ठी'' में भरकर किया जाता है और पैरा को पशुओं के चारा के रूप में पृथक कर कुट्ठी के एक कोने में रखा जाता है, जिसे ''बुसउ गादा'' कहते हैं।

कृषि की पारम्परिक पद्धति के कारण एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें धान का औसत उत्पादन लगभग 6–10 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। धान का बाजार मूल्य प्रति किलो 10–12 रू. होता है।

तालिका क्र. 9 अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 73.98 प्रतिशत परिवारों द्वारा धान का उत्पादन करना पाया गया।

(ii) कोदो-कुटकी

कोदो–कुटकी की फसल का उत्पादन प्रायः टिकरा (भांठा) जमीन पर किया जाता है। ''अकरस'' जुताई कर आषाढ़–सावन में इसकी बोनी कर दी जाती है। उपलब्धतानुसार गोबर खाद का छिड़काव किया जाता है। वर्षा के पानी से आश्विन माह तक फसल पककर तैयार हो जाती है। नवाखाई त्यौहार के पूर्व तक कटाई कर फसल को लकड़ी आदि से पीठकर मिंजाई की जाती है। कोदो–कुटकी का उत्पादन स्वयं की उपभोग की दृष्टि से किया जाता है, जिसे ''पेज'' के रूप में खाया जाता है।

तालिका क्र. 9 से स्पष्ट है कि 31.71 प्रतिशत परिवार कोदो–कुटकी का उत्पादन करते पाये गये।

(iii) ज्वार-बाजरा

ज्वार–बाजरा का उत्पादन घर के समीप बाड़ी में किया जाता है। वर्षा के प्रारंभ में बाड़ी को जोतकर गोबर खाद डाल दिया जाता है। इसके पश्चात् ज्वार–बाजरा की बीज को बुआई कर ''कोपर'' चला दिया जाता है। ज्वार–बाजरा की फसल भादो–आश्विन माह में पककर तैयार हो जाता है, जिसे काटकर गुच्छे बनाकर मिंजाई करके सुरक्षित रखा जाता है। सर्वेक्षण में 08.13 प्रतिशत परिवार ज्वार–बाजरा का उत्पादन करते पाये गये।

(iv) गेहूँ

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों में गेहूँ की फसल ली जाती है। सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था होने पर खेतों में धान की छोटी किस्मों या कोदो–कुटकी की फसल जल्दी कट जाने पर नवम्बर–दिसम्बर माह में गेहूँ की बोनी की जाती है। मार्च–अप्रैल माह तक फसल पक कर तैयार हो जाती है, जिसकी मिंजाई कर भण्डारण प्लास्टिक की बोरी आदि में किया जाता है।

तालिका क्र. 9 के अनुसार सर्वेक्षित 27.64 प्रतिशत परिवारों द्वारा गेहूँ का उत्पादन किया जाना पाया गया।

(v) दलहन (अरहर, उड़द, तिवड़ा)

अरहर एवं उड़द के लिए भर्री भूमि या टिकरा भूमि उपयुक्त होती है। जून–जुलाई माह में अरहर एवं उड़द के बीज बोये जाते है और गोबर खाद को छिड़काव कर दिया जाता है। उड़द की फसल सितम्बर–अक्टूबर माह तक तैयार हो जाती है। जबकि अरहर की फसल दिसम्बर तक पक कर तैयार हो जाती है। पकने के पश्चात् उड़द एवं अरहर को उखाड़कर सुखा दिया जाता है। बाद में लकड़ी से पीटकर मिंजाई कर ली जाती है। तिवड़ा का उत्पादन के लिए अलग से जमीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए धान की बालियां आने के समय तिवड़ा के बीज को खेत में छिड़काव कर देते हैं। धान काटे जाने के समय तिवड़ा के पौधे विकसित हो जाते हैं। और फरवरी–मार्च तक फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसे उखाड़ कर मिंजाई कर भण्डारण कर लिया जाता है। इन फसलों का उत्पादन उपभोग हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित 24.39 प्रतिशत परिवारों द्वारा दलहन की फसल लेते पाये गये।

(vi) तिलहन (सरसों, तिल)

सरसों एवं तिल की फसल कुछ क्षेत्रों के धांगड़ परिवारों द्वारा ली जाती है। सरसों की फसल प्रायः बाड़ी या कृषि भूमि पर आश्विन–कार्तिक माह में बोई जाती है। जबकि तिल को खेतों की मेढ़ आदि में आशाढ़–सावन में बोनी कर दी जाती है। सरसों की फसल मांघ–पूस (जनवरी–फरवरी) में पक कर तैयार हो जाती है। जबकि तिल की फसल कार्तिक–अग्हन में तैयार हो जाती है। सरसों एवं तिल का उपयोग नगद विक्रय हेतु व स्वयं का उपभोग हेतु तेल निकालकर किया जाता है। इनका बाजार मूल्य 30–40 रू. प्रति किलो पाया गया। सर्वेक्षित 17.07 प्रतिशत परिवारों द्वारा तिलहन की खेती करते पाये गये।

(ब) वनोपज

धांगड़ समुदाय के आर्थिक जीवन में वन एवं वनोत्पादों का भी बहुत महत्व है। वन/पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा वनोत्पादों के संकलन एवं विपणन से जीविका चलाते है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री–पुरूषों द्वारा किया जाता है। वनों से ईंधन, पशुओं के लिए चारा, चार–चिरौंजी, महुआ, तेन्दूपत्ता, सरई बीज, ईमली, आंवला, आम, हर्रा, बहेड़ा, कंदमूल जैसे गैठ कांदा, पीठा कांदा, सुकड़ी, पुटू, बिरनी घास, खजूर, छिंद पत्ता, बांस एवं अन्य विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी वनौषधियां आदि का संग्रहण किया जाता है, सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में वनोपज में संलग्नता को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	कृषि उपज (फसल)	संलग्न परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	महुआ	41	33.33
2	तेन्दूपत्ता	37	30.08
3	सालबीज	12	09.76
4	चिरौंजी	07	05.69
5	बांस की वस्तुएं	—	—
6	अन्य	11	08.94
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123			

(1) महुआ

धांगड़ समुदाय में महुआ वृक्षों का धार्मिक एवं आर्थिक रूप से विशिष्ट महत्व पाया जाता है। इसकी टहनियों, पत्तों को विवाह आदि अवसरों पर पवित्र मानकर मण्डप में लगाया जाता है। वहीं इसके फल–फूल, बीज आदि से अर्थोपार्जन किया जाता है।

महुआ फुल का संग्रहण प्रायः मार्च–अप्रैल माह में व इसके फलों (डोरी) का संकलन मई–जून में किया जाता है। इस कार्य में विशेषकर, महिलाएँ एवं बच्चों की संलग्नता अधिक पायी गयी।

वनोपज संग्रह कर सफाई करती धांगड़ महिला

तालिका क्र. 10 के आधार पर सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में से 33.33 प्रतिशत परिवारों द्वारा महआ का संग्रहण करते पाये गये। संग्रहण पश्चात् सुखाकर इसका विक्रय स्थानीय हाट–बाजार या बिचौलियों को 20–25 रू. प्रति किलों की दर पर किया जाता है।

(2) तेन्दुपत्ता

वनोपज संकलन में तेन्दुपत्ता का संग्रहण अप्रैल–मई माह में किया जाता है, जिससे इन्हें नगद राशि प्राप्त होती है। इस कार्य में महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता अधिक पायी जाती है। प्रातः 9–10 बजे तक संकलन के पश्चात् पत्तों को गिनकर बंडल बांधने का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात् ग्राम में ही या निकट ग्राम में समिति या ठेकेदार को विक्रय कर दिया जाता है।

शासकीय दर प्रति सैकड़ा निर्धारित दर पर विक्रय किया जाता है। कुछ पत्तों का उपयोग वृद्ध पुरूषों द्वारा तम्बाकू भरकर बीड़ी बनाकर पीने में किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 30.08 प्रतिशत परिवारों द्वारा तेन्दूपत्ता का संग्रहण करना पाया गया।

(3) सरई बीज (साल बीज)

सरई बीज का संग्रहण कुछ परिवारों द्वारा बीजों की उपलब्धतानुसार किया जाता है। मई–जून में संकलन कर वनोपज संग्रहण केन्द्र में विक्रय किया जाता है। किन्तु संग्रहण कन्द्रों द्वारा 4–5 रू. प्रति किलों में खरीदने के कारण ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं मिलने के कारण कर दाम पर बिचौलियों को ही विक्रय किया जाता है।

तालिका क्र. 10 से स्पश्ट है कि अध्ययन किये गये परिवारों में से 09.76 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही सरई बीज का संग्रहण किया जाता है।

(4) चिरौंजी

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों के कुछ परिवारों द्वारा चिरौंजी का संकलन भी किया जाता है। सर्वेक्षित कुछ क्षेत्रों में चार के पेड़–पौधे पाये जाते हैं। चार पेड़ के फलों को तोड़कर आंगन में सुखाया जाता है। सुखने के पश्चात् ''जाता'' से दलकर चिरौंजी को अलग कर दिया जाता है, जिसे साप्ताहिक बाजार या दुकानों में नगद विक्रय या वस्तु विनियम किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 100–120 रू. प्रति किलो पाया गया।

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में 05.69 प्रतिशत परिवारों द्वारा चिरौंजी का संकलन करना पाया गया।

(5) अन्य वनोपज

धांगड़ परिवारों द्वारा अन्य वनोपजों जैसे–तेन्दु, बेर, आम, शहद, आंवला, बबूल बीज, हर्रा–बेहड़ा, कंदमूल आदि का संग्रहण भी समय–समय पर किया जाता है जिसमे से कुछ का उपयोग वस्तु विनियम एवं नगद अर्थोपार्जन के लिए तो कुछ या स्वयं उपभोग हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 08.94 प्रतिशत परिवारों द्वारा इनका संग्रहण किया जाना पाया गया।

(स) मजदूरी

धांगड़ जनजाति में कृषि भूमि की धारिता कम होने के कारण भूमिहीन परिवारों द्वारा अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी कार्य कर अपनी जीविका चलाते है। कृषि भूमि असिंचित होने के कारण मानसूनी वर्षाकाल में ही अपने खेतों में कृषि कार्य करते हैं, शेष समय वे अन्य लोगों की मजदूरी अथवा वनोपज संकलन आदि का कार्य करते हैं। मजदूरी कार्य से पुरूषों व महिलाओं को नगद मजदूरी या इसके बदले इतने मूल्य का धान (मजदूरी में) दिया जाता है।

इसके अलावा स्थानीय पंचायतों द्वारा शासकीय मजदूरी कार्य भी समय–समय पर संचालित किया जाता है, जिससे इन्हें शासकीय दरों पर मजदूरी मिलती है। वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यो में भी मजदूरी करने जाते हैं।

(द) पशुपालन

धांगड़ समुदाय वर्तमान में कृषि, कृषि मजदूरी, वनोपज के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पशुपालन में भी संलग्न पाये गये। पशुओं हेतु इनके घरों में पृथक से आवास होता है, जिसे ''कोठा'' (गोयसाली) कहा जाता है। पशुओं को वर्षाकाल में जंगल में चराना प्रतिबंधित होने के कारण हरी घास काटकर खिलाया जाता

है। शेष समय में धान का पैरा आदि खिलाया जाता है। पशुओं के चराने हेतु परिवार के वृद्ध महिला/पुरुष या बच्चे वनों में जाते हैं। धांगड़ समुदाय गाय, बैल, भैंसा, बकरी एवं मुर्गी आदि का पालन भिन्न–भिन्न उद्देश्यों से करते हैं।

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में पाले जाने वाले पशुओं का विवरण तालिक क्र. 11 में दर्शित अनुसार है :–

तालिका क्रमांक - 11 पशुपालन में संलग्नता

क्र.	पशु	पशु संख्या	संलग्न परिवार		प्रति परिवार औसत पशु संख्या	कुल पशुधन सम्पत्ति (रू. में)	प्रति परिवार औसत पशुधन सम्पत्ति (रू. में)
			संख्या	प्रतिशत			
1	गाय	35	18	14.63	01.94	182000.00	10111.11
2	बैल	73	31	25.20	02.35	547500.00	17661.29
3	भैंस–भैसा	04	2	01.63	02.00	50000.00	25000.00
4	बकरा/बकरी	24	7	05.69	03.43	52800.00	7542.86
5	मुर्गी–मुर्गा	218	36	29.27	06.06	43600.00	1211.11
6	अन्य	–	–	–	–		–
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123							

(1) गाय

इस समुदाय में गाय पालने का कार्य कृषि कार्य हेतु बछड़े पैदा करने के लिए सामान्यतः किया जाता है, साथ ही साथ परिवार के लिए दूध की भी प्राप्ति होता है। दूध की अधिकता होने पर 15–20 रू. प्रति लीटर के हिसाब से विक्रय कर दिया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 14.63 प्रतिशत परिवारों में गाय पालते पाया गया। इन परिवारों के पास औसतन 10111.11 रू. प्रति परिवार पशुधन सम्पत्ति पायी गई।

(2) बैल

इस समुदाय में मुख्यतः बैलों का पालन कृषि कार्य के उद्देश्य से किया जाता है। तालिका क्र. 11 से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 25.20 प्रतिशत परिवारों के पास बैल उपलब्ध है, पशु–बाजार मूल्य के आधार पर इन परिवारों के पास औसतन 17661.29 रू. की बैल पशुधन सम्पत्ति पायी गई है।

(3) भैंस/भैंसा

इस समुदाय में कृषि कार्यो हेतु भैंसा का भीपालन किया जाता है। कृषि कार्यो हेत बैलों की तुलना में भैंसा ज्यादा बलिष्ट होता है। कृषि कार्यों जैसे–कोपर एवं धान ढ़ोने हेतु गाड़ी आदि के लिए भैसा ज्यादा उपयुक्त होता है। सर्वेक्षित परिवारों में 01.63 प्रतिशत परिवारों के पास भैंसा पाया गया। 25000.00 रू. की औसतन भैंसा पशुधन सम्पत्ति के रूप में प्रति परिवार पायी गई।

(4) बकरा/बकरी

इस समुदाय में बकरी पालन का उद्देश्य देवी–देवता की पूजा में बलि देना एवं सामूहिक भोज आदि के लिए किया जाता है।

तालिका क्र. 11 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 05.69 प्रतिशत परिवारों द्वारा बकरा/बकरी का पालन करता पाया गया। प्रति परिवार 3–4 बकरियां औसत रूप से पायी जाती है। प्रति परिवार 7542.86 रू. की औसत बकरा/बकरी सम्पत्ति पायी गई।

(5) मुर्गा/मुर्गी

इस समुदाय में मुर्गीपालन का कार्य कुल देवी–देवताओं, धार्मिक कर्मकाण्डों, जन्म, विवाह आदि विशेष अवसरों पर पुजाई (बलि) देने, अतिथि सत्कार एवं आर्थिक लाभ लेने आदि हेतु किया जाता है। इन्हें घर के बरामदे या आंगन में ''कुलसी'' बनाकर रखा जाता है।

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में 29.27 प्रतिशत परिवारों द्वारा मुर्गीपालन किया जाता है। प्रति परिवार 5–6 मुर्गियां औसतन पायी गई। बाजार मूल्य के आधार पर प्रति परिवार औसतन 1211.11 रू. की मुर्गी सम्पत्ति पायी गई है।

उपरोक्त के अलावा कुछ परिवारों द्वारा कुत्ते तथा तोता आदि भी पाले जाते हैं।

(इ) शिकार व मत्स्य आखेट

धांगड़ समुदाय के वनों में निवास क्षेत्र व मांसाहारी जीवनशैली के कारण कभी–कभी समुदाय के लोगों द्वारा वन भ्रमण एवं मनोरंजन की दृष्टि से छोटे जीव–जन्तुओं, जैसे–जंगली सुअर, बरहा, पक्षी आदि का शिकार कर लिया जाता है। शासकीय तौर पर प्रतिबंध के बाद इन क्रियाकलापों को बंद कर दिया गया हैं।

सामूहिक शिकार हेतु 4–5 सदस्यों द्वारा आपस में तिथि एवं समय निर्धारित कर लिया जाता है तथा प्रातःकाल में ही जंगल निकल पड़ते हैं। शिकार हेतु धनुष–बाण, टंगिया, फांदा आदि लेकर निकलते हैं। शिकार में जो भी मिलता है, उसका वितरण बराबर मात्रा में तैयार कर शिकार में सम्मिलित सदस्य आपस में बंटवारा करते हैं तथा जिस शिकारी द्वारा पहला वार शिकार (जन्तु जानवर) को लगता था, उसे अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक भाग दिया जाता है। शिकार केवल पुरूष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

वर्षाकाल में नदी, नालों, तालाबों व खेतों में मत्स्य आखेट किया जाता है, जिस व्यक्ति का जाल होता है, उसे एक भाग अलग से दिया जाता है। इस जाति में प्राप्त शिकार का उपयोग स्वयं के उपभोग हेतु किया जाता है। मत्स्य आखेट में महिलाओं की सहभागिता पायी जाती हैं।

(ई) शासकीय/अर्द्धशासकीय नौकरी

धांगड़ समुदाय में शिक्षा की स्थिति अच्छी होने के कारण अन्य की तुलना में शासकीय या अर्द्धशासकीय नौकरी करते पाए गए। सर्वेक्षित परिवारों में 08.94 प्रतिशत परिवारों में नौकरी करने वाले सदस्य पाये गये हैं।

(फ) अन्य स्त्रोत

अन्य स्त्रोत के रूप में इस समुदाय में कला–कौशल के रूप में राजमिस्त्री, निजी कंपनियों में मजदूरी करना आदि है। इससे इनको थोड़ी बहुत आर्थिक मद्द प्राप्त होती है। सर्वेक्षित परिवारों में 04.07 प्रतिशत परिवार अन्य स्त्रोत से भी आर्थिक लाभ लेते पाये गये।

3.5 समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय

तालिका क्रमांक - 12 समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय

क्र.	आय के स्त्रोत	आय प्राप्त करने वाले परिवार		कुल आय (रू. में)	प्रति परिवार औसत आय (रू. में)
		संख्या	प्रतिशत		
1	कृषि	90	73.17	2251000.00	25011.11
2	मजदूरी	114	92.68	3240000.00	28421.05
3	वनोपज	41	33.33	164990.00	4024.15
4	पशुधन	05	04.07	15100.00	3020.00
5	शिकार / मत्स्यखेट	—	—	—	—
6	शासकीय / अशा. नौकरी	11	08.94	2524000.00	229454.55
7	अन्य	09	07.32	143400.00	15933.33
योग				8338490.00	67792.60
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123					

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 67792.60 रू. प्राप्ति हुई, जिसमें शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय (229454.55 रू.) को छोड़कर, सर्वाधिक 92.68 प्रतिशत परिवारों को मजदूरी 28421.05 रू. औसत वार्षिक आय प्राप्त हुई। तत्पश्चात 73.17 पतिशत परिवारों को कृषि से औसत प्रति परिवार 25011.11 रू वार्षिक आय, 33.33 प्रतिशत परिवारों को वनोपज संकलन से 4024.15 रू. की औसत वार्षिक आय, पशुधन विक्रय से 04.07 प्रतिशत परिवरों को 3020.00 रू. की औसत वार्षिक आय एवं अन्य स्त्रोतों से 07.32 प्रतिशत परिवारों को 15933.33 रू. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा में संलग्न 08.94 प्रतिशत परिवार के सदस्यों को 229454.55 रू. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

3.6 कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता

तालिका क्रमांक - 13 कुल वार्षिक आय में समस्त स्त्रोतों की सहभागिता

क्र.	आय क स्त्रोत	कुल आय (रू. में)	कुल आय से प्रतिशत
1	कृषि	2251000.00	27.00
2	मजदूरी	3240000.00	38.86
3	वनोपज	164990.00	01.98
4	पशुधन	15100.00	00.18
5	शिकार / मत्स्यखेट	—	—
6	शासकीय / अशा. नौकरी	2524000.00	30.27
7	अन्य	143400.00	01.72
कुल योग		8338490.00	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 38.86 प्रतिशत मजदूरी से जो मुख्य आय का साधन है, 30.27 प्रतिशत शासकीय/अशा. नौकरी से प्राप्त होती है ज्ञात हो कि सर्वेक्षित 123 परिवारों में से 11 परिवार नौकरी पेशा वाले है। 27.00 प्रतिशत सहभागिता कृशि उपज से है, 01.98 प्रतिशत सहभागिता वनोपज संकलन एवं विक्रय से पायी गई। जबकि पशुधन विक्रय की सहभागिता क्रमशः 00.18 प्रतिशत मात्र है वहीं अन्य स्त्रोतों की सहभागिता 01.72 प्रतिशत पायी गई।

3.7 कुल वार्षिक आय की वितरण

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में कुल वार्षिक आय का वितरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका क्रमांक - 14 वार्षिक आय अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्र.	आय समूह (रूपए में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 10000	–	–
2	10001 – 20000	02	01.63
3	20001 – 30000	09	07.32
4	30001 – 40000	36	29.27
5	40001 – 50000	33	26.83
6	50001 – 60000	15	12.20
7	60001 –70000	07	05.69
8	70001 – 80000	07	05.69
9	80000 से अधिक	14	11.38
योग		**123**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में से 29.27 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 30001 रू. से 40000 रू. के बीच रही, 26.83 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 40001–50000 रू. के मध्य पायी गई, 12.20 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 50001–60000 रू. में मध्य व 07.32 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 20001–30000 के मध्य पायी गई जबकि 11.38 प्रतिशत परिवारों की आय 80000 रू. से अधिक की वार्षिक आय पायी गई। सर्वेक्षित परिवारों में 1.63 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 10001–20000 रू. है।

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों की समस्त स्त्रोतों से औसतन प्रति परिवार वार्षिक आय 67792.60 रू. पायी गई। सर्वेक्षित धांगड़ परिवार में किसी परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 16200.00 रू. व अधिकतम 402025 रू. की वार्षिक आय पायी गई।

3.8 व्यय

इस समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, धार्मिक कर्मकाण्ड, सामाजिक कार्यों जैसे–जन्म, विवाह, मृत्यु, आवास, कपड़े, शिक्षा व अन्य व्यय जैसे–स्वास्थ्य, साप्ताहिक हाट–बाजार, मादक पेय पदार्थ, तम्बाकू, गुड़ाखू, आदि में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों द्वारा व्यय मदों की विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार हैं :–

क्र.	मद	परिवार		वार्षिक व्यय (रू. में)	प्रति परिवार औसत व्यय रू. में
		संख्या	प्रतिशत		
1	भोजन	123	100.00	1981000.00	16105.69
2	मकान	102	82.93	326500.00	3200.98
3	कपड़े	123	100.00	760500.00	6182.92
4	शिक्षा	72	58.54	347000.00	4819.44
5	जन्म	8	06.50	88000.00	11000.00
6	विवाह	11	08.94	413000.00	37545.45
7	मृत्यु	11	08.94	59000.00	5363.64
8	धार्मिक कार्य	120	97.56	255000.00	2125.00
9	आभूषण	68	55.28	446500.00	6566.18
10	चिकित्सा	121	98.37	544000.00	4495.87
11	मद्यपान	111	90.24	366700.00	3303.60
12	अन्य आकस्मिक खर्च	07	05.69	105000.00	15000.00
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123				**5692200.00**	**46278.05**

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 46278.05 रू. पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप से भोजन संबंधी व्यय 16105.69 रू., आवास निर्माण एवं मरम्मत आदि में 82.93 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसतन 3200.98 रू., कपड़े आदि के लिए प्रति परिवार औसत रूप से 6182.92 रू वार्षिक व्यय करते पाये गये है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर 58.54 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 4819.44 रू. वार्षिक व्यय करना पाया गया। सामाजिक कार्य जैसे जन्म संस्कार में 06.50 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 11000.00 रू., विवाह के लिए 08.94 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 37545.45 रू. एवं मृत्यु संस्कार में 08.54 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 5363.64 रू वार्षिक व्यय करना पाया गया। धार्मिक कर्मकाण्ड (त्यौहार, पूजापाठ, भोज आदि) में 97.56 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 2125 रू. करना पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में आभूषण के लिए 55.28 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 6566.18 रू वार्षिक व्यय, चिकित्सा में 98.37 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 4495.87 रू वार्षिक व्यय एवं मादक पेय पदार्थ के लिए 90.24 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 3303.60 रू वार्षिक व्यय करते पाये गये है वहीं अन्य मदों विशेषकर साग–भाजी, राशन आदि सामग्रियों पर 05.69 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 15000.00 रू. वार्षिक व्यय करना पाया गया।

3.9 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

तालिका क्रमांक - 16 वार्षिक खर्च में सहभागिता

क्र.	व्यय मद	वार्षिक खर्च	
		रूपये	प्रतिशत
1	भोजन	1981000.00	34.80
2	मकान	326500.00	05.74
3	कपड़े	760500.00	13.36
4	शिक्षा	347000.00	06.10
5	जन्म	88000.00	01.55
6	विवाह	413000.00	07.26
7	मृत्यु	59000.00	01.04
8	धार्मिक कार्य	255000.00	04.48
9	आभूषण	446500.00	07.84
10	चिकित्सा	544000.00	09.56
11	मद्यपान	366700.00	06.44
12	अन्य आकस्मिक खर्च	105000.00	01.84
योग		**5692200.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 34.80 प्रतिशत भाग भोज्य पदार्थों पर किया जाता है। मकान पर 05.74 प्रतिशत भाग, कपड़े पर 13.36 प्रतिशत भाग, सामाजिक कार्यों (जन्म, विवाह एवं मृत्यु) पर 09.84 प्रतिशत भाग व धार्मिक कर्मकाण्डों पर 04.48 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है। आभूषण पर कुल वार्षिक व्यय का 07.84 प्रतिशत भाग एवं मद्यपान पर 06.44 प्रतिशत भाग व्यय करते पाये गये है। जबकि शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मदों पर क्रमशः 06.10 प्रतिशत एवं 09.56 प्रतिशत भाग ही व्यय करना पाया गया।

3.10 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

तालिका क्रमांक - 17 वार्षिक खर्च का वर्गीकरण

क्र.	व्यय खर्च (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 10000	–	–
2	10001 – 20000	6	04.88
3	20001 – 30000	25	20.33
4	30001 – 40000	47	38.21
5	40001 – 50000	22	17.89
5	40001 – 50000	22	17.89
6	50001 – 60000	8	06.50
7	60001 – 70000	2	1.63
8	70001 – 80000	1	00.81
9	80000 से अधिक	12	09.76
योग		**123**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में से सर्वाधिक 38.21 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों में वार्षिक व्यय 30001–40000 रू. तक, 20.33 प्रतिशत परिवारों का 20001–30000 रू., 17.89 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 40001–50000 रू., 06.50 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 50001–60000 रू. तक पाया गया। सर्वेक्षण में 09.76 प्रतिशत परिवार ऐसे भी पाये गये जिनका वार्षिक व्यय 80000 रू. से अधिक पाया गया। कुल सर्वेक्षित परिवारों का समस्त मदों में औसत वार्षिक व्यय 46278.05 रू. पाया गया।

3.11 ऋण की स्थिति

धांगड़ समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि, कृषि–मजदूरी, वनोपज आदि पर आधारित होता है। कृषि का परम्परागत साधन, एक फसल एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें ऋण ग्रस्तता पायी गई। इनके समस्त स्त्रोतों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती है कि वे अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वहीं दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक कार्य के लिए आकस्मिक व्यय हेतु ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। सर्वेक्षित परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

तालिका क्रमांक - 18 ऋण का स्थिति

क्र.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	ऋणग्रस्त	10	08.13
2	ऋणविहीन	113	91.87
कुल योग		**123**	**100.00**

इस प्रकार सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में से 08.13 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त पाये गये। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों से ऋण लिये हुए हैं।

3.12 ऋण का उद्देश्य एवं स्त्रोत

तालिका क्रमांक - 19 ऋण का उददेश्य व स्त्रोत

क्र.	श्रेणी	ऋण का उददेश्य					ऋण का स्त्रोत			
		कृषि कार्य	स्वास्थ्य	सामाजिक	अन्य	योग	साहूकार	शा. संस्थान	रिश्तेदार	योग
1	संख्या	5	2	3	–	10	3	5	2	10
2	प्रतिशत	50.00	20.00	30.00	–	100.00	30.00	50.00	20.00	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ऋणग्रस्त परिवारों में से सर्वाधिक 50.00 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्यो जैसे– खाद, बीज, बैल आदि हेतु ऋण लेना पाया गया, 30.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा सामाजिक कार्यो की पूर्ति हेतु एवं 20.00 प्रतिशत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु लेना पाया गया।

सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में ऋण ग्रस्त परिवारों में से 50.000 प्रतिशत परिवारों ने शासकीय संस्थाओं जैसे–ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक से ऋण लिया। 30.00 प्रतिशत परिवारों ने स्थानीय साहूकारों से निजीतौर पर ऋण लिया से लिया गया तथा शेष 20.00 प्रतिशत परिवारों द्वारा अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों या मित्रों से ऋण लिया गया है।

3.13 श्रम विभाजन

धांगड़ समुदाय में दैनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यो में सभी सदस्यों की भूमिकाएं तय होती हैं तथा इनमें काम का विभाजन कर दिया जाता है। परिवारों में निम्नानुसार श्रम विभाजन पाया गया :–

(अ) पुरूष वर्ग में श्रम विभाजन

(1) बच्चे

धांगड़ समुदाय में बच्चे प्रायः पशु चराने, वनोपज संकलन एवं घर में अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख आदि करते हैं।

(2) युवा पुरूष

युवा पुरूष घर के प्रमुख कार्यो जैसे घर निर्माण, छत छाना, पशु चराना, पशुओं को चारा देना, साफ–सफाई करना, हल चलाना, मजदूरी, मिंजाई, भण्डारण शिकार आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्य का सम्पादन करते हैं।

(3) वृद्ध पुरूष

धांगड़ समुदाय में वृद्धजनों को पशुचारण, बच्चों की देखरेख, आर्थिक कार्यों में, खेतों में बीज डालना आदि धार्मिक कार्यों में पूजापाठ, बलि देना एवं राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

(ब) महिला वर्ग में श्रम विभाजन

(1) लड़कियां

इस समुदाय की लड़कियाँ घरेलू दैनिक कार्यों जैसे–झाड़ू लगाना, पानी भरना, भोजन पकाना, कपड़े धोना, पशु चराना, वनोपज संकलन एवं छोटे भाई बहनों के देखरेख करने में अपना योगदान देती है।

(2) महिलायें

धांगड़ महिलायें हल चलाने, छत छाने, शिकार करने, बलि देने, कर्मकाण्ड करने एवं राजनैतिक कार्य को छोड़कर सभी दैनिक घरेलू कार्यों, आर्थिक कार्यों में सहभागिता करती है।

(3) वृद्ध महिलायें

वृद्ध महिलायें प्रायः घरेलू कार्यों जैसे–झाड़ू, लिपाई, पशुओं को चराना, पशुओं को चारा देना, कोठा की साफ–सफाई, धान निंदाई, चावल चुनाई एवं बच्चों की देखरेख आदि कार्यो में अपना सहयोग देती है।

3.14 बाजार व्यवस्था

इस समुदाय में साप्ताहिक हाट–बाजार का विशेष महत्व है। स्थानीय धांगड़ परिवार के लोगों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय या विक्रय नगद या वस्तु–विनिमय के माध्यम से किया जाता है। वस्तु विनिमय द्वारा आवश्यक दैनिक सामग्रियों जैसे–नमक, चावल, दाल आदि विनियम से लिया जाता है जबकि नगद में तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, लेहसुन, प्याज, गुड़, चाय, शक्कर, टमाटर, भाटा, साग–भाजी आदि क्रय किया जाता है।

बुर्जुग व्यक्ति या महिलाएँ दैनिक सामाग्रियाँ, तम्बाकू, बीड़ी, कपड़े, साफ करने के सोडा, साबून एवं महिलाएँ सौन्दर्य प्रसाधन आदि समान खरीदती है। साथ ही बाजार से शिकार एवं मादक पेय पदार्थ आदि का क्रय भी किया जाता है।

साप्ताहिक हाट–बाजार में आस–पास के गांव के सगे संबंधी परस्पर मेल–जोल, सुख–दुख का आदान–प्रदान किया जाता है। बाजार संदेश एवं निमंत्रण देने का एक सशक्त माध्यम भी होता है।

नाप-तोल की मानक सामग्री

धांगड़ समुदाय के लोग वनोत्पादों, कृषि ऊपजों, दैनिक उपभोग की वस्तुओ का क्रय या विक्रय करने अपनी स्वयं की एक नापतौल मानक प्रणाली का उपयोग करते पाये गये, जो निम्नलिखित है :–

नापतौल मानक प्रणाली

स्थानीय मानक नाप तौल प्रणाली	संबंधी/वस्तु	मात्रा
एक कोस	दूरी	3 कि.मी.
एक जुड़ी	साग–भाजी, मुनगा	250 ग्राम से 300 ग्राम तक
एक सेर	सब्जी, फल आदि	3 किलो लगभग
आधा सेर	सब्जी, फल आदि	1.5 किलो, लगभग
एक खण्डी	धान, मुंगफली, महुआ आदि	20 किलो
एक बौगा	धान/महुआ	30 किलो धान
एक गांडा	धान/महुआ	1 बौगा = 1.5 खण्डी
एक चुण्डी	धान/महुआ	20 बोरी
एक भाग	मछली	मछली = 100 ग्राम
	साग–भाजी	सागभाजी = 250 ग्राम

अध्याय - 4 सामाजिक संरचना

किसी समुदाय द्वारा समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते है। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रूचियों के कार्यों को प्रकट करते है अथवा जो सामाजिक संबंध बार–बार दोहराये जाते है और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें जाति, गोत्र, नातेदारी, राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है।

4.1 जाति

जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन की प्रमुख विशेशता रही है। जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है। जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है। एक जाति के सदस्य विवाह, भोजन, व्यवस्था तथा सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। जाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है जिसमें आजीवन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जाति एक गतिशील व्यवस्था है तथा विभिन्न जातियों में जातिगत विशिष्टता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता संबंधी सामाजिक दूरी पायी जाती है।

धांगड़ जनजाति अपने आप में एक पृथक जाति समुदाय हैं जिसकी अपनी अलग जाति व्यवस्था है जो सामाजिक स्तरीकरण में ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्व जातियों से अपने को निम्न मानते है किन्तु शुद्र वर्ण की जातियों से स्वयं को ऊपर मानते है। वही आसपास निवास करने वाली अन्य जनजातीय समुदायों को समानता की दृश्टि से देखते है। यह समुदाय उच्च जातियों के प्रति आदर भाव रखते हुए आदिवासी समुदाय की जातियों–गोड, कंवर, भैना, बिंझवार आदि जातियों के प्रति बंधुत्व भाव रखते है। धांगड़ जाति में स्वजातीय सदस्यों के प्रति एकता, बंधुता, आत्मीयता एवं संगठन की भावना होती है।

4.2 उपजाति

धांगड़ जनजाति की कोई उपजाति नहीं पायी जाती है। लेकिन व्यवसायगत एवं आर्थिक आधार पर धांगड़ समुदाय को दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है।

(1) **कोड़ा (कोड़ने वाला) धांगड किसान -** धांगड़ जनजाति का वह भाग जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है और अपनी जीवकोपार्जन हेतु कृषि कार्यों में संलग्न है वे धांगड़ या किसान कहलाते है।

(2) **धांगड़ आदिवासी -** धांगड़ जनजाति समुदाय का वह समूह जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है और वे अपना जीवकोपार्जन वनोपज संकलन से अर्जित धन पर आधारित होता है धांगड़ आदिवासी कहलाते है।

उपरोक्त दोनों उपजातियों में अंतर का आधार मात्र आर्थिक एवं वर्तमान व्यवसायिक आधार ही है। सामाजिक रूप से इनके गोत्र एक समान पाया जाता है तथा इन दोनों की उपजातियों में परस्पर खानपान एवं वैवाहिक संबंध पाया जाता है।

4.3 वंश-समूह

धांगड़ समुदाय पितृवंशीय वंश समूह व्यवस्था वाला समुदाय है इनके सामाजिक जीवन और संगठन का महत्वपूर्ण आधार वंश समूह होता है। डॉ. मुखर्जी के अनुसार ''वंश समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वजों से संबंधित समस्त रक्त संबंधी वंशजों का समूह होता है। पितृवंशीय वंश समूह व्यवस्था के कारण इसमें पुरूष उसके भाई और उसकी संताने ही आती है जबकि उनकी बहन या उनके बच्चे उस वंश से बाहर चले जाते है।

गोत्र एवं गोत्र चिन्ह

गोत्र को कई वंशों का समूह कहा जा सकता है, जो माता अथवा पिता किसी एक पक्ष के सभी रक्त–संबंधियों से मिलकर बनता है गोत्र का प्रारंभ किसी पूर्वज विशेष से होता है, यह पूर्वज वास्तविक, काल्पनिक अथवा पौराणिक हो सकते हैं। पूर्वज को परिवार विशेष का प्रवर्तक माना जाता है इसी आधार पर सभी वंशजों का परिचय दिया जाता है, और सब मिलकर एक गोत्र कहलाते हैं।

गोत्र सदैव बहिर्विवाही प्रकृति का होता है। अर्थात् एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई–बहन का रिश्ता मानते हैं। इसी के साथ–साथ गोत्र सदैव एक पक्षीय प्रकृति का होता है, अर्थात् गोत्र में या तो माँ के पक्ष के सभी सदस्यों का संकलन होता है या पितृ के परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

धांगड़ जनजाति में भी अन्य जातियों की तरह टोटम के आधार पर गोत्र होते हैं। एक ही गोत्र में उत्पन्न धांगड़ चाहे कहीं भी रहे परस्पर भाई–बहन की तरह माने जाते हैं। इस कारण इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता है। धांगड़ लोगों के गोत्र अधिकांश रूप से इनके शिकार के पशु–पक्षी, मछलियां या अन्य जलचर तथा सब्जियां, पत्ते, फल–फूल के नाम पर आधारित होते हैं। धांगड़ में गोत्रान्तर विवाह प्रचलित है। एक ही गोत्र में विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। साधारणतया यह लोग अपने गांव में भी वैवाहिक संबंध नहीं रखते हैं।

धांगड़ जनजाति में गोत्र संबंधियों का वह समूह है जो अपने को एक ही पूर्वज से होना मानते हैं। ''लेविस मारॅगन'' ने मातृ–गोत्र एवं पितृ–गोत्र की चर्चा करते हुए इनमें भेद मानते हैं। विशेषज्ञों ने टोटेमिक गोत्र की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि इसके सदस्य किसी पशु–पक्षी या प्राकृतिक वस्तुओं को अपना प्रतीक या मिथक–पूर्वज मानते हैं। ''शरत चंद्र राय'' इस संबंध में लिखतें हैं "गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कहना या बताना कठिन है परंपरागत विचार बतलाता है कि जिसने नदी घाटी में निवास बनाया, उसने कछुआ या किसी मछली को अपना टोटेम मान लिया– जैसे एक्का (कछुआ), मिंज (मछली), जो बाघ से भरे जंगलों में रहे, बाघ को अपना टोटेम बनाया, जैसे लकड़ा, जबकि जंगली मातृभूमि में रहने वालों ने पक्षी को टोटेम के रूप में अपनाया, जैसे खाखा (काला कौआ) या कोकरो (मुर्गा)। एक दूसरी परंपरा के अनुसार स्वर्णरेखा नदी तट पर कछुआ गोत्र, हंडुरू अरसी पोखरा–घाघरा में बाघ गोत्र, दरंगा टिगड़ा में कौआ गोत्र, सिलगाई में कुजूर गोत्र, लुंडरी में मिंज गोत्र आरै इसी प्रकार अन्य गोत्रों की उत्पत्ति हुई।

एक गोत्र के लोग अपने को एक रक्त का मानते हैं अर्थात् रक्त संबंधी होते हैं। कृषि को अपनाने और गांवों को बसाने के पूर्व छोटे–छोटे गोत्र समूह एक साथ जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते रहते थे, आरै दूसरे गोत्र–समूह से अपने शिकार–क्षेत्र की रक्षा करते थे। आगे चलकर यही गोत्र को विस्तृत परिवार समूह के रूप में देखा जाने लगा और परिवार समूह में यौन–संबंध का निषेध बन गया। इसी से गोत्रान्तर विवाह का विकास हुआ और लड़की के परिग्रहण के बदले में क्षति पूर्ति के रूप में 'वधु–मूल्य' प्रथा का उद्भव हुआ। विभिन्न गोत्र के लोग किसी सुविधाजनक स्थानों पर आपसी विवादो, शिकार संबंधी या स्त्री परिग्रहण संबंधी मामले को सुलझाने–निपटाने के लिए मिलते जुलते थे। यही सामयिक मिलन 'जतरा' के रूप में एक संस्था बन गया। आज भी धांगड़ लोग जतरा में विभिन्न गोत्रों के, गावों के लोग मिल–जुल कर नाच–गाने में भाग लेते हैं और खुशी मनाते हैं। यहीं जतरा में लड़के–लड़कियों को मिलने–जुलने और जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है।

आमतौर पर धांगड़ समुदाय के बीच पाये जाने वाले टोटेम नाम कम ही हैं। इनके नाम स्वाभाविक रूप से अतीत और वर्तमान प्राकृतवास के पेड़–पौधो, पशुओं, पक्षियों से मिले तथा इनमें कुछ नये नाम भी अन्य वस्तुओं के आधार पर पड़े इस प्रकार धांगड़ों में अनेक गोत्र हैं। अतः पशुओं, पक्षियों मछलियों, वृक्षों एवं खनिजों के आधार पर इनके गोत्र इस प्रकार के हैं –

(क) **पशु-गोत्र** - अड्डो, अल्ला, बंडो, बरवा, चिडरा, चिगालो, एड़गो, गाड़ी, हलमान, खोया, लकड़ा, रूंडा, तिग्गा, तिर्की, कुला, आदि।

(ख) **पक्षी-गोत्र** - बकुला, ढेचुवा, गड़वा, गंड़ै, खाखा, केरकेट्टा, कोकरो, आरगोड़ा, तिरकुंवार, टोप्पो, गीध, ठिठियो, रानौ आदि।

(ग) **मछली-गोत्र** - आइंद, एक्का, कछुआ, गोडो, खलखो, किन्दुवार, लिंडा, मिंज, साल, तिड़ू, कच्छप, किंडो, हेमरोम आदि।

(घ) **वृक्ष-गोत्र** - बखला, बाड़ा, बासा, कंदा, कैथी, केडी, खेस, कीन्दो, कुजूर, कुंदरी, मुंजनी, पुतरी, पुसरा, तोपनो, बरला, आदि।

(कृ) **धातु-गोत्र** - बेक, पन्ना, आदि।

(ञ) **खंडित-गोत्र** - अमड़ी, किस्पोट्टा आदि।

धांगड़ जनजाति में पाये जाने वाले विभिन्न गोत्र एवं उसके अर्थ इस प्रकार है -

गोत्र	–	टोटम
एक्का	–	कछुआ।
किन्डो	–	सेउर मछली।
किस्पोट्टा	–	एक प्रकार का पौधा।
कुजूर	–	लता में फलने वाला फूल

केरकेट्टा	–	एक प्रकार का पक्षी।
खाखा	–	कौआ।
खलखो	–	एक प्रकार की मछली।
खोया	–	लोमडी।
गड़ी	–	रोरी नामक पेड़ जो लाल रोएँदार होता है।
गोदो	–	मगरमच्छ।
गिधी	–	सफेद गिद्ध
चेरमाको	–	बहुत संख्या में रहने वाली चूहा।
टोप्पो	–	टोप टोवा पक्षी
तिग्गा	–	बन्दर।
तिर्की	–	शिकार प्रजाति का पक्षी।
नीमा	–	धुमा साग (एक प्रकार की भाजी)
पन्ना	–	लोहा।
बरवा	–	जंगली कुत्ता/चीता
बरहा	–	जंगली सुअर, बराह
बखला	–	नदी या तालाब के किनारे पाए जाने वाली कुम्भी
बड़ा	–	बट वृक्ष, बरगद।
बेक	–	नमक।
मिंज	–	सर्पमीन।
रचना	–	बड़ा गिद्ध
लकड़ा	–	जंगलों में रहने वाला खतरनाक बाघ।
बिन्हा	–	एक मछली।
खेस्स	–	धान।
टुडरू	–	बाघ।
ठिठयो	–	टिटहरी।

ये सभी गोत्र धांगड़ जनजाति में पाये जाने वाले प्रमुख गोत्र हैं। सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय में पाये गये गोत्र का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 20 सर्वेक्षित परिवारों में गोत्र विवरण

क्र.	गोत्र का नाम	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एक्का	22	17.89
2	खलखो	9	07.32
3	बेग	2	01.63
4	कुजुर	14	11.38
5	केरकेट्टा	2	01.63
6	किस्पोट्टा	6	04.88
7	मिंज	17	13.82
8	तिर्की	19	15.45
9	तिग्गा	10	08.13
10	टोप्पो	10	08.13
11	लकड़ा	12	09.76
	कुल योग	**123**	**100.00**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 20 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 17.89 प्रतिशत एक्का गोत्र पाये गये है। इसके बाद 15.45 प्रतिशत तिर्की गोत्र के, 13.82 प्रतिशत परिवार मिंज गोत्र, 11.38 प्रतिशत परिवार कुजुर गोत्र, 09.76 प्रतिशत परिवार लकड़ा गोत्र, 08.13–08.13 प्रतिशत परिवार तिग्गा एवं टोप्पो गोत्र, 7.32 प्रतिशत परिवार खलखो गोत्र, 04.88 प्रतिशत परिवार किस्पोट्टा गोत्र एवं सबसे कम 01.63–01.63 प्रतिशत परिवार बेग एवं केरकेट्टा गोत्र के पाये गये।

4.4 नातेदारी

1. नातेदारी के प्रकार

इस समुदाय में नातेदारी के दो प्रकार पाये जाते है।

(अ) रक्त संबंधी नातेदारी

इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते है। जैसे–माता–पिता एवं उनकी संतान या दो भाईयों या दो भाई–बहन के बीच का संबंध रक्त संबंधों पर आधारित होता है।

(ब) विवाह संबंधी नातेदारी

इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा आबद्ध पति–पत्नी आते है बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते है जैसे पति–पत्नी, पति के माता–पिता, भाई–बहन, पत्नी के माता–पिता, भाई–बहन आदि जो विवाह संबंधों के दोनों पक्षों पर आधारित है।

नातेदारी-संबंध एवं संबोधन

क्रमांक	संबंध	नातेदारी शब्द	संबोधन
1	पिता	बाप	अबा, बा
2	माता	मॉ	अयो, अयॅग
3	बड़ा भाई	भाई	छदा
4	बड़ी बहन	बहन	दई
5	छोटा भाई	अनुज	इंगडिस
6	छोटी बहन	बहन	इंगडी
7	पिता के बडे भाई	ताऊ	कोहा बा
8	पिता का छोटा भाई	चाचा	कका
9	पिता के बड़े भाई पत्नी	बड़ी मां	कोहा दई
10	पिता के छोटे भाई पत्नी	चाची	खल्ली, ककी
11	पिता की बड़ी बहन	बुआ	फूफू दीदी
12	पिता की बड़ी बहन का पति	फूफा	ममा
13	पिता की पिता	दादा	अज्जो
14	पिता की माता	दादी	अज्जी
15	माता का पिता	नाना	अज्जो
16	माता की माता	नानी	अज्जी
17	माता की भाई	मामा	ममू
18	माता के भाई की पत्नी	मामी	ताची
19	माता की बहन	मौसी	मुसी
20	माता की बहन का पति	मौसा	मोसा
21	पत्नी	पत्नी	मुक्का / आली
22	पत्नी की पिता	ससूर	सइसरा / बबा
23	पत्नी की माता	सास	सइस / अयो
24	पत्नी की बहन	साली	साड़ी

25	पत्नी का भाई	साला	साड़ा
26	बड़े भाई की पत्नी	भाभी	नासगो
27	बडे भाई की पुत्र–पुत्री	भतीजा / भतीजी	अलखोस / अलखो
28	बड़ी बहन का पति	जीजा	भट्टू
29	बड़ी बहन की पुत्र–पुत्री	भांजा / भांजी	भइगना / भइगनी
30	छोटे भाई की पत्नी	बहू	सेड़ा, बहू
31	छोटी बहन का पति	बहनोई	दामाद, जोनखदी
32	स्वयं का बड़ा पुत्र	ज्येष्ठ पुत्र	कोहा एंगदस
33	स्वयं के बड़े पुत्र की पत्नी	बहु	सेडो
34	बड़े पुत्र की पुत्र एवं पुत्री	पोता, पोती	नत्ती, नातिन
35	स्वयं की बड़ी पुत्री	बेटी	एंगदा
36	बड़ी पुत्री का पति	दामाद	जोनखदी
37	बड़ी पुत्री के पुत्र एवं पुत्री	नाती / नातिन	नत्ती, नातिन
38	पुत्र / पुत्री की सास	समधी	समदो, समधन
39	पुत्र / पुत्री की ससूर	समधी	समधी

2. नातेदारी की रीतियाँ

धांगड़ समुदाय में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो संबंधियों के बीच के संबंध व व्यवहार को प्रदर्शित करता है जिसकी कुछ नियम या रीतियां समाज में प्रचलित है।

(अ) परिहार

'परिहार' का शाब्दिक अर्थ है कि कुछ ऐसे संबंध या रिश्ते है जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध तो प्रदर्शित करते है किन्तु वे सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाये रखते है तथा पारस्परिक अन्तः क्रिया में यथा संभव प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। इस प्रकार की नातेदारी की रीतियां धांगड़ समुदाय में भी पायी जाती है जिसमें कुछ विशेष संबंधियों के बीच परस्पर नियंत्रण रखा जाता है।

सास – दामाद

ससुर – बहु

, जेठ – बहु (छोटे भाई की पत्नी)

मामी	–	भांजा
काकी	–	भतीजा
काका	–	भतीजा
दामाद	–	डेढ़सास

(ब) परिहास

धांगड़ समुदाय में परिहास संबंध को मजाकी संबंध भी कहते है। यह संबंध आपसी रिश्तों को निकटता तथा मजबूती प्रदान करने हेतु पाये जाते है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है ऐसे संबंधियों मे निम्नानुसार रिश्ते मान्य है –

देवर	–	भाभी
जीजा	–	साला, साली
संमंधी	–	समधन
नाना–नानी	–	नाती, नातिन
दादा–दादी	–	पोता, पोती

(स) माध्यमिक सम्बोधन

धांगड़ समुदाय में कुछ संबंधियों द्वारा परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे–बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के माध्यमिक संबोधन पति–पत्नी, भाई–बहु, दामाद–सास, ससुर द्वारा उपयोग किया जाता है जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती उसे जब अपने पति को बुलाना हो तो वह अपने पुत्र या अन्य संबंधी का सहारा लेती है जैसे–बुधारू के पिता यहां आओं।

वर्तमान में माध्यमिक संबोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति पत्नी को नाम से संबोधित करने लगे है। पत्नी शासकीय तथा आवश्यक कार्य पड़ने पर पति का नाम लेने लगी है।

4.5 परिवार

परिवार सामाजिक संगठन की प्रारंभिक एवं मौलिक इकाई होती है, जो प्राणीशास्त्रीय संबंधों पर बने समूहों में एक छोटी एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार मानव विकास के प्रत्येक चरण में विद्यमान रहा है, जिसके अभाव में मानव समाज की कल्पना करना भी निरर्थक है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के स्वरूप एवं प्रकारों में भिन्नता दिखलायी पड़ती है, लेकिन संस्कृति के प्रत्येक स्तर में चाहे वह आदिम समाज हो अथवा आधुनिक किसी न किसी रूप में परिवार का अस्तित्व अवश्य पाया जाता है।

मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते है। धांगड़ समुदाय में परिवारों में वरिष्ठ पुरूष मुखिया होते है। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय आदि मुखिया द्वारा किया जाता है।

(क) परिवार प्रकार

सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय में परिवार निम्न प्रकार के पाये गये :—

तालिका क्रमांक - 21 परिवार का स्वरूप

क्र.	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	71	57.72
2	संयुक्त परिवार	45	36.58
3	विस्तृत परिवार	07	05.70
योग		123	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में से सर्वाधिक 57.72 प्रतिशत परिवार एकल परिवार पाये गये जबकि 36.58 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 05.70 प्रतिशत विस्तृत परिवार पाये गये।

धांगड़ समुदाय में संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल परिवार में विघटित हो जाता है।

(ख) परिवार का वर्गीकरण

धांगड़ समुदाय में पाये जाने वाले परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:—

धांगड़ परिवार का वर्गीकरण

परिवार

(1) रचना के आधार पर
1. एकल परिवार
2. संयुक्त परिवार
3. विस्तृत परिवार

(2) सत्ता के आधार पर
1. पितृसत्तात्मक परिवार

(3) वंश के आधार पर
1. पितृवंशीय परिवार

(4) उत्तराधिकार के आधार पर
1. पितृधिकार परिवार

(5) आवास के आधार पर
1. पितृ स्थानीय परिवार
2. नव स्थानीय परिवार

उपर्युक्त वर्गीकरण से धांगड़ परिवारों की रचना में एकल संयुक्त तथा बड़े परिवार पाये जाते है। परिवारों की सत्ता (मुखिया) पुरूष वर्ग के पास होती है अर्थात पितृ सत्तात्मक परिवार है। इस समुदाय के परिवारों में वंश पुरूष के नाम पर चलता है अर्थात पितृ वंशीय परिवार है तथा इन परिवारों में सम्पत्ति एवं सत्ता एवं हस्तांतरण पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। अतः यह समुदाय पितृधिकार परिवार वाला समुदाय है। आवास के आधार पर पितृ–स्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते है। धांगड़ दम्पत्ति विवाह पश्चात् वर के पिता के आवास पर अथवा नये आवास में निवास करते है।

(ग) धर्म

धांगड़ समुदाय धर्म विशेष पर आस्था रखता है। धांगड़ समुदाय के सर्वेक्षण में अधिकांशतः आदिवासी धर्म (रीति–रिवाज) के अनुयायी है।

(घ) परिवार आकार

सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय में परिवारों का आकार निम्नानुसार पाया गया :–

तालिका क्रमांक - 22 परिवार आकार

क्र.	परिवार की सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01	2	01.63
2	02	12	09.76
3	03	12	09.76
4	04	45	36.59
5	05	26	21.14
6	06	14	11.38
7	07	5	04.07
8	08	3	02.44
9	08 से अधिक	4	03.25
योग		123	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन किये गये धांगड़ परिवारों सर्वाधिक 36.59 प्रतिशत परिवारों में 04 सदस्य पाये गये। 21.14 प्रतिशत परिवारों में 05 सदस्य पाये गये। 11.38 प्रतिशत परिवारों 06 संख्या वाले परिवार पाये गये। 09.76–09.76 प्रतिषत परिवारों में 02 और 03 सदस्य संख्या वाले परिवार पाये गय। 03.25 प्रतिषत परिवार ऐसे भी पाये गये जहां की संख्या 8 से अधिक है। जबकि 1.63 प्रतिशत परिवार ऐसे भी है जिनमें केवल एकल सदस्य (विधवा/विघुर/परितक्तता) पाये गये।

(ड) पारिवारिक संबंध

धांगड़ समुदाय में परिवार के सभी सदस्य आपसी सामंजस्य तथा तालमेल के साथ रहते है इन सदस्यों को उनके संबंधों के आधार पर निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है :–

(1) अयो-बबा (माता-पिता)

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है बच्चे के जन्म पश्चात् माता–पिता बच्चे की देखभाल, पालन–पोषण, दैनिक कार्यों के साथ–साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों की औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल्यावस्था से माता–पिता संतान को परिवार एवं समाज के अनुरूप विकसित करते हैं। बच्चों के

विवाह योग्य होने पर विवाह संपन्न कराकर नवदंपत्ति को गृहस्य जीवन में प्रवेश कराने के उपरांत माता–पिता अपने कर्तव्य की पूर्ति मानते है। विवाह पश्चात् माता–पिता बच्चों के गृहस्य जीवन के व्यवस्थित होते तक उचित मार्गदर्शन देते है।

(2) मेत-मुक्का (पति-पत्नी)

इस जनजाति में पति–पत्नी का संबंघ मधुर, प्रेमयुक्त एवं दायित्वपूर्ण होता है। पति–पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। दोनों ही परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। पत्नी घर के दैनिक कार्यों के साथ बच्चों की देखभाल भोजन हेतु लकड़ी, वनोपज संकलन आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करती है, दोनों मिलकर परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल भी करते हैं।

(3) बा-खद्द (पिता-पुत्र)

पिता एवं पुत्र का संबंध स्नेह व अनुशासन का होता है पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति बाल्यकाल में स्नेह पूर्ण, किशोर व युवावस्था में अनुशासित एवं विवाह पश्चात् मित्रवत होता है। पिता किशोरावस्था में पुत्र को आर्थिक कार्यो जैसे–हल चलाना, कृषि वनोपज संकलन एवं शिकार आदि में प्रशिक्षित करता है। पुत्र पिता के प्रति आदरभाव रखता है उनकी आज्ञापालन के साथ–साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पिता वृद्धावस्था में अपनी सम्पत्ति पुत्रों में हस्तांतरित करता है व अपेक्षा करता है कि अब बेटा उनका लालन–पालन करें।

(4) बा-खद्दा (पिता-पुत्री)

पिता पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पुत्री को प्रारंभ से ही पराया धन मानकर पिता द्वारा पुत्री से अधिक स्नेह/वात्सल्य दिखाया जाता है। पुत्री का विवाह पश्चात् परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने की सीख देता है। पुत्री विवाह पश्चात् पिता को अधिक स्नेह भाव व सेवा करती है।

(5) अयो-खद्द (माता-पुत्र)

माता–पुत्र का संबंध आत्मीयता तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। माता का पुत्री के अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव अधिक होता है माता पुत्र का लालन–पालन, देखभाल करती है। माता–पुत्र को समाज परिवार के नियमों, परंपराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा पालन कर उनकी देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

(6) अयो-खद्दा (माता-पुत्री)

माता–पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है। माता पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू सामाजिक–आर्थिक कार्य सिखाती है। माता–पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने हेतु शिक्षित करती है।

बड़ी होने पर माता के घरेलु संबंधी कार्य व खेती, जंगली उत्पादन एकत्र करने में पुत्री मदद करती है। पुत्री माता की एक सहेली तुल्य होती है। जो भी बाते हो माता से सबसे पहले कहती हैं, बड़ी होने पर विवाहोपरांत माता व पुत्री का प्रेम और भी स्नेहपूर्ण हो जाता है।

(7) एंगड़ीस-एंगड़ीस (भाई-भाई)

भाई–भाई के मध्य प्रेमपूर्ण एवं मित्रवत् संबंध होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह का भाव रखता है। पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ साथ करते है तथा एक दूसरे की कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने में मद्द करते हैं।

(8) एंगड़ीस-झंगड़ी (भाई-बहन)

भाई–बहन का संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ा भाई/बड़ी बहन छोटे भाई–बहनों को घरेलू कार्य सिखाती है तथा माता–पिता के आर्थिक कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी देखभाल एवं घर की देखरेख करता है।

(9) अयो-सेड़ो (सास-बहू)

सास–बहू का संबंध आदर, सम्मान, कर्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित होता है। सास अपनी बहू से आदर/सम्मान, पारिवारिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास–बहू में आपसी तालमेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, किन्तु जब वे एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण आपसी संबंधी तनावपूर्ण हो जाते है।

(10) एरखो-नासगो (देवर-भाभी)

देवर भाभी का संबंध परिहास श्रेणी के अंतर्गत आता है। इनके आपसी संबंध स्नहेपूर्ण एवं मित्रवत होते है।

उपरोक्त प्रकार के संबंधों में वर्तमान परिवेष में आमूल–चुल परिवर्तन दिखाई देते है। जो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ व सुझबुझ पर निर्भर करता है।

4.6 मित/मितान संबंध

धांगड़ समुदाय वर्तमान परिवेश में ग्रामों में निवासरत अन्य जातियों से निकटता व पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने अर्न्तजातीय संबंध दर्शाने वाले मित/मितान संबंध पाया जाता है। ऐसे संबंध समान लिंग आयु के दो सदस्य अपनी आपसी संबंध को अधिक घनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से मित/मितान संबंध बनाते है। ग्राम देव या ग्राम देवी के सम्मुख पान–सुपाड़ी, धूप अर्पित कर नारियल की अदला–बदली कर मित/मितान संबंध स्थापित किया जाता है, जो किसी भी जाति से संबंधित हो सकता है, जो एक दूसरे के सुख–दुख में पारिवारिक स्तर पर अपना योगदान देते है।

मित/मितान संबंध को आधुनिक परिवेश में जीवन भर का संबंध माना जाता है। मित–मितान आपस में बंधुत्व व्यवहार करते है तथा शादी–ब्याह, जन्म, मृत्यु विशेष त्यौहारों एवं अवसरों पर अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाते है। धांगड़ समुदाय अपनी जाति या अन्य जाति जैसे–गोड़, कंवर, भुईया, राउत, कुर्मी, तेली, मरार आदि जातियों के साथ मित–मितान संबंध रखते हैं।

4.7 अन्र्तजातीय संबंध

धांगड़ जनजाति निवासित ग्रामों में कंवर, गोड़, भूमिंया, सवरा आदि अन्य जातियाँ निवासरत है। इनमें आपस में ग्राम स्तर पर औपचारिक संबंध पाये जाते है जिसके कारण आयु, लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक एक दूसरे को नातेदारी शब्दों से संबोधित करते है। इन जातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। ग्रामीण परिवेश में एक दूसरी जातियों के त्यौहारो, उत्सवों, विवाह, मृत्यु संस्कार आदि में सहभागिता पायी जाती है वहीं ग्रामीण समाज व्यवस्था के तहत एक दूसरे की आवश्यक सेवाएं भी ली जाती है। जैसे–दैनिक उपयोग के लिए मि्टटी के बर्तन हेतु कुम्हार ग्राम में गाय बैल चलाने हेतु रावत, कोटवारी कार्य के लिए गाड़ा, लौह कार्य हेतु लोहार, बाल काटने के लिए नाई आदि जातियों की सेवा ली जाती है।

धांगड़ जनजाति कृषि, कृषि मजदूरी तथा अन्य मजदूरी का कार्य करती है तथा उपरोक्त जातियों के घर समय–समय पर कृषि में सहयोग, मजदूरी एवं अन्य क्रियाकलापों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसके साथ–साथ धांगड़ निवासित ग्रामों में जन्म, खानपान तथा कार्यों के आधार पर जातियों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है।

1. सामाजिक अन्र्तजातीय संबंध

धांगड़ जनजाति अपने घर शादी–ब्याह, उत्सव, जन्म–मृत्यु आदि संस्कारों में उच्च जातियों को आमंत्रित करते है जिसमें उच्च जातियों को यथा संभव अपनी सेवाएं और सम्मान देते है किन्तु सामाजिक मान्यताओं, रीति–रिवाजों के तहत् भोजन, पानी ग्रहण नहीं करते। अतः उच्च जातियों को कच्चा अनाज (चावल, दाल आलू, नमक आदि) दिया जाता है उसी प्रकार का आमंत्रण निम्न जातियों को भी दिया जाता है, जिसमें धांगड़ समुदाय द्वारा दिया भोजन पानी ग्रहण करते है लेकिन धांगड़ लोग निम्न जातियों के घर भोजन–पानी ग्रहण नही करते है इसके बदले इन्हें वे कच्चा अनाज दे देते है।

इस समुदाय का सामाजिक अन्र्तजातीय संबंध ग्राम स्तर पर होता है जिसमें सामाजिक क्रियाकलापों में एक–दूसरे जाति के लोग अपनी एक निश्चित भूमिका के दायरे में क्रियाकलाप संपादित करते है।

आधुनिक परिवेश एवं शिक्षा आदि के प्रभाव के कारण कुछ उच्च जाति जैसे ब्राम्हण, मरार आदि को छोड़कर अन्य जातियों के साथ कहीं–कहीं पर परस्पर सामाजिक क्रियाकलापों में पुरूष वर्ग का खानपान प्रारंभ हो गया है।

(अ) आर्थिक-अन्र्तजातीय संबंध

इस समुदाय में किसी भी समाज या जातियों की आर्थिक प्रस्थिति का प्रभाव कम दिखाई देता है। अर्थोपार्जन के कार्य जैसे–कृषि मजदूरी, अन्य मजदूरी, वनोपज संकलन आदि के कार्य अन्य जातियों के साथ परम्पर किये जाते है। धांगड़ समुदाय के घर यदि कोई अर्थोपार्जन का कार्य हो तो अन्य जातियाँ के लोग कार्य करने आते है जिसके बदले उन्हें नगद या कच्चा अनाज (धान) मजदूरी के रूप में दिया जाता है। वहीं अन्य जातियों के घर धांगड़ लोग भी अर्थोपार्जन का कार्य करने जाते है।

(ब) धार्मिक अर्न्तजातीय संबंध

ग्राम स्तर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों जो ग्राम की खुशहाली, समृद्धि, प्राकृतिक विपदाओं के बचाव हेतु ग्राम देवी–देवता से संबंधित धार्मिक आयोजनों में सभी जातियों के साथ धांगड़ जातियों का भी योगदान रहता है लेकिन इस समुदाय के अपने पूर्वज देव, देवी–देवताओं से संबंधित पारिवारिक स्तर पर आयोजित धार्मिक कर्मकण्डों में अन्य जातियों की सहभागिता नही के बराबर होती है।

4.8 महिलाओं की स्थिति

धांगड़ समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को निम्नांकित विवरण से समझा जा सकता है :–

1. जीवन संस्कार के आधार पर

इनमें मान्यता है कि बच्चे तो भगवान की देन होते है फिर भी प्रथम संतान के लिए लड़के की कामना की जाती है। लड़कियाँ तो विवाह पश्चात् ससुराल चली जाती है तथा उनके बुढ़ापे का सहारा, देखभाल करने वाला, मृत्यु होने पर मिट्टी देने वाला तथा वंशवृद्धि करने वाला लड़का होता है। वर्तमान में बालक और बालिका दोनो को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है।

विवाह हेतु धांगड़ जनजाति में कन्या से सहमति आवश्यक होती है यदि कन्या अनिच्छुक होती है तो लड़के पक्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि कन्या पलायन (ढुकू) विवाह कर ले तो भी वर पक्ष को सामाजिक दंड के साथ–साथ "सूकदान" चुकाना पड़ता है। स्त्री के विधवा होने के पष्चात् भी पुर्नविवाह हेतु उसकी सहमति आवष्यक मानी जाती है।

2. वंश एवं सत्ता निर्धारण

धांगड समाज में जन्म लिये संतान का वंश निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। परिवार की सत्ता व नियंत्रण पुरूष मुखिया के पास होता है। परिवार से संबंधित अहम् निर्णय पुरूष मुखिया द्वारा ही लिये जाते है। इस प्रकार धांगड़ समाज एक पितृवंषीय, पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला समुदाय है।

3. आर्थिक जीवन

धांगड महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ–साथ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण योगदान देती है। महिलाएँ प्रातः घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल व भोजन बनाने के पष्चात् वनोपज संकलन, मजदूरी, कृषि तथा शासकीय मजदूरी में भागीदारी बनते है। महिलाओं को स्व अर्जित धन के व्यय में स्वतंत्रता नहीं होती है उसे वस्तु खरीदने के पूर्व या पश्चात् परिवार के मुखिया को इसकी सूचना देनी होती है।

4 राजनैतिक जीवन

धांगड समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उसे इन क्षेत्रों में प्राथमिकता नही दी जाती है। राजनैतिक संगठन में महिला केवल स्वयं के मामले में या किसी मामले में गवाही देने हेतु शामिल हो सकती है। वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के परिणामस्वरूप व संगठन की दृष्टि से

धांगड़ महिलाओं की सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारियां तय की जा रही है किन्तु ग्राम स्तरों की जातीय पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है।

5. धार्मिक जीवन

धार्मिक अनुष्ठान व पारिवारिक स्तर पर पूर्वज आदि की पूजा में महिलाओं की भागीदारी, सहभागिता नही ंके बराबर पायी गई। परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों में कर्मकाण्डीय तैयारियाँ घर की महिला सदस्य करती हैं किन्तु इसमें उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रहती है।

6. शिक्षा

धांगड समुदाय में बालक व बालिका दोनो में बराबर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षा देने के पश्चात् कन्या का घरेलू कार्यों में हाथ बटाने घर के कामकाम, छोटे भाई–बहनों की देखभाल एवं विवाह लायक हो जाने पर उसका ब्याह करने आदि के कारण उच्च शिक्षा के पक्षधर नहीं है, अन्य ग्राम में जाकर षिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या नगण्य है।

7. भोजन वितरण

धांगड महिलाएँ परिवार के छोटे बच्चे, पति व अन्य वृद्ध सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करती है।

❑❑❑❑

अध्याय - 5 शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा मानव समाज के विकास की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि शिक्षा ही मानव या मानव समुदाय की प्रगति के लिए नये मार्ग का सृजन करती है। शिक्षा से ही मानव के विचारों का दायरा विस्तृत होता है और जीवन उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध होती है। किसी भी समाज में चाहे वह जनजातीय समाज हो या गैर जनजातीय समाज हो महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है जो परिवार के अंदर केन्द्र बिन्दु में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

छ.ग. राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं की शैक्षणिक स्तर पुरूषों की तुलना में कम है। सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय में सर्वेक्षण के दौरान उनकी शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया, जिसमें शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

1. साक्षरता

तालिका क्रमांक - 23 साक्षरता

क्र.	विवरण	पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	250	90.25	156	63.16	406	77.48
2	अशिक्षित	27	07.75	91	36.84	118	22.52
	योग	277	100.00	247	100.00	524	100.100

सर्वेक्षित 123 धांगड़ परिवारों की कुल जनसंख्या (0–5 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 77.48 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित पाये गये, जिसमें सर्वाधिक 90.25 प्रतिशत पुरूष साक्षर है इनकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता 63.16 प्रतिशत पायी गई। 22.52 प्रतिशत अशिक्षित व्यक्तियों में महिला निरक्षरता 36.84 प्रतिशत एवं पुरूष निरक्षरता 07.75 प्रतिशत पायी गई।

2. शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय की शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गया :–

तालिका क्रमांक - 24 शैक्षणिक स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	केवल साक्षर	14	5.60	10	6.41	24	5.91
2	आंगनबाढ़ी	3	1.20	3	1.92	6	1.48
3	प्राथमिक	47	18.80	34	21.79	81	19.95
4	माध्यमिक	61	24.40	40	25.64	101	24.88
5	हाईस्कूल (10वी)	68	27.20	29	18.59	97	23.89
6	हायर सेकेण्डरी (12वी)	43	17.20	28	17.95	71	17.49
7	स्नातक	10	4.00	09	5.77	19	4.68
8	स्नातकोत्तर	4	1.60	3	1.92	7	1.72
	योग	250	100.00	156	100.00	406	100.00

उपरोक्त तालिका के आधार पर सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों की कुल संख्या (0–5 वर्ष की उम्र समूह को छोड़कर) में से 77.48 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर से शिक्षा अर्जित की जिसमें पुरूषों का शैक्षणिक प्रतिशत (90.25 प्रतिशत) महिलाओं के शैक्षणिक प्रतिशत (63.16 प्रतिशत) की तुलना में अधिक पाया गया। सर्वाधिक 24.88 प्रतिशत व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा, 23.89 प्रतिशत व्यक्तियों ने हाई स्कूल स्तर तक, 19.95 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्राथमिक स्तर तक, 17.49 प्रतिशत व्यक्तियों ने हायर सेकन्डरी स्कूल तक शिक्षा अर्जित की है। स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या क्रमशः 4.68 प्रतिशत व स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 01.72 प्रतिशत पायी गई।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि आंगनबाढ़ी स्तर से 01.48 प्रतिशत बच्चों द्वारा शिक्षा अर्जित की जा रही है। वही सर्वेक्षित कुल जनसंख्या में से 05.91 प्रतिशत व्यक्तियों केवल साक्षर है जिसमें महिला साक्षरों की संख्या 06.41 प्रतिशत एवं पुरूषों की संख्या 05.60 प्रतिशत है।

2. शैक्षणिक स्थिति

तालिका क्रमांक - 25 शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	साक्षर व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अध्ययन जारी	77	27.80	61	24.70	138	26.34
2	अध्ययन समाप्त	173	62.45	95	38.46	268	51.15
3	निरक्षर	27	09.75	91	36.84	118	22.52
	योग	**277**	**100.00**	**247**	**100.00**	**524**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धांगड़ परिवारों में 51.15 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन समाप्त कर दिया है। वहीं 26.34 प्रतिशत व्यक्तियों का ही अध्ययन वर्तमान में जारी है जिसमें पुरूषों की संख्या (27.80 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं की संख्या (24.70 प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। इसके अलावा 22.52 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये जिनमें महिलाओं की संख्या (36.84 प्रतिशत) पुरूषों की संख्या (09.75 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

❑❑❑❑

अध्याय - 6 जीवन-संस्कार

विश्व के सभी समुदायों में नवजात शिशु के जन्म, विवाह एवं परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर एक पूर्व निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती है किन्तु हर समुदाय में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। धांगड़ समुदाय में जीवन मुख्य रूप से तीन संस्कारों यथा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार में विभाजित होता है जिसका विवरण निम्नांकित है :–

6.1 जन्म

धांगड़ समुदाय में शिशु जन्म या जन्म संस्कार को समझने के लिये निम्न बिन्दुओं का चरणबद्ध उल्लेख किया जाना आवश्यक है :–

(1) रजस्वला काल

धांगड़ समाज में बालिका को घरेलू कामकाज संभालने लायक व प्रथम मासिक धर्म आने पर उसे विवाह योग्य समझा जाता है।

(2) गर्भावस्था

धांगड समुदाय में मासिक चक्र रूकने से गर्भावस्था या गर्भ के ठहरने का ज्ञान होता है। गर्भ निरोधक आदि किसी भी प्रकार का आधुनिक या पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया जाता है। संतान उत्पन्न होना ईश्वर की ईच्छा व वंश बढ़ाने वाली प्रक्रिया समझा जाता है। गर्भधारण के 06 माह पश्चात् महिलायें प्रायः वन जाना, मजदूरी, कृशि मजदूरी आदि पर जाना छोड़ देती है इस दौरान वह किसी भी प्रकार का नशापान नहीं करती है तथा दैनिक उपलब्धतानुसार ही भोजन ग्रहण करती है।

धांगड जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ग्राम देवी के समक्ष शिशु की रक्षा व सुरक्षित प्रसव की कामना करती है इस दौरान गर्भस्य महिला को कुछ विशेष निशेधों का पालन करना पड़ता है। जैसे–चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण में निकलना या देखना, लहसून खाना, प्रतिबंधित जगह जैसे–ईमली पेड आदि स्थानों पर जाना निशेध होता है।

(3) प्रसव

धांगड समुदाय में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर पर ही कराया जाता है। प्रसव कार्य ग्राम की जानकार महिला द्वारा संपन्न कराया जाता है जिसे ''सुईन'' कहते है। इस कार्य में परिवार की अन्य वृद्ध महिलाएं सहयोग करती है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर ''सुईन'' को बुलाया जाता है तथा प्रसव की तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाती है। प्रसव हो जाने पर सुईन गर्म पानी से शिशु को साफ करती है। पूर्व में नाल काटने के लिए लड़के हेतु तीर तथा लड़की के लिए 'छुरी' (चाकु) का उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिए ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात् महिलाओं द्वारा बाहर आकर बालक शिशु या कन्या शिशु की सूचना दी जाती है।

सुईन द्वारा शिशु के नाल पर हल्दी व तिल का तेल लगाया जाता है तथा सुईन द्वारा ही प्रसुता की साफ–सफाई, शिशु को नहलाने, कपड़े धोने आदि संबंधित कार्य छठी तक संपन्न किये जाते है। प्रसव के लगभग 12–13 घंटे बाद पारंपरिक जड़ी–बूटियों द्वारा निर्मित ''छवारी काढ़ा'' (शक्तिवर्धक पेय) 1 बार प्रसूता को पीने को दिया जाता है। इनमें ऐसी मान्यता है कि इसके सेवन से शिशु के लिए माँ के शरीर में दूध का निर्माण होगा साथ ही माँ–शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

छवारी काढ़ा का निर्माण ''जमनी पेड़ की छाल'' ''नागर केना जड़ी'' ''सांभर भंज जड़ी'' मोहलाईन जड़ी'' बरगद की जड़ी को पीसकर कुल्थी के साथ पानी में उबाला जाता है तथा काढ़ा निर्माण हो जाने पर उसे कुनकुना कर प्रसुता को एक बार मे एक गिलास पीने को दिया जाता है।

इसके सेवन के पश्चात् दूसरे दिन से शिशु को दुग्ध पान प्रारंभ किया जाता है प्रसव पश्चात् से प्रथम दुग्धपान तक की अवधि के मध्य शिशु को शहद या बकरी का दूध बीच–बीच में चटाया जाता है।

प्रसव के तीसरे दिन प्रसूता को मड़िया पेज आदि पीने को दिया जाता है तथा 4–5 वें दिन से भोजन के रूप में दाल, भात, बड़ी, हेडवा, कुल्थी या हिरवा खाने को दिया जाता है।

प्रसव पश्चात् काटी गई नाल को आंगन के कोने में या बाड़ी में गढ्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है जब शिशु की नाभि से नाल सुखकर गिर जाती है तब छठी संस्कार का आयोजन किया जाता है तब तक प्रसवा व उसके परिवार को अशुद्ध/अपवित्र माना जाता है।

(4) छठी

प्रसव पश्चात् नाल सुखकर गिरने के बाद पॉचवे या छठवे दिन छठी मनायी जाती है। कभी–कभी नाल पूर्ण रूप से नही सुख पाती है फिर भी मान्यतानुसार छठी का संस्कार संपन्न करा दिया जाता है। इस दिन प्रसवा व शिशु को नहला–धुलाकर तेल, हल्दी लगायी जाती है। छठी के पूर्व संपूर्ण घर की साफ–सफाई एवं पुताई का कार्य कर लिया जाता है। इस दिन सभी स्वजातीय बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है साथ ही अन्य जातीय बंधुओं एवं घनिश्ठ मित्रों आदि को भी आमंत्रित किया जाता है।

छठी के दिन ''सुईन'' द्वारा प्रसुता एवं नवजात शिशु को हल्दी तेल का लेप लगाकर नहलाया जाता है तथा संपूर्ण घर में हल्दी पानी का छिड़कावकर शुद्ध करने का कर्मकाण्ड किया जाता है तथा कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देव की पूजा–अर्चना कर मुर्गा, शराब, पान, सुपाडी, धूप भेंट कर ईश्टदेव को वंशवृद्धि हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते है तथा इस दिन प्रसुता के मायके से आया हुआ नवीन वस्त्र को प्रसुता एवं नवजात शिशु को पहनाया जाता है तथा आमंत्रण में आये सभी लोगों को कोसना (झरा) पिलायी जाती है तथा सामूहिक भोज कराया जाता है। छठी पश्चात् प्रसुता, नवजात शिशु एवं परिवार को आंशिक रूप से शुद्ध या पवित्र मान लिया जाता है।

(5) नामकरण

धांगड़ जनजाति में जन्म संस्कार में नाम पिंजता (नामकरण) की प्रथा है। छठी के दिन यह किया जाता है एक बर्तन (सिक्मा या डुब्हा) में पानी रखकर धान से चावल निकाल कर पहले देवता (धर्मे

बेला/धर्मश) के नाम से चावल, दूसरा पंच के नाम और तीसरा चावल पूर्वजों के नाम से एक–एक करके गिराया जाता है, जिस पूर्वज के साथ चांवल जुड़ता है उसका पित्तर आया माना जाता है, अगर पूर्वजों से नही जुड़ता है तो ऐसी मान्यता है कि घर परिवार के जीवित सदस्य के नाम के साथ शिशु के नाम वाले चावल के साथ जुड़ता ही है इसे उसका पितर आना माना जाता है।

(6) मुण्डन

नवजात शिशु का मुण्डन छठी के दिन ही संपन्न कराया जाता है। मुण्डन अन्य गोत्र के समजातीय वृद्ध पुरूषों से कराया जाता था लेकिन वर्तमान परिवेश में नाई द्वारा यह कार्य किया जाता है।

(7) अन्न प्रासन (मुहजुठा)

नवजात शिशु 06 माह की उम्र तक पूर्णतया माता के स्तनपान पर निर्भर रहता है तथा छह माह पश्चात् उसका ''मुंह जूठा'' कराया जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अनुसार भात या खीर बनायी जाती है इसमें भी करीबी रिश्तेदार एवं घनिष्ठ मित्रों को आमंत्रित किया जाता है। सभी की उपस्थिति में शिशु को खीर चटायी (खिलायी) जाती है। वर्तमान परिवेश में कुछ लोगो द्वारा मीठा खिलाकर भी मुहजूठा कराया जाता है। शिशु के मुंह जूठा पश्चात् आमंत्रित लोगो को भोज दिया जाता है।

6.2 बाल्यावस्था

4–5 वर्ष की आयु तक शिशु अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहकर खेलता है इसी दौरान उसका ''कानबेध'' (कर्ण–छेदन) किया जाता है। इस संस्कार में बालक के कान एवं बालिका के कान–नाक अनिवार्य रूप से छिदवाये जाते है।

बाल्यावस्था से ही बालिका को घरेलू कार्यों का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बालक–बालिका अपने माता–पिता के साथ खेत वनोपज संग्रहण आदि में भाग लेते है।

6.3 युवावस्था

धांगड समुदाय में लगभग 18–21 वर्ष की आयु में बालक एवं बालिका अपने–अपने कार्यक्षेत्र जैसे कृषि कार्य, मजदूरी, वनोपज शिकार एवं दैनिक गृहकार्य, छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि कार्यों में निपुण हो जाते है तथा उनको विवाह योग्य मान लिया जाता है।

6.4 विवाह

धांगड जनजाति के जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार ''विवाह'' है जहां से नव विवाहित युगल पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते है। यह समुदाय गोत्र बर्हिविवाही समुदाय है अर्थात ये अपने गोत्र के बाहर अन्य गोत्र से विवाह संबंध बनाते हैं समगोत्रीय विवाह इनमें निषेध होता है इनमें मान्यता है कि एक ही गोत्र के समस्त सदस्य आपस में एक पूर्वज की संतान अर्थात भाई–बहन मानी जाती है।

इस समुदाय में विवाह प्रायः खरीब फसल कटने से शुरू होकर बैसाख माह तक की अवधि तक संपन्न कराये जाते है।

इस समुदाय में विवाह हेतु पहल लड़के पक्ष के मुखिया द्वारा की जाती है। लड़के/लड़कियों के विवाह के लिए मामा–फुफू के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में वैवाहिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

तालिका क्रमांक - 26 वैवाहिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	142	48.30	141	54.02	283	51.00
2	अविवाहित	141	47.96	105	40.23	246	44.32
3	विधवा, विधुर, परित्यकता	11	03.74	15	05.75	26	04.68
	योग	**294**	**100.00**	**261**	**100.00**	**555**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित जनसंख्या में से 51.00 प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, 44.32 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित एवं 04.68 प्रतिशत व्यक्ति विधवा/विधुर या परित्यक्ता की श्रेणी में पाये गये।

1. विवाह आयु

धांगड़ समुदाय में बालक–बालिकाओं के विवाह अपने दैनिक कार्यों में निपुर्ण हो जाने तथा एक निश्चित आयु (युवावस्था) आने पर किये जाते है इनमें लड़कों का विवाह लगभग 18–21 वर्ष व बालिकाओं का विवाह 18 वर्षों के बाद ही प्रायः किया जाता है। सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में विवाहितों की स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

तालिका क्रमांक - 27 विवाहितों की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या					
		पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	बालिक विवाह	116	75.82	141	90.38	257	83.17
2	नाबालिक विवाह	37	24.18	15	09.62	52	16.83
	योग	**153**	**100.00**	**156**	**100.00**	**309**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार - 123							

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धांगड़ समुदाय में कुल विवाहित व्यक्तियों में 83.17 प्रतिशत व्यक्तियों का विवाह तय सीमा उम्र में हुआ है, जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 75.82 व स्त्रियों का 90.38 है। उसी प्रकार 16.83 व्यक्तियों का विवाह तय सीमा से कम उम्र में हुआ है, जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 24.18 व स्त्रियों का 09.62 प्रतिशत पाया गया।

2. वैवाहिक दूरी

किसी भी समुदाय का संकेन्द्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता हैं। धीरे–धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। धांगड़ समुदाय की अधिकार जनसंख्या भी एक विशेष क्षेत्र में अधिक है किन्तु वर्तमान में इनका फैलाव एक से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अतः विवाह भी

प्रायः आस–पास करते है जिससे आवागमन में सुविधा हो तथा सुख–दुख में आसानी से शामिल हो सकें। सर्वेक्षित धांगड़ परिवारों में विवाह स्थान की दूरी निम्नानुसार पायी गई :–

तालिका क्रमांक - 28 वैवाहिक दूरी

क्र.	दूरी (कि.मी. में)	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	ग्राम में विवाह	4	02.61	5	03.21	9	02.91
2	01 – 10	18	11.76	21	13.46	39	12.62
3	11 – 20	26	16.99	23	14.74	49	15.86
4	21 – 30	27	17.65	30	19.23	57	18.45
5	31 – 40	31	20.26	27	17.31	58	18.77
6	41 – 50	16	10.46	17	10.90	33	10.68
7	50 से अधिक	31	20.26	33	21.15	64	20.71
योग		153	100.00	156	100.00	309	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय के विवाहित सदस्यों में 18.77 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 31–40 कि.मी. की दूरी में संपन्न हुये। 18.45 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 21–30 कि.मी. की दूरी में, 15.86 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 11–20 कि.मी. की दूरी में एवं 12.62 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 01–10 कि.मी. की दूरी में विवाह संपन्न हुआ है। 02.91 प्रतिशत वैवाहिक सदस्यों का विवाह ग्राम में जबकि 20.71 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 50 कि.मी. से भी अधिक की दूरी पर वैवाहिक संबंध होना पाया गया।

धांगड़ समुदाय में विवाह हेतु कन्या की तलाश वर के पिता द्वारा सगे–संबंधियों की मदद से की जाती है। कन्या मिल जाने पर पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है, पिता व उनके सहयोगी लड़के के साथ कन्या के घर जाते है तथा कन्या पसंद आ जाने पर वापस आकर परिवार के सदस्यों से अभिमत लेने के उपरांत पुनः लड़के का पिता कन्या के घर जाकर लड़की के पिता से कहता है कि आपकी कन्या पसंद है और मेरे लड़के के साथ विवाह के लिए ''हाथ मांगता'' हूँ। तत्पश्चात् कन्या के पिता भी परिवार की सहमति के बाद लड़के के घर देखने हेतु तिथि निश्चित कर लड़के के पिता को हाँ करता है। निश्चित तिथि पर लड़की के पिता एवं उसके घनिष्ठ रिश्तेदार लड़के के घर आते है व पसंद आ जाने पर लड़के पक्ष वालों को नियत तिथि पर ''खेड़ नोहरना'' हेतु आमंत्रित करता है तब लड़के के पिता एवं अन्य सदस्यों के साथ लुगाड़ा, चावल, दाल, चुड़ी व अन्य श्रृंगार सामान लेकर कन्या के घर तय तिथि पर आता है और इन वस्तुओं को अपने होने वाली बहू को देकर ''खेड़ नोहरना'' की रस्म अदा करते है जिसका अर्थ होता है कि ''आपकी कन्या आज से हमारी हुई''। इसके बाद सामाजिक बुजुर्ग दोनों के विवाह बंधन में बंधने हेतु नारियल फोड़ते है।

विवाह हेतु श्रृगांर टाटी बनाते धांगड़ लोग

इसके पश्चात् दोनों पक्ष मिलकर नारियल का प्रसाद एवं झरा का सेवन करते है इसी समय सामाजिक बुजुर्ग द्वारा विवाह हेतु निश्चित तिथि तय की जाती है जिसे ''लगन–धरना'' कहते है। साथ ही साथ सुकदाम/सुकधन (वधू मुल्य) चुकाने की बात पक्की कर ली जाती है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष मिलकर कन्या के घर पर सामूहिक भोज करते है भोजन पश्चात् वर पक्ष को विदा कर दिया जाता है।

3. सुकधन/सुकपैसा (वधू मुल्य)

समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए महासभा द्वारा न्यूनतम वधु मूल्य निर्धारित किया गया है, जैसे बारह तोला चांदी का जेवर, एक साड़ी, चौबीस हाथ लम्बाई की मायसारी साड़ी एवं 201.00 रू., 101.00 रू. पंच के खर्चे हेतु व डेडहीन हेतु 151.00 रू. निर्धारित किया गया है।

4. विवाह रस्म

धांगड़ जनजाति में वर–वधु हेतु ममेरे–फुफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाता है, यदि ममेरे–फुफेरे के यहां लड़का–लड़की नहीं होने पर अन्यत्र देखा जाता है। लड़का–लड़की दोनों पक्षों की सहमति के उपरांप विवाह दिन–तिथि यह होने के बाद तक तिथि को मण्डप छादन का कार्य किया जाता है, सामाजिक चपरासी (संदेश वाहक) द्वारा मण्डप के दिन समाज के प्रत्येक घर जाकर मण्डप छादन का न्यौता दिया जाता है, उसके बाद समाज के बच्चों एवं युवाओं द्वारा डूमर, जामुन, आम की डाल काट कर लाया जाता है, फिर महिलाओं द्वारा इसकी आरती कर पूजा की जाती है।

विवाह की रस्में

मण्डप को नौ खूटों से बनाया जाता है, जिसे युवाओं द्वारा लाये गये डालियों से छादन किया जाता है। महिलायें और युवा लड़कियों द्वारा उन नौ खूटों को मिट्‌टी द्वारा छोटे–छोटे चबुतरा बनाकर चावल दाना को काला, पीला और लाल रंगों में सजाती है, साथ ही नौ खूटों में बांस, महुआ की छोटी–छोटी डालियों को गाड़ा जाता है। जिस घर में लड़का–लड़की शादी योग्य रहते है वे लोग धान कटाई के समय ही एक बीड़ा धान (पैरा सहित) रख लेते है जिसे मण्डप के दिन शाम को कड़सा तिस्सा रस्म में उपयोग किया जाता है धान की एक–एक बाली को छाटकर गथाई किया जाता है और मिट्‌टी के कलश में सजाया जाता है। उसमें बाती तेल डालकर जलाया जाता है उसे ही कड़सा (कलश) कहते है।

विवाह रस्म के दौरान मुर्गे की बली

घर के मुखिया द्वारा शाम को मण्डप में अपने गोत्र के हिसाब से मुर्गी (लाल, चितकबरा रंग का)की बलि पूजा दी जाती है तथा झरा तर्पण किया जाता है। फिर सभी सगे–संबंधियों, मेहमानों को झरा और कड़सा सेत्ते सोडा लड्डू मुठिया रोटी (चावल आटे को पैरा के साथ उबालकर बनाया जाता है) परोसा जाता है। तत्पश्चात महिलाओं और पुरूशों द्वारा विवाह गीत (कुडुख बोली में) गाया जाता है।

धांगड़ समुदाय में विवाह रस्में दोनों पक्षों के घर के बड़े–बुजुर्गों द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। मुख्य भूमिका दोनों पक्षों के पांच–पांच पंचों का होना आवश्यक होता है, सामाजिक पंचों के बिना विवाह सम्पन्न नहीं किया जाता है।

धांगड़ जनजाति में विवाह रस्म

5. विवाह प्रकार

धांगड़ समुदाय में निम्नलिखित विवाह की प्रथायें मान्यता प्राप्त है :–

1. ममेर-फूफेरे विवाह

धांगड़ समुदाय में वर या वधू हेतु ममेरे–फूफेरे भाई–बहनों विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यदि अपने मामा–फूफा के यहा लड़का/लड़की न होने की स्थिति में अन्यत्र देखा जाता है।

2. उढ़रिया विवाह

धांगड़ समुदाय में जब लड़का–लड़की एक दूसरे को पसंद करते है। और वे विवाह करना चाहते है किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते है तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते है। कुछ दिनों पश्चात् वे दोनों वापस लौट आते है। दोनों परिवार के सदस्य लड़का–लड़की का जातीय पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत करते है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दी

जाती है ऐसे मामलों में जातीय पंचायत दोनो से आर्थिक दण्ड वसूल करती है एवं सामाजिक भोज देने का आदेश देती है।

3. घर देखी विवाह

इस समुदाय में जब ममेरे–फूफेरे में विवाह योग्य लड़के–लड़कियाँ नहीं होती है तब घर देखी विवाह सामाजिक रीति–रिवाज से किया जाता है जिसमें शुरूवात वर पक्ष द्वारा लड़की देखने से की जाती है। प्रायः अधिकांश विवाह इसी प्रकार के होते है इस विवाह में माता–पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

4. ढूकू विवाह

धांगड़ समुदाय में यदि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उनका किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता है तो लड़की, लड़के के घर जबरदस्ती ''घुस'' जाती है ऐसे मामले में जातीय पंचायत में सामाजिक रूप से निर्णय किया जाता है तथा लड़के को विवाह हेतु रजामंद करते है तथा कन्या की इच्छानुसार उस लड़के से विवाह कर दिया जाता है ऐसे वर–वधु को सामाजिक रूप से ''बकरा भात'' (बकरा एवं भोज) देना पड़ता है।

5. पुर्नविवाह

धांगड़ समुदाय में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुर्नविवाह का प्रचलन पाया जाता है। पुर्नविवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होती है पुर्नविवाह, चूड़ी पहनाकर किया जाता है।

पुर्नविवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को सुकधन (वधू–मूल्य) के रूप में 1 खंडी चावल, 10 किलो दाल, 7 साड़ी, तेल, हल्दी एवं 101 रूपये नगद दिया जाता है।

पुर्नविवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है। वहां स्वागत के पश्चात् वर द्वारा लायी गयी चूड़ी वधु को पहना दी जाती है। इसके बाद भोजन कराकर वर–वधू की विदाई कर दी जाती है।

6. घरजिया विवाह

ऐसा विवाह प्रायः घर में पुत्र संतान न होने की स्थिति में किया जाता है। इसमें विवाह पश्चात् पति पत्नी के घर जाकर निवास करने लगता है। इस प्रकार के विवाह में सुकधन (वधू मुल्य) चुकाना नहीं पड़ता है।

7. देवर भाभी एवं जीजा साली विवाह

पति की मृत्यु के पश्चात् पति के छोटे भाई के साथ विधवा स्त्री का विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त है किन्तु इस विवाह हेतु दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु पश्चात् यदि साली कुंवारी हो तो उनका विवाह भी सामाजिक रूप से मान्य होता है। दोनों की सहमति होने पर चुड़ी पहनाकर उन्हें सामाजिक रूप से पति–पत्नी मान लिया जाता है।

6.5 दाम्पत्य जीवन

धांगड़ समुदाय में विवाह पश्चात् पति पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुये अपने परिवार के भरण–पोशण एवं आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारियों को वहन करता है। पिता द्वारा हस्तांतरित भूमि आदि पर कृशि कार्य कर मजदूरी, वनोपज संग्रहण आदि के माध्यम से अपनी व बच्चों की आजीविका चलाते है और धीरे–धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते है।

6.6 वृद्धावस्था

धांगड़ समुदाय में पिता अपने बच्चों की शादी–ब्याह कर देने के बाद अपने आपको सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त मानकर अपनी वृद्धावस्था का अनुभव करता है। उसका कार्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में दिशा–निर्देश देने का रह जाता है तथा सामाजिक जाति पंचायतों की बैठकों में जाना, उसका प्रतिनिधित्व करना, शादी ब्याह संबंधी रिश्ते सुझाना आदि कार्य कर अपना समय व्यतीत करता है। वही धांगड़ महिलायें सामान्य घरेलु कार्य जैसे–धान कुटना, वनोपज सुखाना, बहूओं एवं बेटियों को दैनिक कार्य संबंधी सुझाव देना व नाती पोते की देखभाल आदि कार्य करती है।

6.7 मृत्यु संस्कार

धांगड़ समुदाय में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं नियति माना जाता हैं परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्त्रियां जोर–जोर से विलाप करती है जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते है सभी निकटस्थ सगे–संबंधियों को सूचना दी जाती है इस समुदाय में मृत शरीर को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, इनमें सूर्यास्त के बाद शव को दफनाया नही जाता है। सगे–संबंधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिन के समय शवाधान किया जाता है।

शव को श्मशान ले जाने के पूर्व उसे हल्दी पानी से धोया जाता है, फिर तेल हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद परिवार के लोग मृत शरीर को बाये हाथ से किया खिचड़ी खिलाया और पानी पिलाया जाता है। उसके नाक और कान में रूई डाल दी जाती है। फिर शव को सफेद कपड़ा (कफन) से ढ़क दिया जाता है। शव को ले जाने बांस की चैली बनायी जाती है जिस पर सफेद कपड़ा बिछाया जाता है जिसके उपर शर को पीठ के बल लिटाया जाता है, तत्पश्चात मृतक के पुत्र व अन्य सगे–संबंधी कांधा देकर सामाजिक शमशान घाट में ले जाते है। दफनाने हेतु 5–6 फीट लम्बा एवं 2–3 फीट चौड़ा अेर 4–5 फीट गहरा गड्ढ़ा खोदा जाता है।

1. माटी देना

मृत शरीर को गड्ढे (कब्र) में उत्तर दिशा में सिर व पैरों को दक्षिण दिशा पर रखा जाता है। शव के समीप मृत व्यक्ति के पंसद/उपयोग की वस्तुए रख दिया जाता है, जैसे कपड़े, गुडाखु, तम्बाखू, बीड़ी, चिल्हर पैसे इत्यादि। इसके पश्चात् पांच अथवा सात बार कब्र की परिक्रमा की जाती है। मृतक को मिट्टी देने का प्रथम अधिकार बड़े पुत्र को होता है तत्पश्चात् सगे–संबंधी एवं उसी गोत्र के लोग व अन्य लोग मिट्टी डालते है।

शव को दफनाने के पश्चात् परिवार की महिलाएं गांव के नजदीक नदी, नाले या तालाब में घाट के किनारे मृतक के नाम की ''ऊरई जड़ी'' (एक प्रकार का घास) को गाड़ते है साथ सरई का दातौन भी गाड़ते है उस पर चावल छिड़क दिया जाता है। महिला वर्ग पहले नहाने के पश्चात् तीन–तीन अंजली जल ''ऊरई जड़ी'' पर डालते है जब सभी महिलाएं वापस घर पहुंच जाती है तब पुरूश वर्ग नहाते है और ''ऊरई जड़ी'' पर जल डालते है। तथा मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते है।

मृतक के घर के दरवाजे के सामने परिवार का सदस्य, माटी देकर वापस आये लोग घर में घुसतें समय उन्हें सिकमा (कांसे का बर्तन), लोटा, सिकमा, बाल्टी में हल्दी पानी और सूखी मझली डालकर आम पत्ते से उन पर छिड़क कर शुद्ध करते है। परिवार की महिलाएं नहा धोकर आने के पश्चात जहां शव रखा गया था उस स्थान की साफ–सफाई कर गोबर से लिपाई करती है। उस जगह पर महिलाएं साड़ी के आंचल में और पुरूश गमछा/लुंहगी से पानी लेकर आते है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए शव रखे स्थान पर अर्पित करते है एवं उस दिन व्यक्ति के घर चूल्हा नहीं जलाया जाता है, पडोसियों के द्वारा परिवार को भोजन दिया जाता है।

2. तीज नहान

मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को ''तिज नहान'' कहा जाता है। इस दिन परिवार की बहू–बेटी, बुआ या फूफू घर की साफ–सुफाई एवं लिपाई–पुताई करते है, कपड़े धोते है। समाज के पुरूषों द्वारा भोजने बनाने का कार्य समाज के पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है, समाज के ही चार–पांच लोगों को आमंत्रित किया जाता है पहले सभी महिला नहावन हेतु नदी, तालाब के उसी घाट पर जाते है जहां ''ऊरई जड़ी'' और सरई दातौन गाड़ी हुई होती है सभी के नहाने के पश्चात अंजली से मृत आत्मा को शांति के लिए उसमें जल अर्पित करते है। तत्पश्चात् यह प्रक्रिया पुरूशों द्वारा भी की जाती है। इसके बाद तीज नहावन में आये सभी लोगों का समाज के मुखिया (पंच) द्वारा हल्दी पानी का छिड़काव कर शुद्धीकरण किया जाता है।

3. दशगात्र/दशकर्म

इस समुदाय में पुरूष मृत्यु होने पर दशवे दिन और महिला मृत्यु के नौवें दिन दशगात्र/दशकर्म मनाया जाता है जिसमें सगे–संबंधियों के अलावा ग्राम के अन्य जातियों के परिचितों को मृत्यु भोज हेतु बुलाया जाता है। इसी दिन अंतिम संस्कार किये व्यक्ति व मृतक के अन्य रक्त संबधी पुरूष सदस्यों का मुण्डन किया जाता है पहले सभी महिला नहावन हेतु उसी नदी, नाला, तालाब के घाट पर जहां ऊरई जड़ी और सरई दातौन को गाड़ा गया होता है नहाने के पश्चात् आत्मा शांति हेतु जल अर्पित किया जाता है और मृतक की पत्नी की चूड़ी तोड़ा जाता है और मायके द्वारा लाया गया सफेद साड़ी (चांदी का पतला चूड़ी) पहनाया जाता है।

तत्पश्चात यह प्रक्रिया पुरूषों द्वारा अंजली से मृत आत्मा की शांति के लिए उसमें जल अर्पित करते है और परिवार के सदस्य द्वारा ही उस ऊरई जड़ी और सरई दातौन को तालाब के बीचों बीच जाकर ठंडा किया जाता है। मृतक के घर के दरवाजे के सामने परिवार का सदस्य माटी देकर वापस आये लोग घर में घुसतें है, उन्हें सिकमा में हल्दी पानी और आम पत्ते से उन पर छिड़क कर शुद्ध करते है। साथ ही पूरे घर पर हल्दी एवं

चंदन पानी का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद चंदन–पान का कार्यक्रम किया जाता है। कुल दूवी–देवता एवं पूर्वज देव को नारियल, धूप और आगरबत्ती अर्पित करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते है।

मृत व्यक्ति के परिवार का बड़े पुत्र या बड़े सदस्य को आंगन में पीढ़ा में बिठाकर पंच द्वारा नये गमछे से पगड़ी बांधा जाता है, उसके बाद निकट रिश्तेदारों द्वारा नारियल गमछा या रूपया दान दिया जाता है। फिर सभी को चंदन का टीका लगाया जाता है अंतिम में गमछा औ रूपयों की गिनती कर सभी को बताया जाता है। चंदन पान के पश्चात ही मृत्यु भोज का कार्यक्रम किया जाता है।

समाज के पुरूषों द्वारा भोजन बनाने का कार्य समाज के पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृतक के परिवार द्वारा दशगात्र में शामिल सभी लोगों को सामर्थ्य अनुसार दाल–भात, साग–सब्जी, सामूहिक भोज कराया जाता है।

धांगड़ समुदाय में दशगात्र के रात येख मंखा (मृत आत्मा को अपने घर में बुलाना) का कार्यक्रम होता है। जब गांव में रात को लगभग ग्यारह से बारह बजे सुनसान हो जाने के बाद घर के सभी दिये/बत्ती बुझा दिए जाते है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। परिवार के सदस्य संबंधी द्वारा मैदान, घाट में जाकर मृत आत्मा का नाम बुला कर झरा अर्पित करते है उसे अपने घर पर आमंत्रित करते है।

दशगात्र के दूसरे दिन ''भांचा दान'' का कार्यक्रम होता है जिसमें मृतक परिवार मृत व्यक्ति के भांजा/भांजी को सामर्थ अनुसार दान करते है, यदि एक से अधिक भांजा/भांजी हो तो दान को उनके बीच में बराबर बांटा जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 7 जाति पंचायत संगठन

7.1 संगठन का स्वरूप

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते है। सभी समुदायों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समुदायों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखते के लिए विशिष्ट जाति पंचायत संगठन पाया जाता है, जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति से सामंजस्य बनाकर कार्य करता है।

अन्य जनजातियों की तरह धांगड़ जाति में भी सामाजिक नियंत्रण बनाये रखने हेतु सजातीय प्रशासन सामाजिक संगठन पाया जाता है। सर्वेक्षित धांगड़ समुदाय में भी ऐसा संगठन पाया गया, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होता है :–

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत।
2. क्षेत्रीय जाति पंचायत / परगना जाति पंचायत।
3. केन्द्र स्तरीय पंचायत / महासभा

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

धांगड़ निवासित प्रत्येक ग्रामों में पृथक–पृथक जाति पंचायत होती है, जिसमें धांगड़ जाति के ही व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिनका प्रमुख ''मुखिया'' कहलाता है। मुखिया योग्य अनुभवी तथा जानकार व्यक्ति होता है जिसका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है। साथ ही साथ तीन–चार वृद्ध अनुभवी व्यक्ति पंच का कार्य करते हैं। पंचायत में उपरोक्त के अलावा कोटवार और चपरासी का पद भी होता है, जो बैठक आयोजन की सूचना जाति के सभी लोगों तक अथवा लोगों की समस्याओं आदि को जाति के मुखिया तक पहुंचाने का कार्य करता है।

ग्राम स्तरीय जातीय पंचायत में जातीय स्तर के मुद्दे सर्वसम्मति से न्यायपूर्ण तरीके से हल किये जाते है। मुखिया एवं पंच जातिगत नियमों के जानकार व समझदार होने के साथ–साथ निर्णय देने की क्षमता रखते है। इस समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है।

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य निम्नलिखित होते है :–

1. जातीय ग्राम देवी–देवताओं एवं मनाये जाने वाले त्यौहारों, उत्सवों की तिथि एवं दिन का निर्धारण करना।
2. आपसी लड़ाई झगड़ों का सर्व–सम्मति से निपटारा करना।
3. विजातीय प्रेम–प्रसंगों से उपजी समस्यों का निराकरण करना।
4. सामाजिक नियमों के तहत् जातिगत लोगों के बीच परस्पर सहयोग एवं संगठन को मजबूत करना।

5. जाति में प्रचलित मान्यताओं, प्रथाओं, रीति–रिवाजों को जातिगत सदस्यों में लागू करना व नियमित क्रियान्वित करना।
6. परगना स्तर एवं केन्द्रीय स्तर की पंचायतों के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उनसे सामंजस्य स्थापित करना।

2. क्षेत्रीय जाति पंचायत/परगना जाति पंचायत

क्षेत्रीय स्तर की जातीय पंचायत का निर्माण 15–18 ग्रामों को मिलाकर किया जाता है, जिसका मुखिया ''क्षेत्रीय सरपंच'' कहलाता है। प्रत्येक ग्रामों के ''मुखिया'' क्षेत्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते है जिसमें क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से ''क्षेत्रीय सरपंच'' द्वारा लिया जाता है इसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता हैं ग्राम स्तर की जाति पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष मुद्दे क्षेत्रीय जाति पंचायत में ले जा सकता है।

क्षेत्रीय जातीय पंचायत में सभी छोटे–बड़े मामले शामिल किये जाते है। साधारणतः प्रयास किया जाता है कि मामलों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाये अथवा दोनों पक्षों का समझौता करा दिया जाये। सभी धांगड़ ग्रामों के मुखिया के अलावा इस स्तर की पंचायत में भी चपरासी और कोटवार का पद भी होता है, जो बैठक आदि की सूचनाएँ सदस्यों तक पहुँचाता है।

क्षेत्रीय जाति पंचायत के कार्य :-

1. क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों का निपटारा करना।
2. विवाह संबंधी नियमों का पालन कराना।
3. विवाह, तलाक, झगड़े आदि का निपटारा करना।
4. जातिगत, उत्थान के कार्य करना।
5. बारात, सुकपैसा आदि संबंधित नियमों को सरल बनाना।
6. जातिगत देवी–देवताओं के वार्शिक कर्मकाण्ड की व्यवस्था करना।
7. ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निपटारा करना।
8. केन्द्रीय पंचायत के नियमों व निर्णयों का पालन करवाना व उससे समन्वय बनाए रखना।

3. केन्द्रीय जातीय पंचायत (महासभा)

समस्त क्षेत्रीय पंचायतों को मिलाकर केन्द्रीय जातीय पंचायत या महासभा का गठन किया जाता है। महासभा प्रमुख को 'सभापति' कहा जाता है, जिसका चुनाव सभी क्षेत्रीय पंचायत व ग्राम स्तरीय पंचायतों की प्रमुखों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है। अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों का जानकार हो, निर्णय क्षमता, ईमानदार हो तथा वह लोगों से पारस्परिक संबंध बनाए रखें। महासभा की बैठक का आयोजन वर्ष में प्रायः एक बार किया जाता है, किन्तु विशेष परिस्थिति में एक से अधिक बार आयोजित की जा सकती है।

महासभा में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष व सदस्य होते हैं। महासभा के पद परम्परागत नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए ग्राम स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों को मामलों का निचले स्तर पर निपटारे हेतु निर्देशित किया जाता है। इसमें निचले स्तर के पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निराकरण किया जाता है।

केन्दीय जाति पंचायत (महासभा) के कार्य

1. ग्राम व क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों के अनसुलझे मामलों को सुलझाना।
2. सामाजिक नियमों, निषेधों, मान्यताओं में एकरूपता लाने का प्रयास करना।
3. जातिगत उत्थान के लिए नियम बनाना व उसके हितों की रक्षा करना।
4. बाल विवाह एवं अधिक वधू मूल्य प्रथा आदि संबंधित कार्यों को निशेध करना।
5. जातिगत नियमों, रीति–रिवाजों को कठोरता से ग्राम स्तर व क्षेत्रीय स्तर पर लागू करवाना।
6. अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
7. जाति के सदस्यों में सहयोग की भावना जागृत करना तथा अन्य जातियों के साथ परस्पर सहयोग बनाये रखने हेतु निर्देशित करना आदि।

उपरोक्त सभी प्रकार की जाति पंचायतों के पद अवैतनिक होते हैं। जमा किये गये कोश के माध्यम से केवल सामाजिक चपरासी को सूचना आदान–प्रदान करने के बदले सहयोग राशि प्रदान की जाती है।

7.2 जाति पंचायत में प्रथागत दण्ड प्रावधान

धांगड़ समुदाय की जाति पंचायतों में आपसी लड़ाई झगड़े, निषेधों की अनुज्ञा, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अन्तर्जातीय विवाह, तलाक आदि मसलों पर दोशी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान हैं इनमें दण्ड के प्रकार निम्नलिखित है :–

1. आर्थिक दण्ड
2. समाज से बहिष्कृत करना
3. आर्थिक दण्ड और बहिष्कार दोनों एक साथ

1. आर्थिक दण्ड

धांगड़ समुदाय में जाति पंचायत द्वारा अपराध आधारित अर्थदण्ड दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते हैं इसमें अर्थदण्ड की राशि मुद्दे आधारित होती है, जो 101 रू. से लेकर 5000 रू. तक हो सकती है। ग्राम स्तर पर आपसी लड़ाई झगड़े, चोरी, शराब पीकर मारपीट, बैठक में सम्मिलित न होना, निशेधों का उल्लंघन आदि साधरण अपराध पर 101 रू. से लेकर 1000 रू. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है वहीं बड़े अपराध पर यह राशि 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाती है।

2. बहिष्कार

धांगड़ समुदाय में समाज के निर्धारित मापदण्ड के विपरीत किसी भी मुद्दे पर दोशी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े अपराध जैसे– अन्तर्जातीय विवाह, तलाक, धर्म परिवर्तन आदि कृत्य पर समाज से बहिश्कृत करने का प्रावधान है, इस तरह के अपराध में सामाजिक निर्णय नहीं किया जाता बल्कि शासन के कानून द्वारा ही इस पर कार्यवाही की जाती है।

3. अर्थदण्ड एवं बहिष्कार

इस प्रकार के दण्ड विशेष सामाजिक अपराधों जैसे निम्न/उच्च अन्तर्जातीय विवाह करना, विवाह पूर्व गर्भधारण करना, भाग कर शादी करना, गौ हत्या करना, बलात्कार करना, पूर्व घोषित क्षतिपूर्ण आदेश का उल्लंघन आदि परिस्थितियों में निर्धारित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त दोषी व्यक्ति को सामाजिक भोज आदि का आयोजन करना होता है। भोज में बकरा, मुर्गा एवं झरा आदि अनिवार्य रूप से खिलाना–पिलाना होता है।

दण्ड का परिपालन

धांगड़ समुदाय में जाति पंचायत द्वारा दोषी व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड का पालन उसे हर परिस्थिति में करना होता है क्योंकि दोषी व्यक्ति समाज में अकेला कभी नहीं कर सकता। उसे और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने अथवा किस्तों में चुकाने के लिए जाति पंचायत से निवेदन कर सकता है। लेकिन सामाजिक भोज एवं जुर्माना का दण्ड उसे तत्काल चुकाना पड़ता है।

यदि समजातीय वर्ग में गर्भधारण या विवाह का मामला आता है, तो प्रारंभ में लड़की और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तत्पश्चात् लड़के का पता लगाकर अर्थदण्ड और सामाजिक भोज लेकर विवाह करा दिया जाता है एवं उनके परिवार को समाज में शामिल कर लिया जाता है।

यदि अन्तर्जातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला हो और लड़का दूसरे जाति का हो तो उस लड़की को पूर्णकालिक समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यदि समाज का व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह करता है, जो उसे दोनों प्रकार से दण्डित किया जाता है और सामाजिक भोज कराने के पश्चात् पुनः सामाजिक सदस्यता प्रदान कर दी जाती है।

यदि लड़का निम्न जाति वर्ग की लड़की से विवाह कर लेता है तो लड़के को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसे अर्थदण्ड एवं सामाजिक भोज लेकर पुनः सदस्यता प्रदान की जाती है। लेकिन उसकी पत्नी को समाज स्वीकृत नहीं करता, किन्तु उनके बच्चे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर अपनी जाति में शामिल कर लिया जाता है।

इस समुदाय में शराब पीकर गाली गलौच, मारपीट, चोरी करने आदि मामलों में 101 रू. से लेकर 1000 रू. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है।

यदि किसी दम्पत्ति में तलाक की स्थिति आती है और लड़के की गलती हो तो उसे वधू धन वापस करने के साथ 1001 रू. व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है। और यदि लड़की की गलती हो तो उसे 1001 रू. नगद व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है। सामाजिक भोज में दोशी व्यक्ति को बकरा अथवा मुर्गा, दाल–भात, सब्जी आदि के साथ शराब की भी व्यवस्था करना पड़ता है।

7.3 जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी

धांगड समुदाय की जातीय पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उसे इन क्षेत्रों में प्राथमिकता नही दी जाती है। जाति पंचायत में महिला केवल स्वयं के मामले में या किसी मामले में गवाही देने हेतु शामिल हो सकती है। वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के परिणामस्वरूप व संगठन की दृष्टि से धांगड़ महिलाओं की सामाजिक संगठनों में जिम्मेदारियां तय की जा रही है किन्तु ग्राम स्तरों की जातीय पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है।

❑❑❑❑

अध्याय - 8 धार्मिक जीवन

धांगड़ समुदाय भी धर्म, प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं पर विश्वास करती है। वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते है, और मृत्यु उपरांत अलग–अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। आत्मा के रूप में पितृदेव (पूर्वज) अपने वंशज की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते है। धांगड़ जनजति इन शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर पारंपरिक रीति–रिवाजों, मान्यताओं व विश्वासों के आधार पर देवी–देवताओं की पूजा, अर्चना एवं बलि भेंट आदि के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

जनजातीय धर्म उनके सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन के विभिन्न संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, जो सामुदायिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने की उत्तम व्यवस्था है। जनजातियों में पर्व एवं उत्सव अपने आराध्य देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना व स्तुति लोकनृत्य एवं गीत संगीत के माध्यम से करते है। धांगड़ जाति में धर्म दैनिक–जीवन, सामाजिक–आर्थिक एवं जीवन के अन्य संस्कारों में गुथा हुआ है। धांगड़ समुदाय में निम्नानुसार देवी–देवता की पूजा की जाती है :–

8.1 गृह देवी-देवता

धांगड़ समुदाय में गृह देवी–देवता गोत्र के अनुसार होते हैं। प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति अपनी–अपनी उत्पत्ति विभिन्न पूर्वजों से मानते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य आभार स्वरूप त्यौहारों, उत्सवों आदि पर पूर्वज देव की पूजा अर्चना करते है। प्रत्येक घर में गृह देवी–देवताओं के प्रतीकात्मक रूप में चार स्थलों पर वास होते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

8.1.1 पूजा कक्ष

धांगड़ समुदाय में निराकार धर्मेश, सूर्य (धर्मे बेला) है, इसी को धांगड़ समुदाय अपने पूर्वजों को ही अपने देवी–देवता मानते है। देवी देवता का स्थान अन्दर कमरे के एक कोने को माना जाता है अलग से मंदिर नहीं बनाया जाता। अन्दर के किसी कमरे में जब कोई त्यौहार होता है तो कोने के स्थान को पूजा का स्थान मानकर पूजा सम्पादित किया जाता है।

8.1.2. कोठा (गोयसाली)

धांगड़ समुदाय के लोग पशुशाला (गोयसाली) में पशुओं की रक्षा के लिये सोहराई परब मनाते है यह दीपावली के दूसरे दिन प्रायः मनाया जाता है। अपने गोत्र के अनुसार मुर्गी की बलि देकर विशेष पूजा की जाती है।

8.2 ग्राम देवी-देवता

इनमें ग्राम स्तर पर धांगड़ समुदाय के अपने आराध्य देवी–देवता पाये जाते हैं, जिनकी विशेश अवसरों पर पूजा अर्चना की जाती है। ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं आपदाओं से रक्षा के उद्‌देश्य से इनकी स्थापना की जाती है।

इनमें सरना स्थल और गांव के सीमा (सीवना) की जगह अराध्य देव धर्मे बेला की पूजा की जाती है। धांगड़ समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले प्रमुख पूजा इस प्रकार है:–

8.2.1 पीढ़ी पूजा :-

यह पूजा बाप, बेटा, नाती और आगे हर पीढ़ी का पूजा करना जरूरी है। इस पूजा में गोत्र के अनुसार बकरा या काला भेड, मुर्गा हो तो इसकी बलि दी जाती है। इस पूजा में विवाहित जोड़े ही पूजा में बैठते है और समाज के सदस्य द्वारा सम्पन्न किया जाता है, इस पूजा में शादी की भांति ही अपने सगा संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है, यह पूजा अपने कुल के रक्षा के लिए कराया जाता है। पूजा के बाद मेहमानों को भोजन पूर्व झरा दिया जाता है, और फिर महिला और पुरूष द्वारा कुडुख बोली में शादी गीत गाया जाता है।

8.2.2 खुटी पूजा :-

इस पूजा को घर एवं पूरे परिवार की सुरक्षा कवच पूजा माना जाता है। हर साल फागुन माह में बैगा द्वारा किया जाता है, इसमें भी गोत्र अनुसार रंगों का मुर्गी दो से तीन का बलि दिया जाता है बरही, जादू–टोना, भूत–प्रेत से रक्षा के लिए यह पूजा किया जाता है।

8.2.3 डंगरी पूजा :-

जब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, हाथ पैर नहीं चलता है। तब चावल, सराई पत्ता, तांबा का पैसा और हल्दी को गुधवा रस्सी में गांठमार (बांध) कर घर के दरवाजे के उपर खोच दिया जाता है। बीमार व्यक्ति के ठीक होने पर डंगरी पूजा की जाती है यह एक प्रकार से अपने देवताओं के साथ करार माना जाता है।

8.2.4 हरयारी पूजा :-

यह पूजा आशाढ़ माह में किया जाता है। इस पूजा में खेती के उपयोग उपकरण को धोकर/सफाईकर मुख्यतः इसमें नये भाजी को खाने का प्रकृति या अपने देवी देवताओं से आज्ञा लेने का पूजा माना जाता है, इस पूजा में भी मुर्गी बलि देकर झरा अर्पण किया जाता है। इसी दिन से घर–परिवार के लोग नया भाजी खाते है, इसे ही हरयारी पूजा कहते है।

8.2.5 पलकासना पूजा :-

व्यक्तिगत तौर पर अपने घर पर किया जाता है समाज के कोई भी जानकार व्यक्ति जो धर्मे बेला की कहानी जानता है उसे बुलाकर घर की सुख–शांति के लिए यह पूजा कराया जाता है। इसमें चावल दाना को तीन रंगों (काला, पीला और लाल) एवं एक अण्डा, सरई का दातौन और सरई के पत्ते के साथ झरा का पूजा में उपयोग किया जाता है। गुड का चिला रोटी का प्रसाद चढ़ाते है।

8.3 प्रमुख त्यौहार

धांगड़ समुदाय द्वारा निम्नलिखित त्यौहार मानये जाते हैं :–

8.3.1 तुसगो (नवाखानी) :-

धांगड़ समुदाय में तुसगो परब मुख्य त्यौहार है, इसी दिन में धांगड़ लोग पितर पुजा भी करते है, जब धांगड़ लोगो के निवास गांवो में धान पक जाता है तब यह परब मनाया जाता है, इस दिन घर का मुखिया सर्व प्रथम तालाब में जाकर स्नान करता है और लोटा में पानी भर कर घर के कोने में जहां पूजा के लिए स्थान बनाया वहा रख देता है, फिर दिया जलाकर अपने पूरखा–पचबल को सर्वप्रथम नये फसल (चावल) के साथ जो पकवान बने है उसे अर्पित करता है, और गोत्र अनुसार मुर्गा को उस चावल को मंत्रोचार के साथ खिलवाता है, फिर उसकी बली दी जाती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करता है, मुख्य बात यह है कि जो प्रसाद अर्पण किया जाता है उसे उसी परिवर के पुरूश वर्ग को ही दिया जाता है। उसके बाद मेहमानों/गांव–पारा के लोगो को परब में बनाये गये पकवान को देकर मेहबान–नावाजी किया जाता है।

8.3.2 सोहराई/गोसली पूजा (दीवाली) :-

यह त्यौहार में घर के गोयसाली पर पूजा–पाठ किया जाता है इस दिन रोटी या पकवान नही बनाया जाता है। दो मुर्गा को हसिया से काटा (बलि) कर देवों (पूर्वजो) को पूजा जाता है और चावल एवं मुर्गा के गोस्त को बिना हल्दी, तेल, मशाला के एक साथ पकाया जाता है और देवता को चढ़ाते है, बिन बिहाई लड़की (कुवारी) को यह प्रसाद नहीं दिया जाता है बाकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ कर प्रसार रूपी मिश्रित चावल, और झरा को सेवन करते है और कुडुॅख बोली में गीत गाया जाता है।

8.3.3 फग्गू (होली) :-

धांगड़ समुदाय के लोग होली की जगह फग्गू त्यौहार मनाते है। फग्गू त्यौहार मनाने की रीति :– इस दिन परिवार के महिलाएं सुबह से ही नहा, धोकर रोटियां बनाने में लग जाती है, जिनमें धांगड़ जाति के पूजा में प्रयोग होने वाली मुख्य रोटी चावल, उड़द से मिलाकर चाहे तो मीठा या नमकीन (इसे बोरबा कहते है) मुख्य होता है। घर के युवा पुरूश खेतों या जंगल से ग्रीश्मकालीन फलों का चुनकर लाते है, जैसे आम (टटखा), महुआ (मदगी), चार (किट्टी), तेंदु (तेला) आदि, परिवार के सबसे वरिश्ठ पुरूश सदस्य पूजा करते है, वहा नहा धोकर सामान्यतः शयन कक्ष में ही (काई अलग से पूजाघर नही होता), गोबर से चौकोर लेपन कर उसमें चावल को 3 जगह रखते है, एक–धर्मी बेला, दूसरा टोटम के लिए (जैसे केरकेट्टा है तो ओड़ा के लिए), तीसरा पूवर्जो के लिए, फिर खपरैल में ही आग लेते है धूप देते हुए स्तुति करता है – हे धर्मी बेला को गोहराते हुए तीनो अपने मूल राज्य, स्थान के साथ अपने पूर्वजो से विनती करते है आज फग्गू के आपके हिस्से का प्रसाद ग्रहण करो बालतें (कुडॅख में) हुए धूप देता है फिर चावल से बना झरा को एंटी क्लॉक वाइज धुमाता है फिर गोत्र के हिसाब से विशेश रंग का मुर्गा को वहां रखे चावल को खिलाता है, मुर्गा दाना चुग लेता है उसके बाद उसकी बलि दी जाती है, तत्पश्चात रोटी, फल, फूल को चढ़ाता है, फिर घर में परब का माहौल शुरू होता है। धांगड़ समुदाय के लोग घर–घर घूम कर, झरा एवं रोटियॅा खाते पीते है।

8.3.4. करम परब (करमा पर्व) :-

करम परब मनाते हुए

धांगड़ समुदाय के लोग प्राचीन काल में तुसगो त्यौहार के दिन ही करम परब मनाते थे, अब वर्तमान परिदृश्य में समुदाय में एकता स्थापित करने के लिए प्रति वर्ष ''कुवॉर पूर्णिमा'' के दिन एक साथ मनाते है। धांगड़ आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, और इस दिन करम पेड़ की पूजा पाठ कर डाली को काट कर लाते है और गांव के (करम स्थल) अखाड़ा में गाड़ कर पूजा की जाती है, इस दिन कुंवारी कन्या निर्जला उपवास रखती है, समुदाय का बैगा विधिवत करम देव की पूजा पाठ करता है और करम के बारे में कुडॅख भाषा में ही कथा सुनाता है, उसके बाद करम गीत और करम नृत्य कर धांगड़ लोग करम देव को मनाते है, और रातभर जागरण कर गीत–नृत्य कर दूसरा दिन सुबह विधिवत करम देव का पूजाकर विसर्जन किया जाता है।

8.3.5 खद्‌दी परब :-

धांगड समुदाय ने अपने रीति–रिवाजों कर्मकाण्डो एवं अनुष्ठानों को अपने पूर्वजो की एक धरोहर मानकर संजोकर रखा है। नव वर्श का चैत माह आते ही धांगड़ लोग खद्‌दी परब की तैयारी शुरू कर देते है, ''चैत पूर्णिमा'' के दिन धूमधाम से मनाते है। इस दिन धांगड़ लोग सुबह साल वृक्ष की डाली को काट कर अखड़ा में लाते है और अपने इष्टदेव (धर्मेश) और धरती माता के विवाह के रूप में मनाते और पूजा पाठ करते है, इस कारण इसे धरती पूजा भी कहा गया है, रातभर खद्‌दी गीत और नृत्य कर इष्टदेव मनाते और पूरे समुदाय की खुशहाली की कामना करते है। इस परब में साल के फूल को ही अर्पित किया जाता है।

खद्‌दी परब

धांगड़, समुदाय अपनी सभी प्रकार के त्यौहारों या पूजा–पाठ में झरा का ही तर्पण किया जाता है। शराब का उपयोग पूजा पाठ में नही किया जाता है।

8.4 आत्मा एवं जादू-टोना

धांगड़ जनजाति आत्मवादी विचारधारा में विश्वास करती है। ये आत्मा के अस्तित्व को मानते है और मृत्यु उपरांत अलग–अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। ये मानते है कि पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते है।

धांगड़ में मृत्यु पश्चात् मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर पितर के रूप में स्थापित किया जाता है तथा उनकी पूजा–अर्चना की जाती है इसी प्रकार शिशु जन्म पश्चात् छट्टी के दिन अनेक विधियों से पुनर्जन्म में पूर्वज का नाम ज्ञात किया जाता है।

8.4.1 भूत-प्रेत (नाद)

यह जाति नाद पर भी विश्वास करती है। धांगड़ सदस्य मानते हैं कि जंगली पशुओं द्वारा शिकार हुए व्यक्ति, विवाह योग्य अविवाहित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटनावश आयु पूरी न होने के कारण, उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो लोगों को परेशान करती है। धांगड़ सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत–प्रेत, चुड़ैल, मटिया, मसान, रक्शा आदि नामों से जानते हैं।

ये मानते है कि नाद आदि का निवास श्मशान, इमली पेड़ के नीचे, नदी नाला एवं तालाब किराने, सुखे पेड़ आदि में होता है। ऐसे स्थानों पर गर्भवती महिलाओं व सामान्य व्यक्तियों को रात्रि के समय जाने की मनाही होती है। साथ ही ऐसे स्थानों पर मल–मूत्र त्याग से भूत–प्रेत सताते हैं। सामान्यतः भूत–प्रेत अमावस्था व पूर्णिमा के समय अधिक विचरण करते हैं। भूत–प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता है। पागलों जैसी हरकते करता है, आंखों का रंग बदलता हैं, आवाज में भारीपन जा जाता है, शरीर सूखने लगता है। यदि किसी महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रेत आत्मा जब गर्भवत महिला को पकड़ती है, तो उसकी संतान मृत पैदा होती है या वह बांझ हो जाती है। ऐसी अवस्था में बैगा या गुनिया द्वारा वस्तु स्थिति ज्ञात की जाती है, उसकी पुष्टि के बाद वह धार्मिक जादुई कर्मकाण्ड कर वह भूत–प्रेत के प्रभाव से मुक्त करता है।

8.4.2 जादू-टोना

धांगड़ जनजाति जादू–टोना पर भी अत्यधिक विश्वास करते है। जादू–टोना का कार्य करने वाले पुरूष सदस्य को ''बिसहा'' और महिला को ''बिसहिन'' कहा जाता है। ग्राम में ऐसे लोगों से दूर रहने या औपचारिक संबंध रखने की सलाह दी जाती है।

जादू–टोना करने वाला व्यक्ति जिस पर जादू–टोना करना होता है उसके पैर की धूल, बाल, कपड़ों के टूकड़ो आदि के माध्यम से उस पर जादू करता है व अपने वश में कर इच्छानुसार कार्य कराता है।

जादू–टोने से ग्रसित व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, हमेशा बीमार रहता है, शरीर का वजन कम होने लगता है। कभी–कभी पागलों जैसा व्यवहार करता है अथवा पूर्ण रूप से अपना मानसिक संतुलन खो देता है, गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु या प्रसव पश्चात् शिशु की मृत्यु होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं।

सामाजिक बुजुर्ग (गुनिया) पता लगाकर जादू–टोना का उपचार जादू–टोना से ही करता है। वह अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग जादू–टोना ग्रसित व्यक्ति पर करता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति पर जादू का असर धीरे–धीरे कम होने लगता है। इसके लिए बैगा नीबू काटना, मुर्गा काटना, खून चढ़ाना जैसे अनेक कर्मकाण्ड एवं मंत्रोच्चार करता है।

8.5 रोग निदान एवं उपचार

धांगड़ जनजाति किसी भी प्रकार की अस्वस्थता या बीमारी को अलौकिक या आत्मीय घटना मानती है तथा उसका उपचार भी उसी माध्यम से कराने का प्रयास करती है। इनका वनों से घनिश्ठ संबंध होने के कारण इनको वनौशधियों का भी ज्ञान है तथा समय–समय पर स्थानीय या लोग औशधी के माध्यम से उपचार कराते है।

इनमें किसी भी प्रकार की अस्वच्छता होने पर पूर्वज आत्माओं का नाराज होना, देवी–देवताओं का कुपित होना, सामाजिक–धार्मिक निशेधों का उल्लंघन करना, भूत–प्रेत लगना, नजर या टोटका लगना आदि को कारण माना जाता है। अतः उपचार हेतु अपनी सामाजिक मान्यता प्राप्त पारंपरिक चिकित्सकों ''सामाजिक बुजुर्ग'' (बैगा) की मदद लेते है।

रोग का निदान ''बैगा'' (गुनिया) द्वारा किया जाता है। बैगा रोग या अस्वस्थता को तीने प्रकार की नैदानिक प्रविधियां अथवा जादुई धार्मिक कर्मकाण्ड, नाड़ी देखकर व लक्षण आधारित प्रविधियों द्वारा पता करता है एवं उपचार झाड़–फुंक एवं वनौशधियों के माध्यम से करता है। बैगा द्वारा बुखार, उल्टी, पेट दर्द, घाव, सर्प दंश, बिच्छू दंश, कुत्ता काटने, अनियमित मासिक धर्म, खाना हजम आदि की औशधियां दी जाती है। उपचार पश्चात् बैगा को स्थिति अनुसार, मुर्गा, नारियल, चावल एवं नगद ''चढ़ावा'' दिया जाता है। पारम्परिक उपचार कराने पर स्वास्थ्य सुधार न होते पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करवाते हैं।

8.6 विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव

धांगड़ समुदाय के धार्मिक जीवन में आंतरिक एवं बाह्य सम्पर्क का प्रभाव दिखाई देता है। यह जाति ग्राम में गोड़, कंवर, बिंझिया, सबरिया, सवरा आदि जनजातियों के साथ निवास करने पर भी अपने देवी–देवताओं का ही पूजा पाठ करते है।

धांगड़ जाति के ब्राह्मण, राजपूत, तेली, अहीर, यादव, मरार आदि जातियों के साथ निवासित होने के कारण इन पर हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा, व्रत, त्यौहार आदि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

अध्याय - 9 लोक-परम्परायें

धांगड़ समुदाय की लोक परम्परा में लोकगीत, लोक नृत्य व उनके वाद्ययंत्रों का विशेष महत्व होता है। विशिष्ट अवसरों जैसे फागून में फग्गु गीत, भादो–आश्विन माह में करमा नृत्य, विवाह के समय विवाह गीत, कृषि कार्य के रोपाई, निंदाई एवं कटाई गीत, नृत्य आदि प्रमुख है। यह समुदाय नृत्य व गीत के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं।

विवाह गीत, फग्गु गीत आदि का सामूहिक रूप से गायन किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि सुरों में एकरूपता एवं लयबद्धता बनी रहे। समुदाय में पाये जाने वाले लोक गीत मुख्यतः कुडुख बोली में होते है। हर तीज–त्यौहारों, उत्सवों में लोकगीत कुडुख में ही गाया जाता है।

9.1 उपभाषा (बोली)

"विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।''

भाषा के संबंध में कहा जाता है हम जो ओढ़ते–बिछाते हैं वही भाषा में बोलते हैं। संपर्क हेतु भाषा ही है जो हमें साहित्य से जोड़ती है भाषा जीवन की सहजता की तरह होकर जीवन की संवेदनाओं से जुड़े भाषा का प्रवाह मानव जीवन में शाश्वत चेतना पैदा करती है। भाषा संस्कारित करने के लिए हमें अपनी आत्मा को जगाता है। ग्रामीण जनता ही भाषा का निर्माता होता है। भाषा निर्वाध्य है। भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है, इसके अभाव में मनुष्य विकास नहीं कर सकता और साहित्य भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों का समूह होता है। व्यक्ति समाज में प्राकृतिक जगत से जो अंतरंग संबंध स्थापित किया है, वह भाषा से ही व्यक्त करता है। इस तरह भाषा एक सामाजिक वस्तु है इसमें समाज की झलक मिलती है। सामाजिक संरचना और परिवेश से भाषा का स्वरूप निखरता है।

धांगड़ जनजाति की उपभाषा या बोली **"कुडुँख"** है। धांगड़ अपने को कड़ुँख़र कहते हैं, जिसका अर्थ कुडुँख़ जाति के लोग या कुडुँख़ भाषी लोग। जाति और भाषा के आधार पर धांगड़ की कई दक्षिण भारतीय समुदायों से निकट की समानता है। कुडुँख बोली मुख्य रूप से झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश में बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है।

धांगड़ की कुडुँख बोली मुण्डा खड़िया, जनजाति की बोली से सर्वाधिक मिलती है। कुडुँख एक बोली है जिसकी अपनी समृद्ध वाचिक परम्परा है। ''कुडुँख'' शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित है। डॉ. प्रकाश चंद्र धांगड़ के अनुसार–''कुडुँख'' शब्द की उत्पत्ति "कोरकुई", ''कुरूष" या "कुरूक्षेत्र" से माना जा सकता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कुडुँख द्रविड़ भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है।

कुडुँख की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द 'करूग' से माना जाता है जो धांगड़ों के वंश का टोटम है। इसी टोटम के आधार पर कुँडुख़ का नामकरण हुआ। इस प्रकार कुडुँख भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत तमिल, तेलगु, मलयालम, कुडुँख (धांगड़) मालतो, कुई, कोण्डा, गोंडी, परनी, गदबा, नायकी, कोलायी आदि प्रमुख भाषा है। उनमें 'कुडुँख' भाषा सबसे प्राचीन है।

कुछ हिन्दी वाक्यों के कुडुँख अर्थ इस प्रकार है -

	हिन्दी		कुडुख
1.	बकरी लेकर जा रहा है।	–	ऐडा अबोन होआदन
2.	बाजार जा रहा हूँ।	–	बाजार कादन
3.	इधर आओ।	–	इतरा बरा।
4.	उधर जाओ।	–	अतरा कला

रिश्तेनातों के कुडुख नाम -

अज्जी	–	दादी, नानी
अज्जो	–	दादा, नाना
अयंग, अयो	–	माता, माँ
अबा, बा	–	पिता
अलखो	–	भतीजी
अलखोस	–	भतीजा
एरखो	–	ननद
एरखोस	–	देवर
कका	–	काका, चाचा
ककी	–	काकी, चाची
खई	–	वधू, बहू
गुतनी	–	भाइयों की पत्नियॉ आपस में गुतनी होती है
जादा	–	जेठानी
जौनखदी, जौन्दखदी	–	दामाद
ताची	–	मामी, फूफी, बुआ
दई	–	दीदी, अग्रजा
नत्तिस	–	पोता, नाती
नत्ती	–	पोती, नातिन
नासगो	–	भाभी
पिन्नी	–	ताई
पिपो	–	ताऊ

बंग	–	पिता
बयनाला	–	जेठ
बेकेत	–	दम्पत्ति
भइगना	–	भांजा
भइगनी	–	भांजी
ममु	–	मामा, फूफा
मुक्का	–	पत्नी, स्त्री

9.2 लोकगीत

धांगड़ जनजाति का लोकगीत कुडुख बोली में होते है। करम परब, खद्दी परब, तुसगो, सोहराई, फग्गू के साथ जन्म, विवाह में खुशी के लोकगीत व मृत्यु में दुख के लोकगीत गाये जाते है।

9.3 लोकनृत्य

धांगड़ समुदाय के लोगों का मुख्य नृत्य करमा नृत्य, खद्दी नृत्य के साथ जन्म संस्कार और विवाह के समय नृत्य करते है। यह समाज अपने समुदाय के लोगों के साथ ही नृत्य करते है। अन्य समाज के साथ मिलकर नृत्य नहीं करते है।

9.4 संगीत

धांगड़ समुदाय में नृत्य के समय मांदर, झांझ, मंजिरा आदि संगीत के प्रमुख साधन है।

9.5 कहावत एवं लोकोक्तियाँ

धांगड़ समुदाय में अनेक लोकोक्तियां एवं कहावतें प्रचलित हैं, ये लोकोक्तियां व कहावतें दैनिक जीवन, आर्थिक कार्य, सामाजिक व धार्मिक जीवन, पशु–पक्षी आदि से जुड़ी हुई है, जिसे लम्बे समय से जन समुदाय द्वारा बोल–चाल में उपयोग किया जा रहा है। ये लोकोक्तियाँ एवं कहावत वार्तालाप के समय अपनी बात सटीक एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है। धांगड़ समुदाय में एक व्यक्ति अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नवयुवक अपनी प्रेमिकाओं, एवं नवयुवतियों अपने प्रेमी के बुद्धि परीक्षा हेतु समय व्यतीत करने के उद्देश्य से कई पहेलियां पूछते है। जिसमें उस वस्तु के बारे में संक्षेप में बताते है किन्तु दिशा निर्देश दूसरे वस्तु या सदृश्यता के आधार पर होता है।

ये कहावतें एवं लोकोक्तियां धांगड़ समुदाय के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होती है, जिसे इनके द्वारा अपनी बात को सटीक एवं संक्षिप्त रूप में दैनिक बोल–चाल में उपयोग किया जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 10 परिवर्तन एवं समस्याएं

10.1 परिवर्तन

धांगड़ समुदाय के सर्वेक्षण के दौरान उनके सामान्य जन–जीवन में शिक्षा, संचार, आवागमन, अन्य संस्कृतियों के साथ सम्पर्क तथा नयी तकनीकों के प्रयोग के कारण जीवन शैली, रहन–सहन आदि में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव दिखाई देता है। धांगड़ जनजाति में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है :–

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

(i) इस समुदाय में परंपरागत आवास के स्थान पर नयी शैली के आवास का निर्माण होने लगा है। दीवालों हेतु मिट्टी के स्थान पर ईंट, पत्थर आदि का उपयोग किया जाने लगा है। आवास में छत के नीचे इमारती लकड़ी का पटाव देखा जा सकता है। दीवालों की पुताई ''छुही'' के स्थान पर चूने से दिखाई देने लगी है। अधिकांश घरों में ''दिये'' के स्थान पर रोशनी हेतु एकलबत्ती बिजली की व्यवस्था हो गई है।

(ii) दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर स्टील, कांसा, पीतल व एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग होने लगा है। वर्षाकाल आदि में छाता, रेनकोट, जूते, चप्पल आदि का उपयोग होने लगा है। घरों में प्लास्टिक की चटाई, कुर्सियाँ, डिब्बे, बाल्टियाँ देखी गई। कई परिवार दीवाल घड़ी, टी.वी, रेडियों, पंखा, मोबाइल, साईकल आदि का उपयोग करने लगे है।

(iii) शारीरिक स्वच्छता एवं सौन्दर्य प्रसाधन में दातून के स्थान पर टूथब्रश व टूथपेस्ट, स्नान हेतु बाजार से खरीदे गये खुशबूदार साबुन, कपड़े धोने हेतु डिटर्जेन्ट पावडर, श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पावडर, बिंदिया, क्लिप का उपयोग करने लगे हैं। वस्त्रों में जींस, टी–शर्ट, पैजामा, कुर्ता, सलवार, रंग–बिरंगी सांड़िया आदि का उपयोग करने लगे हैं।

(iv) मनोरंज एवं वाद्ययंत्रों में पारम्परिक बाजा आदि का स्थान टी.वी., सीडी प्लेयर, रेडियो, लाउडस्पीकर ले रहे है।

(v) आवागमन के साधनों में सायकल, ट्रेक्टर, बस, जीप, आदि का उपयोग किया जाने लगा है।

2. आर्थिक परिवर्तन

(i) धांगड़ जनजाति के द्वारा कृषि पूर्व में गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब कुछ परिवारों द्वारा गोबर खाद के साथ–साथ रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। जुताई हेतु बैल–नागर के साथ–साथ ट्रेक्टर का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ii) यह जाति पूर्व में वनोपज संग्रहण, शिकार तथा सीमित कृषि पर आश्रित थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में अधिकतर परिवारों के पास कृषि भूमि है। इसके अलावा, ये कृषि मजदूरी, शासकीय मजदूरी एवं वनोपज विक्रय आदि का कार्य भी कर रहे हैं।

(iii) इस समुदाय में पूर्व में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी, किन्तु वर्तमान में अधिकांश परिवारों द्वारा नगद व्यवहार किया जाता है।

(iv) ये अब कृषि कार्यों हेतु ऋण के लिये साहूकारों पर ही आश्रित नहीं है, वरन् इनके द्वारा शासकीय बैंक या सहकारी समितियों से ऋण लिया जा रहा है।

3. सामाजिक परिवर्तन

(i) धांगड़ जनजाति में पूर्व में पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवारों को उचित माना जाता था। लेकिन अब संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं।

(ii) अन्तर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से यात्रा, निवास, खान–पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया।

(iii) पूर्व में घर का मुखिया पारिवारिक निर्णय लेने को स्वतंत्र था, जिसे सभी स्वीकार्य करते थे, किन्तु आधुनिक परिवेश में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगा है।

4. जीवन संस्कार में परिवर्तन

(i) पूर्व में प्रसव पारम्परिक दाई द्वारा सम्पन्न कराया जाता था, किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई/नर्स की देखरेख में प्रसव कराने लगे हैं। कुछ परिवारों द्वारा अस्पतालों में भी प्रसव कराया जाता है।

(ii) बच्चों के टीकारण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है।

(iii) जन्म एवं विवाह संस्कारों में आधुनिक वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है।

(iv) पूर्व में इनमें विवाह की आयु अपेक्षाकृत कम थी। वर्तमान परिवेश में शिक्षा एवं अन्य जातियों के प्रभाव के फलस्वरूप विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

(v) वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप माता एवं शिशु के पोशण की स्थिति में सुधार दिखाई देता है।

5. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

(i) धांगड़ जनजाति में पूर्व में बालिका शिक्षा दर कम थी, जिसमें धीरे–धीरे सुधार हो रहा है।

(ii) पूर्व में इस जाति के लोग अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को पर्याप्त मानते थे, परंतु शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण अब ये लोग उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हुये है।

6. राजनैतिक जीवन में परिवर्तन

(i) परम्परागत जातीय पंचायतों में स्त्रियों की भूमिका नहीं होती थी, किन्तु वर्तमान परिवेश में समाज द्वारा गठित संस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी पायी जाती है। साथ ही आधुनिक ग्राम पंचायतों में स्त्रियां विभिन्न पदों में आसीन है।

(ii) पूर्व में जातीय पंचायत का पद या मुखिया परम्परागत होता था, किन्तु वर्तमान में इनका प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे लोग करने लगे है।

(iii) पूर्व के जातीय पंचायतों का आधुनिकीकरण कर इसे मंडल, महासभा आदि नामों से जाना जाता है।

7. धार्मिक जीवन में परिवर्तन

धांगड़ जनजाति मौलिक रूप से प्रकृति, आत्मा अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करती है एवं अपने इश्ट देव धर्मे बेला/धर्मेश के साथ अपने पूर्वज देव की पूजा करते है। वर्तमान समय में भी धांगड़ जाति के

लोग धार्मिक जीवन के प्रति समर्पित है।

8. नृत्य संगीत एवं त्यौहारों में परिवर्तन

यह जनजाति अपने प्रमुख तीज–त्यौहारों, उत्सवों में अभी भी अपने समाज के लोगों के साथ ही नृत्य संगीत करते है।

10.2 समस्याएँ

धांगड़ जनजाति में पायी जाने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं :–

1. सामाजिक समस्याएं

धांगड़ समुदाय में अधिकांश महिला–पुरूषों में नशे की लत (नशाखोरी) प्रमुख समस्या है। त्यौहारों, उत्सवों या विशेष अवसरों पर इनके द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब (महुए की बनी) का सेवन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के साथ–साथ, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी नुकसानदायक है।

2. आर्थिक समस्याएं

(i) धांगड़ जनजाति की कृषि भूमि असिंचित व मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फलस्वरूप वर्ष में एक फसल ही ले पाते हैं। साथ ही पारम्परिक पद्धति व उपकरणों से कृषि कार्य करते है।

(ii) वनोपज के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने एवं उसका उचित मूल्य न मिलने के कारण भी इनकी आय कम है।

(iii) इनकी वार्षिक आय से पारिवारिक आवश्यकताओं व आकस्मिक व्यय की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः इन्हें साहूकारों आदि से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता भी इनकी एक प्रमुख समस्या है।

(iv) इनकी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान है, किन्तु पर्याप्त रोजगार के अवसर का न मिल पाना भी एक समस्या है।

3. शैक्षणिक समस्याएं

धांगड़ जनजाति अन्य समुदाय की तुलना में जागरूक है फिर भी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। इस जाति में बालिका साक्षरता की दर दयनीय है, जिसका प्रमुख कारण प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् वनोपज संकलन का कार्य, घरेलू काम–काज, छोटेभाई–बहनों की देखरेख आदि है।

4. स्वास्थ्य समस्याएं

(I) धांगड़ जनजाति में जादू–टोना, भूत–प्रेत संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त होने की स्थिति में ये अपने पारम्परिक चिकित्सकों के पास ही जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

(ii) धांगड़ परिवारों में अभी भी ग्रामों में प्रसव घर पर ही अप्रशिक्षित दाई ''सुईन'' से करवाते हैं, जिसमें जच्चा–बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है।

(iii) धांगड़ निवासित क्षेत्रों में अभी भी बहुत से ग्रामों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) फोन : 0771-2960530

E-mail : trti.cg@nic.in, Web : www.cgtrti.gov.in